खण्ड-165, अंक-3
मंगलवार, 2 फाल्गुन, शक संवत् 1877
(21 फरवरी, 1956 ई0)

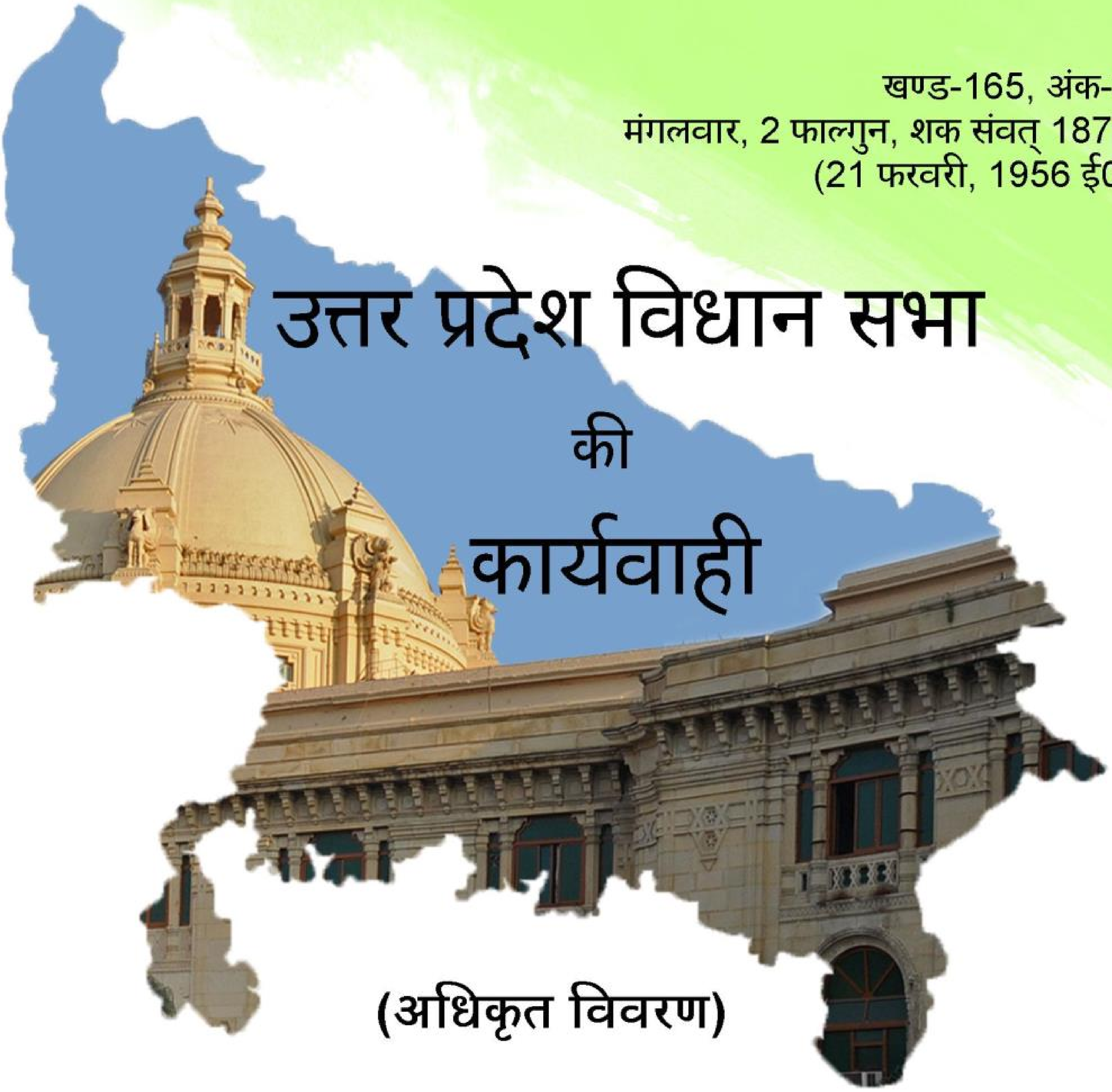

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 165 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २१ फरवरी, १९५६

विधान सभा की बठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३१)

अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम , श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
स्तरागालीराम, श्री
स्पों के निमाए, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह , श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तर सिंह निरंजन , श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छुदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री

जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख़्श दास, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्म नाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फज़लुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन , श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री

भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह, यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारुक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री

रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम , श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा बख्श सिंह, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री राम सेवक यादव ने शपथ ग्रहण की।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २१ फरवरी, १९५६

तारांकित प्रश्न

गाजीपुर जिले में गंगा प्रवाह से भूमि के कटाव को रोकने के लिये सर्वे का विचार

*१—श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गंगा प्रवाह से जो गाजीपुर में खालीशपुर, गौशपुर, हरिहरपुर, ग्रामों की भूमि प्रायः प्रति वर्ष कट रही है, उसकी रक्षा के लिये सरकार निकट भविष्य में क्या करने जा रही है।

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)—गाजीपुर जिले के खलीशपुर और गौशपुर ग्रामों के बीच की भूमि गंगा प्रवाह से कट रही है। इस क्षेत्र का सर्वे शीघ्र किया जायेगा। हरिहरपुर ग्राम के पास पिछले कई वर्षों से कोई कटाव नहीं हो रहा है।

श्री शिवपूजन राय—क्या मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि सर्वे कब तक समाप्त होगा?

श्री राममूर्ति—उसकी कोई निश्चित डेट नहीं लिखी है लेकिन गालिबन जल्दी हो जायगा।

श्री शिवपूजन राय—क्या सरकार बतलायेगी कि बरसात आने के पहले इसका इंतजाम हो जायगा?

श्री राममूर्ति—यह तो मैं कह नहीं सकता कि इंतजाम हो जायगा, लेकिन सर्वे की रिपोर्ट जरूर इसके पहले आ जायगी।

गाजीपुर जिले में रामगढ़ नहर को बेरुकही ग्राम तक बढ़ाने की मांग

*२—श्री शिवपूजन राय—गाजीपुर जिला, रामगढ़ ग्राम के समीप टोंस नदी से जो नहर निकाल कर सिधागर ग्राम तक गई है उसको सरकार बेरुकही ग्राम तक ले जाने के प्रश्न पर विचार करेगी?

श्री राममूर्ति—रामगढ़ नहर को बेरुकही ग्रामों तक बढ़ाने के लिये इस क्षेत्र की भूमि के स्तर का निरीक्षण करना आवश्यक है। यह निरीक्षण शीघ्र ही किया जायगा।

*३—श्री शिवपूजन राय—क्या सरकार टोंस नदी गोधनी के बाढ़ से बेरुकही ग्राम को बचाने के लिये पुराने बांध की मरम्मत करने के प्रश्न पर विचार करेगी?

श्री राममूर्ति—बेरुकही ग्राम के पास पुराना बांध अब नाम मात्र के लिये रह गया है। अतः उसके मरम्मत की आवश्यकता नहीं समझी गई। लेकिन बाढ़ से बचाव के लिये गांव के स्तर को ऊंचा करने का काम प्रगति पर है।

श्री शिवपूजन राय---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि भूमि का निरीक्षण कब तक होगा ?

श्री राममूर्ति---भूमि के निरीक्षण के बारे में भी जब उनको आदेश दे दिये गये हैं तो होने ही वाला होगा, और थोड़े दिन में उसकी रिपोर्ट भी आ जायगी। इसके अलावा एक बात और अर्ज कर दूं कि जब नहरें निकाली जाती हैं तो जैसे-जैसे नहरों के लिये लोग आदी होते जाते हैं वैसे ही वैसे हम उनका विस्तार करते जाते हैं। तो माननीय सदस्य को चिन्ता नहीं करनी चाहिये, यह नहरें आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ेंगी।

राज्य में मध्यम वर्ग के लिए निर्मित गृह

*४---श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्यम वर्ग के लिये गृह-निर्माण की जो योजना है, उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ? अब तक कितने मकान बन चुके हैं और कितना रुपया ऋण दिया जा चुका है ?

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---इस योजना के अनुसार देहरादून में २०, मेरठ में ३०, इलाहाबाद में २० और लखनऊ में १४९ मकान बन चुके हैं। इस योजना में ऋण नहीं दिया जाता है।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि क्या यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिये भी लागू है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी नहीं।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय मंत्री जी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मध्यम-वर्गी लोगों की दुर्व्यवस्था को देख कर, और उनकी आर्थिक अव्यवस्था को देखते हुए यह उचित समझते हैं कि देहाती क्षेत्रों में भी शहरी क्षेत्रों की तरह मध्यमवर्गी लोगों के लिये आवास बनाने की कोई योजना बनायी जाय ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---अभी तो कोई इस सम्बन्ध में विचार नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी को सूचना मिली है कि निर्माण होने के बाद ये मकान उन सभी श्रेणियों के व्यक्तियों को अलाट नहीं किये जा रहे हैं जो मध्यम वर्गी परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मुझे तो कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है।

कानपुर जिले में नबीपुर-गजनेर सड़क में लगी कौसम गांव की भूमि का मुआविजा

*५---श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)---क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि गांव कौसम, थाना गजनेर, जिला कानपुर में नबीपुर से गजनेर जाने वाली सड़क में गांव के कुछ किसानों की जमीन मिला ली गई थी जिन्हें अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया बल्कि जिन्हें अभी भी उसका लगान देना पड़ रहा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जो लोग मुआवजा लेने उपस्थित हुए उन्हें मुआवजा दे दिया गया। शेष व्यक्ति मुआवजा लेने सूचना दी जाने पर भी नहीं आये। उसके पश्चात् भी कुछ व्यक्तियों ने अपना मुआवजा जिला भूमि अधिकारी से प्राप्त कर लिये। अन्य व्यक्ति अब भी जिला भूमि अधिकारी, कानपुर के पास प्रार्थना कर मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं।

खरीफ की फसल का लगान पहले ही ले लिया गया था जो वापस कर दिया जायगा।

नोट---तारांकित प्रश्न ४ श्री रामेश्वरलाल ने पूछा।

*६—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या यह सही है कि बार-बार प्रार्थना-पत्र भेजने पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं।

*७—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या मंत्री जी किसानों को निर्धारित मुआवजा देने और इस सम्बन्ध में दिये गये लगान की वापसी की व्यवस्था पर शीघ्र विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जैसा कि पहले कहा जा चुका है किसान जिला भूमि प्राप्त अधिकारी से मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। लगान को शीघ्र वापस करने के लिये जिलाधीश, कानपुर को आदेश दिया जा रहा है।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि कितने लोगों को मुआवजा दिया गया और कितने बाक़ी हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—व्यक्तियों की संख्या मेरे पास नहीं है, लेकिन धन जो दिया गया उसकी संख्या है और जो दिया जाने को है वह भी है। यह इस प्रकार से है :—

२,००४ रुपये ९ आने का भुगतान अभी दिया जाना है, १,३९७ रुपये १२ आना मुआविजा पहले दिया गया था। इसके बाद में भूमि प्रबन्धक अधिकारी के कार्यालय से ९०० रुपया १ आना दे दिया गया है।

श्री रामदुलारे मिश्र—खरीफ़ का लगान जिन लोगों से वसूल कर लिया गया था वह कब तक वापस कर दिया जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—उसके बारे में आज्ञा हो चुकी है, और जैसे ही लोग प्रार्थना-पत्र देंगे वापिस कर दिया जायेगा।

उन्नाव जिले में पानी निकास योजना का लागू होना

*८—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पानी निकास के सुधार की योजना राज्य के किस-किस हिस्से में इस समय लागू है ?

श्री राममूर्ति—पानी निकास के सुधार की योजनाएं समस्त प्रदेश में जहां कहीं सम्भव है निर्माण कराई जा रही हैं ?

*९—श्री देवदत्त मिश्र—अब तक इस योजना के अन्तर्गत हुये कार्य की सफलता को दृष्टिगत रख कर क्या सरकार क्षेत्र विस्तार का विचार करती है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, इन योजनाओं की सफलता के कारण आगामी वर्ष १९५६-५७ में भी ऐसी योजनाएं कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह योजना उन्नाव जिले में भी लागू है ? यदि हां, तो जिले के किस भाग में ?

श्री राममूर्ति—सूची तो आपकी मेज पर शायद रख दी गई होगी, वरना मैं आपको बताता हूं। मजबुरियाबेग में २५० एकड़ जमीन बचेगी जो काम में लाई जावेगी। अगले प्रोग्राम की भी फेहरिस्त है, आप चाहें तो मेरे पास आकर देख सकते हैं।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---इस योजना को कार्यान्वित कराने के लिये क्या सरकार ने कोई अलहदा डिवीजन भी खोला है ? अगर हां, तो कहां ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---अलहदा डिवीजन बहुत से जिलों में हैं । मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मथुरा और आगरा के लिये करीब ७ सब-डिवीजन्स कायम किये गये हैं जो ड्रेनेज की तमाम स्कीमों का सर्वे कर चुके हैं और उनकी रिपोर्टें आ रही हैं, उन पर काम भी शुरू होगा । इन जिलों की कमिश्नरियों की मीटिंग भी हुई थीं और वहां विधान सभा के सदस्य भी थे और उनके सुझाव भी ले लिये गये हैं और उनकी पूरी जांच-पड़ताल के बाद शीघ्र ही काम शुरू होगा ।

आजमगढ़ जिले में जामडीह गांव के सभापति का कथित अपमान

*१०---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला आजमगढ़, तहसील घोसी के गांव 'जामडीह' के सभापति को बांध कर घण्टों रखा गया और अपमानित किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वशासन उपमन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)---जी नहीं, गांव जामडीह के सभापति को न बांधा गया और न अपमानित किया गया ।

*११---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सभापति ने अपमानित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध प्रदेशीय सरकार, जिलाधीश तथा तहसीलदार के यहां आवेदन-पत्र दिये थे ? यदि हां, तो उन पर कौन-सी कार्यवाही हुई ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां, इस संबंध में सभापति ने जिलाधीश एवं तहसीलदार घोसी को आवेदन-पत्र दिये थे जिनकी पूरी जांच की गई थी तथा जांच के उपरान्त आवेदन-पत्र निराधार पाये गये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश और तहसीलदार के यहां किस तारीख को दरख्वास्त दी थी, और उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा किस तारीख को कराई गई ?

श्री कैलाशप्रकाश---इसकी तारीख यहां नहीं है ?

श्री रामसुन्दर पांडेय---उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई ?

श्री कैलाशप्रकाश---दरख्वास्त जिलाधीश और तहसीलदार को दी गई और उन्होंने ही यह जांच कराई ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि यह शिकायत किस अधिकारी के विरुद्ध की गई ?

श्री कैलाशप्रकाश---मामला यह है कि इन सभापति जी ने मालगुजारी नहीं दी थी और तहसीलदार ने मालगुजारी वसूल करने के लिये इनका वारन्ट भेजा था । यह महाशय तहसील में उपस्थित हुये और उनको समय दे दिया गया । तो उन्होंने ३ दिन बाद मालगुजारी जमा कर दी ।

श्री झारखंडेराय---जिलाधीश अथवा तहसीलदार ने किस व्यक्ति के द्वारा इस मामले की जांच कराई और उसमें किन-किन की गवाहियां ली गईं ?

श्री कैलाशप्रकाश---यह ब्योरा इस समय नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि जांच करने वाले अधिकारी ने सभापति से और गांव वालों से इस सम्बन्ध में कोई जानकारी हासिल नहीं की ?

श्री कैलाशप्रकाश---इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता ।

श्री रामेश्वरलाल---जो वारन्ट तहसीलदार द्वारा ईश्यू किया गया था वह किस महीने की किस तारीख को जारी किया गया था ?

श्री कैलाशप्रकाश---यह तारीख तो इस समय नहीं है ।

श्री रामेश्वरलाल---क्या यह सही है कि मालगुजारी वसूल करने के लिये जो नियत अवधि होती है उसके पहले ही दुश्मनी से कुछ लोगों ने लगाकर उनके विरुद्ध वारंट जारी कराया था ?

श्री कैलाशप्रकाश---यह सही नहीं मालूम होता ।

पुल, पुलियों तथा सड़कों की मरम्मत के लिए जिला बोर्डों को ऋण

*१२---श्री रामसुन्दर पाडेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चालू वित्तीय वर्ष में किन-किन जिला बोर्ड को पुलों, पुलियों तथा सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत के लिये कितना-कितना रुपया ऋण दिया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश---चालू वित्तीय वर्ष में पुलों तथा पुलियों के निर्माण एवं मरम्मत के लिये निम्नलिखित जिला-बोर्डों को ऋण दिया गया है :---

	रु०
१---फर्रुखाबाद	१,४७,८०१
२---झांसी	२,१५,७६०
३---मुजफ्फरनगर	३०,७५०
४---बुलन्दशहर	७४,७५४
५---मैनपुरी	२६,४९९
६---एटा	६८,८४८
७---रायबरेली	६०,०००
८---बहराइच	१,००,०००
९---प्रतापगढ़	६०,८७८
१०---मिर्जापुर	१,१३,८८५
११---बस्ती	६६,५००
१२---गाजीपुर	५६,२५३
१३---देवरिया	५६,१२८
१४---लखनऊ	२९,१२५
१५---खीरी	५६,८७८
१६---सुल्तानपुर	१,२५,०००
१७---आगरा	४९,०००
१८---बाराबंकी	८०,०००
१९---इटावा	१,००,०००
२०---कानपुर	१,००,०००
२१---पीलीभीत	२९,८७५
२२---फैजाबाद	८२,८८०

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन जिला बोर्डों के अलावा प्रदेश के किन-किन जिला-बोर्डों ने ऋण के लिये सरकार को आवेदन-पत्र दिये थे ?

श्री कैलाशप्रकाश---जब सरक्यूलर भेजा गया था तो कुछ जिला-बोर्डों ने तो इन्कार कर दिया कि इन शर्तों पर वे ऋण लेना नहीं चाहते। कुछ जिला-बोर्डों के मामले अभी विचाराधीन हैं ?

श्री रामसुन्दर पांडेय---कौन-कौन जिला-बोर्डों ने ऋण लेने से इन्कार किया था ?

श्री कैलाशप्रकाश---१८ जिला-बोर्डों की सूची है। बरेली, गोंडा, नैनीताल, जालौन, बनारस, शाहजहांपुर, हरदोई, गोरखपुर, मुरादाबाद, बदायूं, देहरादून, मेरठ, बिजनौर, सीतापुर, उन्नाव, आजमगढ़ और अल्मोड़ा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---वे ऋण देने की कौन-कौन सी शर्तें थीं ?

श्री कैलाशप्रकाश---वह रुपया पुल और पुलियों पर ही लगाना होगा। मार्च, १९५६ तक काम पूरा करना होगा। काम की रिपोर्ट भेजनी होगी। जब काम अन्तिम रूप में आ जाय तो पबलिक वर्क्स के इंजीनियर को दिखलाकर उनसे फाइनल सैंक्शन लेनी होगी और एप्रूव्ड ठेकेदार के द्वारा ही काम कराना होगा। ये मोटी-मोटी बातें हैं।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हीं शर्तों पर भूतकाल में भी जिला-बोर्डों को ऋण दिया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश---यह गवर्नमेंट आफ इंडिया का रुपया था इसलिये उन्हीं की शर्तों के अनुसार दिया गया है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि बोर्डों को जो कर्जा दिया जाता है क्या उस रुपये पर उनको कुछ इन्टरेस्ट भी देना पड़ता है।

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां, साढ़े चार प्रतिशत।

श्री रामसुन्दर पांडेय---जिन बोर्डों को ऋण देने का मामला विचाराधीन है वह कब तक विचाराधीन रहेगा, और क्या ३१ मार्च, सन् ५६ के बाद भी ऋण दिया जा सकेगा ?

श्री कैलाशप्रकाश---वह इसी साल में दिया जा सकेगा।

श्री लोकेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जौनपुर बोर्ड को यह ऋण क्यों नहीं दिया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश---जौनपुर का मामला विचाराधीन है।

सिंचाई-कर का बकाया तथा वसूली

*१३---**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५४-५५ में सरकार को सिंचाई के कर से कितने रुपये की प्राप्ति हुई तथा कितने रुपये की वसूली अभी बाकी है ?

श्री राममूर्ति---१९५४-५५ में सरकार को सिंचाई दर से कुल ८,५८,६६,१८७ रुपये की प्राप्ति हुई तथा १८,९३,२७४ रु० की वसूली बाकी रही।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किस जिले का सबसे अधिक रुपया बकाया में है और कितना ?

श्री राममूर्ति---इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

पंचायत निरीक्षकों के स्थायी रिक्त स्थानों की पूर्ति के नियम

*१४—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पंचायत इन्स्पेक्टरों के स्थायी स्थानों के रिक्त होने पर उनकी पूर्ति विभागीय कर्मचारियों की तरक्की द्वारा एवं सीधी भर्ती द्वारा किस-किस अनुपात से की जाती है ?

श्री कैलाशप्रकाश—पंचायत निरीक्षकों के पदों की सीधी भर्ती एवं विभागीय कर्मचारियों की तरक्की द्वारा भरने का अनुपात २:१ है ।

*१५—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब तक कितने स्थायी इन्स्पेक्टरों के रिक्त स्थानों की पूर्ति विभागीय कर्मचारियों द्वारा तथा कितनें की आयोग की (बी) लिस्ट द्वारा की गई है ?

श्री कैलाशप्रकाश—पंचायत निरीक्षक के पद पर स्थायी रूप से अभी तक किसी विभागीय कर्मचारी अथवा आयोग की (बी) लिस्ट के अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं की गई है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतला सकती है कि अस्थायी पंचायत निरीक्षकों के पद पर कितने विभागीय कर्मचारी या (बी) क्लास के लोग अस्थायी रूप में रखे गये हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—बी क्लास के जितने अभ्यार्थी हैं वे सब अस्थायी रूप से नियुक्त हो चुके हैं ।

श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि पंचायत इंसपेक्टरों के लिये हरिजनों का क्या अनुपात रक्खा गया है, और कितने हरिजन इंसपेक्टर्स अब तक रक्खे जा चुके हैं ?

श्री अध्यक्ष—मूल प्रश्न हरिजनों का नहीं है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतायेगी कि विभागीय कर्मचारी और बी क्लास के कितने अभ्यर्थी पंचायत निरीक्षकों के पद पर अस्थायी रूप से रक्खे गये हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—विभागी कर्मचारियों की संख्या इस समय मेरे पास नहीं है । बी क्लास के जितने भी लोग पब्लिक सर्विस कमीशन से आये थे वे सब रख लिये गये ।

सहारनपुर-बागपत सड़क के कच्चे भाग को पक्का करने की मांग

*१६—श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर-बागपत सड़क कितने मील पक्की हो चुकी है और कितने मील कहां-कहां पर पक्की नहीं हुई, और क्यों ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सड़क की कुल लम्बाई ५३ मील है जो सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर जिलों में पड़ती है । सहारपुर जिले के २२ मील ७ फर्लांग सब पक्के हो चुके हैं । मुजफ्फरनगर जिले के ३० मील २ फर्लांग में से २४ मील ६ फर्लांग पक्के हो चुके हैं । शेष भाग ५ मील ४ फर्लांग शामली और एलम बाईपास के है जो अभी तक पक्के नहीं हुए हैं । इनके एलाइनमेंट को स्थानीय जनता की इच्छा के अनुसार निश्चित करने पर अभी तक विचार हो रहा था ।

*१७—श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह सही है कि यह सड़क शामली कस्बे के अन्दर से न निकल कर आबादी के पास-पास निकाले जाने का आदेश सरकार की ओर से हो गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां ।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अभी जो बाई पास वाला मामला था वह तय हो गया है या नहीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, तय हो चुका है ।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि शामली और एलम में बाई पास अब कहां को निकाला जायगा और पहले की ही तरह से रखा जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस समय अन्तिम आज्ञा के अनुसार शामली कस्बे में होकर रास्ता निकाले जाने की योजना है । एलम के बाई पास के लिये कुछ रेलवे भूमि प्राप्त करना है, उसकी कार्यवाही चल रही है ।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि एलम के सम्बन्ध में यह कब तक निश्चय हो जायगा, यानी कब तक रेलवे से सेटिलमेंट हो जायगा ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—आशा तो बहुत शीघ्र हो जाने की है ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या यह सत्य है कि बागपत-शामली सड़क देलही से मिलाई जाने वाली है । यदि हां, तो यह कब तक योजना सरकार पूरी कर सकेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसका तो बहुत कुछ हिस्सा दिल्ली सरकार से सम्बन्धित है। जहां तक हमारा प्रश्न है वहां तक तो सड़क जहां तक हो सकी है वहां तक हो चुकी है ।

ट्यूबवेल विभाग में मिस्त्री और आपरेटर के पदों को मिलाने का विचार

*१८—श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ट्यूबवेल विभाग में मिस्त्री और आपरेटर के पदों को वह एक करने का विचार रखती है ? क्या सरकार सुपरवाइजर के पद को तोड़ने का भी विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—मुख्य इंजीनियर सिंचाई विभाग को एक डिवीजन में कुछ ट्यूबवेल आपरेटरों को मिस्त्री की ट्रेनिंग देकर उनसे दोनों पदों का काम लेने के लिये आदेश दे दिये गये हैं । इस प्रयोग के सफल होने पर दोनों पदों को मिलाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

जी नहीं ।

*१९-२१—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—[स्थगित किये गये ।]

मुरादाबाद जिले के उत्तर क्षेत्र में लगाये गये नलकूप

*२२—श्री मुहम्मद तकी हादी (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला मुरादाबाद उत्तरी क्षेत्र में १९५० से १९५५ मार्च तक कितने सरकारी ट्यूबवेल लगाये गये हैं ?

श्री राममूर्ति—जिला मुरादाबाद में मार्च, सन् १९५० से मार्च, सन् १९५५ तक १५ नलकूप निर्मित हुये, जिनमें उत्तरी क्षेत्र में ५ नलकूप बनाये गये ।

*२३—श्री मुहम्मद तकी हादी—क्या सरकार बतायेगी कि उनमें से आजकल कितने ट्यूबवेल पानी दे रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—उक्त पांचों नलकूप पर्याप्त मात्रा में पानी दे रहे हैं ।

*२४—श्री मुहम्मद तकी हादी—क्या सरकार बतायेगी कि सन् १९५५ में कितने नये ट्यूबवेल इस सर्किल के अन्दर लगाये जा रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—उक्त क्षेत्र में सन् १९५५-५६ में दो नलकूप लगाये जा रहे हैं।

श्री मुहम्मद तकी हादी—क्या सरकार को यह सूचना नहीं मिली कि इन पांचों कुओं की पानी की निकासी दिन पर दिन घटती जा रही है ?

श्री राममूर्ति—सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई है ।

श्री मुहम्मद तकी हादी—यह जो २ नए कुएं लगाये जा रहे हैं वह किस-किस मुकाम पर लगाये जा रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—वह उत्तरी क्षेत्र में लगेंगे, गांव का नाम तो नहीं मालूम ।

मिर्जापुर जिले में सिरसी बंधे से सींची जाने वाली भूमि

*२५—श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार यह बतायेगी कि मिर्जापुर जिले के सिरसी बन्धे से किस-किस जिले की कितनी-कितनी भूमि सिंचित होगी, तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितनी सिंचाई हो जायेगी ?

श्री राममूर्ति—सिरसी बांध से वेलन कैनाल द्वारा निम्नलिखित वार्षिक सिंचाई विभिन्न जिलों में अनुमानित की गई है:

जिला	भूमि एकड़ों में
इलाहाबाद	९६,०००
मिर्जापुर	३,५००
रीवां (विन्ध्यप्रदेश)	५,४००
योग ..	१,०४,९००

वर्तमान वित्तीय वर्ष की रबी में निम्नलिखित भूमि की सिंचाई होने की आशा है:

जिला	भूमि एकड़ों में
इलाहाबाद	१२,०००
रीवां (विन्ध्य प्रदेश)	१,००
योग ..	१२,१००

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि यह १,०४,९०० एकड़ की पूरी सिंचाई कब तक सम्भव हो जायगी ?

श्री राममूर्ति—जैसे-जैसे किसान लोग पानी लेना शुरू करेंगे वैसे-वैसे आबपाशी बढ़ेगी, और सम्भव है कि टोटल टार्गेट पूरा हो जाय ।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इस योजना को पूरा कराने के लिए बेलन नदी पर कोई दूसरा बांध बांधा जाने वाला है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कुछ विचार तो किया जा रहा है, लेकिन अभी इसका कोई निश्चय नहीं हुआ है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र—यह जो १०,४,९०० एकड़ की सिंचाई की बात बताई गई है वह केवल वर्तमान सिरसी बांध से है या इस दूसरे को लेकर है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह तो इसी से है, नया तो मेजा कैनाल्स में पानी देने के लिए बनेगा ।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले में अब तक क्यों सिंचाई के साधन न बन सके और वहां नहरें न बनने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अभी वहां मांडा की ब्रांच बन रही है, वह पूरी हो जायगी तो वहां भी सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकेंगे, अभी काम जारी है ।

*२६—श्री नारायणदत्त तिवारी—[स्थगित किया गया ।]

हल्द्वानी नगर निवासियों के लिये जल-कष्ट निवारणार्थ योजना

*२७—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को मालूम है कि पिछली गर्मियों में हल्द्वानी नगर के निवासियों को पीने के पानी के सम्बन्ध में होने वाली कठिनाइयां अत्यधिक बढ़ गई है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां ।

हल्द्वानी नगर को तुरन्त पानी देने की एक योजना २,९२,२२५ रुपये की बनाई गई है और इस पर कार्य भी आरम्भ हो गया है । इस योजना के पूर्ण होने के पश्चात पीने के जल का कष्ट दूर हो सकेगा । आशा है कि आगामी गर्मियों के पहले यह पूर्ण हो जायगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को यह विदित है कि जिस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है उससे पानी की मात्रा में बहुत कमी बढ़ती होती है, और इसी लिये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने एक नई संशोधित योजना सरकार की स्वीकृति-हेतु भेजी है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—नहीं, ऐसी कोई इत्तिला नहीं है । पहले यहां यह कोशिश की गई थी कि यहां पर ट्यूबवेल बोर किया जाय लेकिन कोई कामयाबी नहीं हुई । लेकिन अब यह उम्मीद है यह योजना अब कामयाब हो जायगी और इससे काफी पानी निकलेगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि यह ट्यूबवेल की योजना किसी गलत रूप से ठेकेदार को काम दिये जाने के कारण कामयाब नहीं हो सकी ?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो एक बड़ा पुराना मामला है । कई दफा असेम्बली में इसके मुताल्लिक सवालात किये जा चुके हैं और जवाब भी उनके दिये जा चुके हैं । उसमें मुमकिन है कुछ गलती ठेकेदार की रही हो, लेकिन ट्यूबवेल्स वहां इस लिये बोर नहीं किये जा सके कि वहां कुछ राक्स मिल गये जिनकी वजह से वे बोर नहीं कर सके, और बोर करने के लिये उसके पास हथियार नहीं थे । लेकिन अब वह योजना है और चल रही है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार इस बात पर जांच कराने की कृपा करेगी कि जो योजना इस समय कार्यान्वित की जा रही है उससे बहुत कम मात्रा में पानी बढ़ता

है, और कुछ थोड़ा सा योजना संशोधित करने पर पानी की मात्राएं वास्तविक रूप में बढ़ जाती है ?

श्री सैयद अली जहीर—अगर ऐसा है तो उस पर जरूर गौर किया जायगा। माननीय सदस्य बतलावें ।

भवन निर्माण योजना के लिये हाउसिंग बोर्ड बनाने का विचार

*२८—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार नें उत्तर प्रदेश में भवन-निर्माण योजना के परिचालन हेतु हाउसिंग बोर्ड बनाने का निश्चय कर लिया है ? अगर हां, तो उक्त बोर्ड का क्या विधान होगा ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं, अभी यह प्रश्न विचाराधीन है और कोई निर्णय अभी नहीं हुआ है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि हाउसिंग बोर्ड को हाउसिंग कमेटी की सिफारिश के अनुसार निर्माण करने में कौन सी रुकावटें पड़ रहीं हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—कोई रुकावटें नहीं पड़ रही है। जैसा कहा गया है अभी उस पर निर्णय नहीं हुआ है । गौर किया जा रहा है ।

कानपुर में राजनीतिक पीड़ितों को विकास बोर्ड से भूमि प्राप्त करने में अड़चन

*२९—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या विकास बोर्ड, कानपुर ने कभी राजनेतिक पीड़ितों को सस्ते मूल्य पर मकान बनाने के लिये जमीने देने के लिये प्रस्ताव पास किया था ? यदि हां, तो अभी तक उसको कार्य रूप में परिणत क्यों नहीं किया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां। सरकार ने विकास बोर्ड के प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया अतः उस प्रस्ताव को कार्य रूप में परिणत नहीं किया गया ।

*३०—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जमीन प्राप्त करने के लिये राजनैतिक पीड़ितों के कितने प्रार्थना-पत्र आये और उन प्रार्थना-पत्रों पर क्या हो रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश—११५ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये । इन प्रार्थना-पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है क्योंकि विकास बोर्ड के प्रस्तावित मूल्य पर कानपुर में कोई भी विकसित भूमि नहीं दी जा सकती है ।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी राजनैतिक पीड़ितों के संबंध में सरकार की परिवर्तित नीति को देखते हुए इस प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—यह चूंकि डेवलपमेंट बोर्ड कानपुर का मामला है और वहां के ऊपर जितनी जमीनें दी जाती हैं उसका हिसाब यह रखा गया है कि जितनी उसकी कीमत पड़े, जो मार्केट रेट हो, उसी हिसाब से, और जो उसमें डेवलपमेंट कास्ट हो, उसको मिला करके जो कीमत पड़े उसी कीमत पर जमीन बगैर किसी प्राफिट के और बगैर किसी लास के इस बेसिस के ऊपर वह बेंच दी जाय। इसी उसूल के ऊपर उनसे कहा जाता है कि वह लेना चाहें तो ले सकते हैं। रह गया यह कि कोई मदद इस तरह के लोगों के लिए करने का जहां तक सवाल है वह एक अलग सवाल है। उसमें इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी मदद के ख्याल से अपनी कीमत को वह घटा दे और कुछ नुकसान उठा कर के जमीन उनको बेंचे ।

नोट—तारांकित प्रश्न २९–३० श्री रामदुलारे मिश्र ने पूछे ।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि डेवलपमेंट बोर्ड ने राजनीतिक पीड़ितों को इस प्रकार कंसेशनल रेट्स पर प्लाट्स देने का प्रस्ताव स्वयं स्वीकार किया था ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। डेवलपमेंट बोर्ड जिस वक्त था उसने किया था। लेकिन उसके बाद से चूंकि एडमिनिस्ट्रेटर वहां हो गये, और सरकार ने यह समझा कि यह इस किस्म का कंशेसन देना मुनासिब नहीं होगा, लिहाजा इसके पहले ही वह नामंजूर कर दिया गया तो वह लागू नहीं हो पाया।

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी (जिला कानपुर)—क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि डेवलपमेंट बोर्ड ने और लोगों को कंसेशनल रेट्स पर प्लाट्स दिए हैं, जैसे पोस्टल एम्प्लाइज, और इसी तरह के और बहुत से लोगों को कंसेशन पर प्लाट्स दिये हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, इसकी इत्तिला मुझे नहीं है और न यह मालूम है कि क्या कंसेशन उनको दिया है।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी उसकी इत्तिला प्राप्त कर इस पर ध्यान देने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, अगर आप मुझे ऐसी कोई सूचना देंगे तो मैं जरूर उस पर तहकीकात करूंगा।

*३१—श्री व्रजभूषण मिश्र—[स्थगित किया गया।]

गोंडा जिले में पंचायत इन्स्पेक्टर तथा सेक्रेटरी

*३२—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में पंचायत राज विभाग के कितने इंस्पेक्टर तथा कितने सेक्रेटरी हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—जिला गोंडा में १० पंचायत इन्सपेक्टर तथा २६५ पंचायत सेक्रेटरी हैं।

गोंडा जिले में ग्राम सभाओं का रिजर्व धन

*३३—श्री गंगाप्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा, पंचायतराज विभाग में कितना धन ग्राम सभाओं का "रिजर्व" जमा है ? कितनी ग्राम सभाओं में रोशनी का प्रबन्ध है और कितने में नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर—जिला गोंडा की गांव सभाओं के वैयक्तिक लेखे (Personal Ledger Account) में ४,२१,१६५ रु० ७ आ० ६ पा० ३१ दिसम्बर, १९५५ तक जमा है।

६४५ गांव सभाओं में रोशनी का प्रबन्ध है और ५१४ में नहीं।

*३४—श्री गंगाप्रसाद (अनुपस्थित)—[स्थगित किया गया।]

कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा बेचे गये प्लाटों का ब्योरा

*३५—श्री वासुदेवप्रसाद मिश्र (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या स्वशासन मंत्री उन प्लाटों का ब्योरा बतलाने की कृपा करेंगे जिनको कानपुर डेवलमेंट बोर्ड द्वारा बेचे छः माह से अधिक हो गया है मगर उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ३५ श्री मुरलीधर कुरील ने पूछा।

श्री कैलाशप्रकाश—जनवरी, १९५६ के आरम्भ में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ब्योरा इस प्रकार है:

ऐसे प्लाटों की कुल संख्या ४५० है। इनमें से २०० मामले रजिस्ट्री के लिये बिलकुल तैयार है, ६० में लीजडीड (Lease deeds) तैयार किये जा रहे हैं, १५० में अभी तक पूरा रुपया वसूल नहीं हो सका है, और शेष ४० मामलों में या तो खरीदारों का पता नहीं है या वह रजिस्ट्रेशन कराना नहीं चाहते या अपने प्लाटों को स्थानान्तरित (Transfer) करने की आज्ञा चाहते हैं।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि प्लाटों की रजिस्ट्री एक महीने के अन्दर हो जाया करे ?

श्री कैलाशप्रकाश—रजिस्ट्री कराने की शीघ्र ही व्यवस्था कराई जा रही है।

*३६—श्री वासुदेवप्रसाद मिश्र—[स्थगित किया गया।]

राज्य में सिंचाई की विभिन्न दरें

*३७—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि प्रदेश की विभिन्न नहरों व क्षेत्रों में आबपाशी की दरों में कुछ अन्तर है ? यदि हां, तो कितना-कितना और क्यों ?

श्री राममूर्ति—जी हां, विभिन्न नहरों व क्षेत्रों में आबपाशी की दरों में अन्तर है। माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी सूची से स्पष्ट है कि अन्तर कहां और कितना है।

सिंचाई दरें इस कार्य के लिये नियुक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के अधिक अथवा कम उपजाऊ होने पर, विकसित अथवा अविकसित होने पर और नहरों में पानी की उपलब्धता की दृष्टि से निर्धारित की गई हैं।

(देखिये नत्थी १३०–१३२ आगे पृष्ठ पर)

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह समिति जिसकी चर्चा उन्होंने की है, कब मुकर्रर की गई और इसके सदस्य कौन-कौन थे जिन्होंने ये दरें निर्धारित कीं ?

श्री राममूर्ति—इसको तो पहले कई दफे बतलाया जा चुका है। १९४८–४९ में वह कमेटी बनी थी। उसके सदस्यों की फेहरिस्त तो इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आबपाशी की इन दरों में इतना अन्तर होने के कारण दोबारा कोई ऐसी कमेटी मुकर्रर करने पर विचार करेंगे जिससे वह इस अन्तर को कम कर सकने पर विचार कर सकें।

श्री राममूर्ति—यह पहले भी बतलाया जा चुका है कि जो अन्तर है वह इस वजह से नहीं है कि कहीं कहीं ऐसी परिस्थितियां हैं, बल्कि ऐसी जगहें हैं जहां दरिया का पानी कम होता है और समय से उपलब्ध नहीं होता उसके सिंहाज से ये दरें रखी गई हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो सूची प्रस्तुत की गई है इसमें आबपाशी की वह दरें कम कर दी गई हैं जो पिछले वर्ष कम की गई थीं या नहीं ?

श्री राममूर्ति—वह इसमें नहीं दी गई हैं। तीन आने रुपया जो कम किये गये हैं वे इसमें मुजरा नहीं किये गये हैं। जहां आप पढ़ेंगे ३२ रुपये वहां २६ रु० होना चाहिये।

*३८--श्री व्रजभूषण मिश्र--[स्थगित किया गया।]

हाई कोर्ट में विचाराधीन मुकदमें

*३९--श्री झारखंडेराय--क्या सरकार बतायेगी कि कितने मुकदमे हाईकोर्ट में अपील में साढ़े तीन साल से भी ज्यादा समय से पड़े हैं, और उनका निर्णय नहीं हुआ ?

श्री सैयद अली जहीर--

दीवानी	..	..	८,१८०
फौजदारी	..	..	१०१
		कुल	८,२८१

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय न्याय मंत्री जी बतालायेंगे कि फौजदारी के १०१ मुकदमों में कितने ऐसे हैं जिनमें जमानतें हो चुकी हैं और मुलजिम जमानत पर हैं। और कितने ऐसे हैं जिन्हें जेल में रहना पड़ रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर-- मेरे पास यह सूचना तो इस वक्त नहीं है लेकिन अमूमन यह होता है कि जिन मुकदमों में जमानत होती है वे जरा देर में सुन जाते हैं और जिनमें कैदी जेल में होता है उनको हाई कोर्ट बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश करता है।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय न्याय मंत्री जी बतलायेंगे कि उन्हें इस बात की सूचना है कि ऐसे फौजदारी के मुकदमे भी हाई कोर्ट में पैंडिंग हैं जिनमें मुलजिम अदालत में हैं और जिनकी सजायें करीब-करीब खत्म होने को हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं। ऐसी इत्तिला मेरे पास नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी जिनके सबब से ये केस इतनी अधिक संख्या में साढ़े तीन साल से पैंडिंग हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--मेरे ख्याल में मुकदमों की बहुत तादाद बढ़ गई है। यही इसकी वजह है।

श्री बलवन्तसिंह--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि क्या-क्या ऐसी बातें पैदा कर दी हैं जिससे एरियर्स कम हो जायं ?

श्री सैयद अली जहीर--हाई कोर्ट से कई दफा यह दरख्वास्त की गई है कि वह मुकदमों का फैसला जल्दी करे और वे बराबर इस कोशिश में लगे हैं। चुनांचे अभी जो चीफ जस्टिस ने स्टेप्स लिये उसकी वजह से रिट एप्लीकेशंस करीब-करीब खत्म हो गई हैं, और वे बराबर इसी कोशिश में हैं कि क्रिमिनल एपील्स जहां तक हो सके उनका फैसला हो जाय। लेकिन सिविल मुकदमे बहुत पड़े हुए हैं और उम्मीद है कि जब क्रिमिनल अपील्स का फैसला हो जायगा तो सिविल मुकदमों के बारे में भी वे कोशिश करेंगे और उनकी तादाद घट कर ऐसी हो जायगी जो नार्मली रहती है, उतनी रह जायगी।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार हाई कोर्ट में कुछ जज और बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—यह मामला केन्द्रीय सरकार के मुताल्लिक है। इसलिये मैं इसका कोई इस वक्त जवाब नहीं दे सकता।

लालडिग्गी तथा मलौनी बांध जांच कमेटी की रिपोर्ट की मांग

*४०—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार बतायेगी कि लाल डिग्गी बांध तथा मलौनी बांध जांच कमेटी की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य— जी हां।

*४१—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बतायेगी कि उस रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर कब तक रखी जायेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—रिपोर्ट की प्रतियां पहिले मंत्रिमंडल के सम्मुख रक्खी जायेंगी, उसके पश्चात् उनको सदन की मेज पर रखने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय निर्माण मंत्री यह बतलायेंगे कि उन रिपोर्टों की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मुख्य बातों का जिक्र पहले भी यहां सदन के सम्मुख आ चुका है। मलौनी बांध के सम्बन्ध में इस रिपोर्ट में यह जिक्र था कि वह बांध तो जो वर्षा हुई थी उससे रोका नहीं जा सकता था। इसकी सम्भावना नहीं थी लेकिन यदि उसमें कुछ पीछे वाला बांध बांध दिया जाता तो हानि कम होती। और यह जो लाल डिग्गी वाला बांध है इसके सम्बन्ध में रिपोर्ट यह हुयी है कि इसमें वैभागिक दृष्टि से कोई कमी नहीं थी। और दोनों बांधों के सम्बन्ध में यह रिपोर्ट थी कि उनका रखरखाव उचित और सही ढंग से किया गया है।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस पर मंत्रिमंडल में कब तक विचार होने और सदन में उसकी बातें आने की सम्भावना है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह तो कहना कठिन है। अभी तो मंत्रिमंडल के सामने जा रही है, और उसके पश्चात् यह निर्णय होगा कि वह सदन के सम्मुख रखी जाय या नहीं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि जिनके कारण यह रिपोर्ट बहुत पहले तैयार की जाने के बाद अब तक मंत्रिमंडल के सामने पेश नहीं की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, यह ख्याल गलत है कि रिपोर्ट बहुत पहले तैयार हुई। अभी तो बाढ़ को ही बहुत दिन नहीं हुए, और जाहिर बात है कि बाढ़ का काम तो तात्कालिक था उसके समाप्त होने के बाद ही जांच शुरू हुई। इसलिए कोई बहुत ज्यादा देर हो गयी हो ऐसी बात नहीं है।

श्री व्रजभूषण मिश्र— क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि लाल डिग्गी बांध टूटने का मुख्य कारण यह हुआ कि जो आजमगढ़ शहर से स्टेशन को सड़क जाती है वह ऊंची कर दी गयी जिससे पानी एक जगह पर ज्यादा इकट्ठा हो गया ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। बात यह है कि रिपोर्ट आपके सामने आयी नहीं। तब तक वह कोई निश्चित चीज नहीं बता सकते।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह लाल डिग्गी और मलौनी बांध के सम्बन्ध में रिपोर्ट सरकार को किस तारीख को प्राप्त हुई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

लखनऊ में नवाब सआदत अली खां के मकबरे से गुजरने वाले मार्ग के बन्द होने की जांच

*४२—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार प्रश्न संख्या ५१, दिनांक ६-१२-१९५५ के सम्बन्ध में बतायेगी कि लखनऊ में स्थित ऐतिहासिक स्थान, नवाब सआदत अली खां के फाटक में होकर जो आम रास्ते को अनधिकृत तरीके से बन्द कर दिया गया है, उसकी जांच किसके द्वारा कराई जा रही है और यह जांच कब से प्रारम्भ की गई है।

श्री कैलाशप्रकाश—यह जांच प्रशासक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा कराई गई है। जांच जून, सन् १९५४ में प्रारम्भ की गई थी।

*४३—श्री जोरावर वर्मा—क्या यह सत्य है कि इस सम्बन्ध में सन् १९५४ में इन्सपेक्टर पुलिस द्वारा जांच हो चुकी है ? यदि हां, तो उनकी क्या फाइंडिंग्स हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश— सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

*४४—श्री जोरावर वर्मा— क्या यह सत्य है कि दिनांक २-६-१९५५ को डी० आई० जी० पुलिस और District Government Counsel (Cr.) ने १७-५-१९५५ को अपनी-अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, और Encroachment करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की (Legal action) सलाह दी है ? क्या सरकार इनकी (findings) को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—केवल डी० जी० सी० की रिपोर्ट दिनांक १७-५-५५ को इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा आई है जो सरकार के विचाराधीन है, और जिसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखना अभी उचित प्रतीत नहीं होता है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी ने इसकी सूचना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से मांगी है कि उसने यह रिपोर्ट सी० आई० डी० के द्वारा मंगायी थी ?

श्री सैयद अली जहीर—इसकी तो कोई जरूरत नहीं मालूम होती कि यह पता लगाया जाय कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने किस के जरिये से जांच करायी थी ?

श्री जोरावर वर्मा— क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह रिपोर्ट उन्हें कब मिली और इस पर विचार कब तक हो जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर—यह रिपोर्ट तो कुछ मुद्दत से है सरकार के पास। लेकिन इसको हमारे ला डिपार्टमेंट में एग्जामिन किया जा रहा है, और मेरा ख्याल है कि शीघ्र ही इस पर फैसला हो जायगा ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह फाटक कितने दिनों से बन्द किया गया है, और ऐसे कौन से कारण हो गये हैं जिनकी वजह से यह अभी तक खोला नहीं जा रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर—मेरे ख्याल में यह सन् १९५४ में आयी है। उसके लगभग बन्द हुआ होगा। उसी के बाद से जांच हो रही है, और जैसा कि मैंने कहा इन्क्वायरी कायम हुई है, इन्क्वायरी खत्म हो जाय तो फैसला किया जायगा कि आया वह गलत बन्द है या ठीक बन्द है, वह हक है या नहीं, वह सब बातें तय हो जायंगी।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वहां के निवासियों की ओर से कई प्रार्थना-पत्र मिले हैं कि उस फाटक के बन्द होने के कारण उन लोगों को आने-जाने में बड़ी असुविधा है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, दरख्वास्तें कुछ-कुछ आयी हैं इस सम्बन्ध में।

सचिवालय में सूचना विभाग के कर्मचारियों की ग्रेडेशन लिस्ट

*४५—श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—क्या यह सच है कि सचिवालय के सूचना विभाग के कर्मचारियों की कोई ग्रेडेशन लिस्ट विभाग में नहीं रखी जाती ? यदि हां, तो क्यों ?

सूचना मंत्री के सभा सचिव (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)— जी नहीं।

*४६—श्री कृष्णशरण आर्य—यदि लिस्ट है तो वह किस आधार पर तैयार की गई है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—यह ग्रेडेशन लिस्ट साधारणतया इस विभाग में कार्यभार सम्हालने की तिथि के आधार पर ही बनायी गयी है। परन्तु लघु श्रेणी सहायकों को उच्च श्रेणी सहायक पद पर पदोन्नति देने के लिये एक ग्रेजुयेट सहायक की एक वर्ष की सेवा, एक नान-ग्रेजुएट सहायक की तीन वर्ष की सेवा के बराबर मानी जाती है।

कार्य-क्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना दे देना चाहता हूं कार्यक्रम में परिवर्तन के सम्बन्ध में। चूंकि कल सदन कोई कार्य न करके उठ गया इसलिए महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर वादविवाद आज और कल होगा बजाय कल और आज के, यानी २१ और २२ को। और २३ को पूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद होगा, और २४ को वार्षिक बजट उपस्थित किया जायगा। और उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रस्ताव यहां आया है जो आज इसमें नहीं आया, शायद कल वह पेश होगा। क्योंकि उन्होंने तो मुझसे कल के लिए कहा था कि कल उपस्थित करेंगे, लेकिन मैं सूचना सदन को दे देना चाहता हूं कि शनिवार को सदन बैठे और उस रोज यह पूरक अनुदानों के ऊपर मतदान हो। यह कार्यक्रम निश्चित किया जाय।

असरकारी कार्य के लिये निर्धारित दिनों में सरकारी कार्य करने के सम्बन्ध में संकल्प

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हूं—

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ प्रोसीजर आफ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव एसेम्बली) के नियम १८ के अनुसार फरवरी २४, १९५६, उस महीने का चौथा शुक्रवार तथा मार्च ९ और २३, १९५६ उस महीने के क्रमशः दूसरे तथा चौथे शुक्रवार होने के कारण उक्त दिनों में असरकारी कार्य की अग्रगामिता (प्रिसीडेंस) होगी, किन्तु १९५५–५६ के द्वितीय अनुपूरक अनुदान तथा १९५६–५७ के आय-व्ययक एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयकों को ३१ मार्च, १९५६ ई० के पूर्व पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह संकल्प किया जाता है कि फरवरी २४ व मार्च ९ और २३, १९५६ ई० को पड़ने वाले शुक्रवार, असरकारी कार्य के स्थान पर सरकारी कार्य के लिए निश्चित किये जायं।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ ज्यादा बयान करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस सदन का पहले भी बजट के जमाने में ऐसा दस्तूर रहा है कि शुक्रवार के दिन, और कभी-कभी शनिवार के दिन भी सदन बैठ जाता रहा है। मुझे आशा है कि सदन इस संकल्प को पारित करेगा। जहां तक असरकारी दिनों की बात है, उनके लिए आगे मौका निकालने में कोई दिक्कत नही होगी।

श्री अध्यक्ष--मैं मुख्य मंत्री जी से पूछ सकता हूं, क्योंकि भाषा का सवाल है और वह साहित्य के पंडित हैं, कि इसमें सही शब्द कौन सा होगा, चौथी लाइन में "उस महीने का चौथा सोमवार" लिखा है वह "इस महीने का" होना चाहिये, क्योंकि फरवरी का महीना चल रहा है, या "उस महीने का" होना चाहिये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--"इस महीने का" हो तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष--ठीक है, तो "इस" कर दिया जायगा "उस" की जगह पर।

*श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, जहां तक शुक्रवारों का सवाल है माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि हमको दूसरे शुक्रवार दिये जायंगे असरकारी दिन के लिए। लेकिन इसमें यह लिखा हुआ है कि ३१ मार्च को हमारा बजट पास हो जाना है, इसलिए यह आवश्यक हो गया है। हमारी सूचना यह है कि अबकी फाइनेंस कमेटी में भी माननीय वित्त मंत्री जी ने कुछ इस बात का आश्वासन सा दिलाया था कि अगर मौका लगा तो "वोट आन एकाउंट" की प्रथा इस प्रदेश में जारी की जायगी। क्योंकि समय बहुत कम है और हमारी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आ रही है उसके बहुत से आइटम्स पर अभी तक फाइनेंस कमेटी कोई विचार नहीं कर पायी है, और यह भी शायद कहा था कि हमारी गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है कि "वोट आन एकाउंट" की बात हो सके तो की जाय, और काफी समय तक, अप्रैल या १० मई तक, बजट पर बहस चल ही सकती है और सारी चीजों पर बहस करने का मौका मिल जायगा। क्योंकि प्रदेश बड़ा है और बजट के आइटम्स बड़े हैं, इसलिए ज्यादा समय की आवश्यकता होगी ही। पुराने नियम के अनुसार बहस के लिए केवल १६ दिन ही मिलते थे। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस प्रश्न पर विचार किया है कि "वोट आन एकाउन्ट" ३१ मार्च तक कर लिया जाय और बाद में उस पर बहस कर ली जाय? अगर किया है तो फिर शुक्रवार के सम्बन्ध में हमें कोई एतराज नहीं होगा, जैसी पुरानी प्रथा थी उसके अनुसार हमें और दिन उस कार्य के लिए मिल सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करके बताने की कृपा करेंगे।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)--अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि गुजिश्ता साल बजट के मौके पर गुफ्तगू चली थी। शायद मैं गलत नहीं हूं, तो गवर्नमेंट ने कुछ कंसीडर करने का वादा किया था कि तीन दिन जो जनरल डिबेट के लिए मिलते हैं आम बहस के लिए वह काफी नहीं होते, और यह उम्मीद की जाती थी कि उसको ४ दिन कर दें, ताकि इस ऐवान के माननीय सदस्य पूरे तरीके पर उसमें हिस्सा लें सकें।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह इससे ताल्लुक नहीं रखता। यह तो जब डिस्कशन का वक्त आये उस वक्त कहियेगा।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--पहले से कन्सीडर करके आप अगर तय कर लेंगे तो आसानी होगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—जनरल डिस्कशन के बारे में जो नियम में दिया हुआ है वह इस प्रकार है :

"On a day or days to be appointed by the Speaker subsequent to the day on which the budget is presented and for such time not exceeding three days as the Speaker may allot for this purpose the House will be at liberty to discuss the budget as a whole".

यह १५२ नम्बर का नियम है, उसमें दिया हुआ है कि तीन रोज ही अधिक से अधिक हो सकते हैं। लेकिन अगर आप नियम में परिवर्तन कर लें और सरकार को राजी कर लें और सदन से स्वीकृति ले लें तब यह चीज आ सकती है।

†श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की इस सम्बन्ध में कठिनाइयों से पूर्णतया परिचित हूं कि उन्हें इस बात की आवश्यकता महसूस होती है कि बजट का कार्य अधिक गति विधि से आगे चल सके, और मैं यह भी मानता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस सदन की भावनाओं से भी अच्छी तरह से परिचित हैं कि सदन यह चाहता है कि हम बजट पर अधिक से अधिक और उचित दृष्टिकोण से विचार-विमर्श कर सकें। तो हमें इस संकल्प में इन सभी भावनाओं का प्रतिपादन करना है और इस संकल्प को इसी दृष्टिकोण से पारित करना है। मैं फाइनेन्स कमेटी का भी सदस्य हूं और मैं समझता हूं कि फाइनेन्स कमेटी में क्या हुआ, जब तक असाधारण स्थिति न हो उसके सम्बन्ध में प्रकाश डालना उचित नहीं होता। लेकिन इतना मैं मुख्य मंत्री जी को अवश्य याद दिलाना चाहता हूं कि फाइनेन्स कमेटी, जो न्यु आइटेम्स आफ एक्सपेंडीचर हैं, उन सब पर अभी तक विचार नहीं कर पायी है और प्लान आइटेम्स पर अधिकतर विचार नहीं कर पायी है। यह स्थिति उनको सोचनी होगी कि फाइनेन्स कमेटी को भी अभी इन सप्लीमेंटरी आइटेम्स पर विचार करना है। तो इस दृष्टिकोण से भी कि फाइनेन्स कमेटी को विचार करना कितना आवश्यक होता है, और खासतौर पर जब कि प्लान आइटेम्स या और प्लान अभी बन ही नहीं पायी है इसलिये और भी आवश्यक हो जाती है कि फाइनेन्स कमेटी उनकी जांच करे। तो मैं इस स्थिति की ओर माननीय मुख्य मंत्री जी का अवश्य ध्यान दिलाना चाहता हूं और यह उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्ष वह इसको देखते हुए कि स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन बिल पर भी हमको मार्च में विचार करना है। समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि २० मार्च के पहले तक हमको स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन बिल पर राय देनी है। इसके अलावा होली की छुट्टियां भी शायद २३ मार्च से हो जायेंगी, तो इन तीनों बातों को देखते हुये अगर हम वोट आन एकाउन्ट को मन्जूर कर लें तो मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी और इस सदन, दोनों की मनःकामनायें पूरी हो जायंगी।

† श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा और सम्मानित सदस्यों ने भी कहा कि परम्परा है। उस सम्बन्ध में आपके द्वारा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी कोई परम्परा नहीं है कि जितने गैर सरकारी दिन हों वे सब सरकारी दिन में परिणत कर दिये जायं। परिस्थिति विशेष वश आवश्यकता को देखते हुये यदि कभी ऐसा हुआ है तो उसके लिये बाद में दिन दिये गये हैं। तो अब मैं ऐसा देखता हूं तो आपसे निवेदन करता हूं कि गैर सरकारी दिनों को सरकारी दिनों में परिणत करने की जो एक परम्परा और परिपाटी सरकार बना रही है उसका विरोध हमारे द्वारा होना चाहिये और आपको भी ऐसे प्रस्ताव लाने की आज्ञा नहीं देनी चाहिये। यह मेरा निवेदन आप से है। बाकी, श्रीमन्, जहां तक मेरी जानकारी है १११ आइटेम्स अभी फाइनेन्स कमेटी के सामने नहीं आये। यह बड़ा वैधानिक प्रश्न होगा कि जो १११ आइटेम्स फायनेन्स

† वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

कमेटी के सामने नहीं आये, यानी उन पर फायनेन्स कमेटी ने विचार नहीं किया, उन पर इस सदन में वाद विवाद हो और ग्रांट्स को मांगा जाय। यह प्रश्न जब बजट प्रस्तुत होगा उस समय में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इस संबंध में मैं इधर-उधर से, क्या परम्परा है, इसकी जानकारी हासिल कर रहा हूं। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जो प्रस्तुत प्रस्ताव है उसको अनुपयुक्त समझता हूं, क्योंकि सदन जब तक इस पर विचार न कर ले, और यह वैधानिक प्रश्न हल न हो जाय कि फायनेन्स कमेटी जब तक इस पर अच्छी तरह से विचार न कर ले और अपनी सम्मति न दे दे और स्वीकार न कर ले, तब तक सदन में ग्रान्ट्स के लिये समय निर्धारित हो और हम अपनी सम्मति दे या नदें। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसको वापस लें और जब मूल बजट प्रस्तुत हो जाय और वैधानिक बातों पर सम्मानित सदस्य विचार कर लें तब आवश्यक हो तो एक शुक्रवार या दो शुक्रवार या कितना समय देंगे, इस पर अच्छी तरह से विचार करके वह प्रस्ताव रखें तो उस पर विचार किया जाना चाहिये। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसको वापस लें लें। कोई जल्दी नहीं है, हम आगे इस पर विचार कर सकते हैं।

श्रीमन् नियमावली के नियम १५३ को देखा जाय। वह इस प्रकार है कि:—

"153. *Voting of Demands*—(1) The voting of demands for grants shall take place on such days (not exceeding twenty) before 10th of May every year as the Speaker may, in consultation with the Leader of the House, allot for the purpose."

इस नियमावली में १० मई तक हमको जितनी मांगें हैं उन पर सम्मति देने के लिये समय है। इसलिये ऐसी कोई बात इस नियामावली को देखते हुये हम समझते हैं कि अनिवार्य स्वरूप नहीं कही जा सकती कि ३१ मार्च से पहले ही पहले इसको पास कर दिया जाय। अगर जरूरी है तो १० मई तक रखने का प्रश्न कोई नहीं मालूम होता और यह व्यर्थ हो जाता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि आप इसको अच्छी तरह से मनन करें और बाद में व्यवस्था दें। मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस समय अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।

* डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, आप को क्या करना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये, किस चीज की इजाजत देनी चाहिये और किस चीज की इजाजत नहीं देनी चाहिये, इस पर यदि मैं कोई सलाह आप को दूं तो यह मेरी बहुत बड़ी गुस्ताखी होगी और मैं ऐसा करना चाहता भी नहीं। लेकिन अभी ऐसा मालूम हुआ है कि माननीय राजनारायण जी भविष्य में किसी दिन कोई वैधानिक प्रश्न उपस्थित करेंगे। उस दिन क्या होगा और आज के दिन और उस दिन के बीच में क्या-क्या बातें होंगी उनका मुझे ज्ञान नहीं है, और इस सम्बन्ध में कुछ कहना भी नहीं चाहता हूं। हो सकता है कि परम्परा शब्द का इस्तेमाल मैंने ग़लत किया हो और मेरा यह दावा भी नहीं है कि मैं हिन्दी का बहुत अच्छा ज्ञाता भी हूं। मेरे कम ज्ञान का सबूत तो यह है कि मैं "इस" और "उस" का प्रयोग ठीक तरह से नहीं कर सका इस संकल्प को प्रस्तुत करने में। बहरहाल, मैं ऐसा कहूं या कोई कहे कि जितने भी शुक्रवार हैं वह सब गायब करके आफीशियल दिन बना दिये जायं तो जरूर गलत बात होगी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता होती रहती है और उसी आधार पर मैंने सदन के सामने यह संकल्प रखा और साथ ही यह भी वचन दिया कि इन दिनों के बदले हम दूसरे नाम आफीशियल दिन जरूर निकालेंगे।

माननीय उपाध्याय जी ने और नारायणदत्त जी तिवारी ने जो बात कही, वह सिद्धान्ततः बिल्कुल सही है। इस कानूनी बहस में मैं नहीं पड़ता कि बगैर फायनेन्स कमेटी के सामने आये हुये कोई आइटम सदन के सामने रखा जा सकता है या नहीं ? माननीय सदस्य

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और इस पर मेरी तरफ से किसी तरह का प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है। फाइनेंस कमेटी का सदस्य न होते हुये भी यह मुझे मालूम है कि जो प्लान की मदें हैं उन पर फाइनेंस कमेटी में विचार नहीं हो सका है। यह भी मैं जानता हूं कि वोटिंग आन एकाउन्ट की प्रथा है, इस पर फाइनेंस कमेटी में विचार हुआ। मैं माननीय सदस्यों को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि हम लोगों ने इस सवाल पर विचार किया। मैं समझता हूं कि अब सदन इतना बड़ा हो गया है, हमारे कामों का जितना विस्तार हो गया है और आगे जैसा विस्तार होगा, उसको देखते हुए यह १४, १५ दिन की अवधि बहुत कम है और अधिक समय होना चाहिये, और वह तभी हो सकता है जब कि वोटिंग आन एकाउन्ट की प्रथा जारी की जाय। इस साल अगर हम इसको नहीं जारी कर सकते हैं तो उसके लिये तो मजबूरी है, और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य हमारी मजबूरियों को समझेंगे। अगर इस वक्त हम वोटिंग आन एकाउन्ट करायें ३१ मार्च तक, तो मई के महीने तक विचार हो सकता है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि पहले के हमारे कितने सरकारी और गैर सरकारी बिल पड़े हुए हैं। तो यह सोचने की बात होगी कि मई और जून के महीने में कब तक सदन का काम चलता रहे ? जैसा कि नारायणदत्त जी ने याद दिलाया, बहुत सम्भव है कि हमको स्टेट रिआर्गेनाइजेशन के सम्बन्ध में किसी बिल पर विचार करना पड़े। यों तो कायदा यह है, कि जहां तक मैं समझता हूं, कि उन्हीं राज्यों की विधान सभाओं के सामने वह बिल आयेगा जिनके ऊपर कि स्टेट रिआर्गनाइजेशन का कोई असर पड़ने वाला हो। मालम नहीं कि हमारे ऊपर कोई असर पड़ने वाला है या नहीं ? हम आशा जरूर करते हैं कि हमारे ऊपर कोई असर पड़ने वाला है और हमारा शायद कुछ विस्तार हो। अगर ऐसा हुआ तो उसके लिये हमें समय निकालना पड़ेगा। एक और चीज। ऐसा कहा जाता है और अब तक ऐसा ही ख्याल है कि शायद अगले साल जनवरी से लेकर मार्च तक किसी वक्त चुनाव हो। किसी भी पार्टी के सदस्य हों, सभी माननीय सदस्य इस बात को चाहेंगे कि चुनाव के पहले उनको काफी समय मिले, ताकि अपनी कांस्टीट्यूयेन्सी में जा कर वे काम कर सकें। इसके माने यह होंगे कि सचमुच अगर चुनाव होना है तो उसके काफी पहले सदन का काम बन्द कर दिया जाय, क्योंकि अगर सब लोगों को यहां कैद होकर बैठना पड़ा तो उससे असुविधा होगी। इन सब बातों को सोचकर हमने समझा है कि इस साल वोटिंग आन एकाउन्ट की प्रथा चलाने से सभी को असुसिधा होगी। इस काम में इतना समय लग जायगा कि जो और बिल हैं, जिनको हम चाहते हैं कि पारित कर जायं, संभव है उनके ऊपर विचार करने का समय न मिले। इस मजबूरी को समझ कर वोटिंग आन एकाउन्ट की प्रथा बहुत अच्छी होते हुए और यह मानते हुए कि हमको इसको चलाना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चल सकता इस साल के लिये हमने यह किया है। यह सही है कि जो प्लान्ड आइटम्स हैं उन पर फाइननेंस कमेटी विचार नहीं कर सकी है। विचार होता तो अच्छा होता, लेकिन मैं समझता हूं कि सदन में समय मिलेगा और जहां तक प्लान्ट आइटम्स की बात है, कुछ हद तक हम मजबूर हैं। फाइनेंस कमेटी के सदस्य भी जानते हैं कि हम मजबूर हैं। वह हमारे हाथ की बात भी नहीं रह गई है। इतने दिनों, महीनों की, हमारी और गवर्नमेंट आफ इंडिया की बहस के बाद उनकी एक सूरत पैदा हुई है। उन्होंने भी अपने यहां बजट पर कुछ रकमें रखी हैं, हमने भी रखी हैं, कुछ दूसरे स्टेट्स के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। एक फाइव इयर प्लान की शकल बन गयी है। तो हम कुछ बंधे हुए हैं। इन सब बातों को देखते हुए यह सब इस साल करना पड़ रहा है। यह कहना बहुत गलत होगा कि अगले साल हम वोटिंग आन एकाउन्ट की बात करेंगे। अगले साल पता नहीं कौन गवर्नमेंट होगी ? लेकिन कोई भी गवर्नमेंट हो, इस प्रथा को चालू करना ही पड़ेगा, और इस मजबूरी की हालत में मैं समझता हूं कि यह सदन जिस संकल्प को मैंने रखा है, उसको मंजूर करने की कृपा करेगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—एक जरा सजेशन है ..... ।

श्री अध्यक्ष—आप को थोड़ी देर में मैं समय दे दूंगा । अगर आप कुछ पूछना चाहते हों तो पूछें ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर वे पोस्टपोन न करें तो जो स्टैंडिंग कमेटीज अलहदा-अलहदा डिपार्टमेंट्स की हैं, उनके सामने जो नये आइटम्स गवर्नमेंट आफ इंडिया से प्लानिंग के आये हैं, उन पर स्टैंडिंग कमेटीज में विचार होना चाहिये । बजट पेश होने से पहले अगर ऐसा हो जाय तो ज्यादा सहूलियत हो जायगी ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप उसकी चर्चा बाद में कर दें, इस प्रस्ताव के सिलसिले में नहीं ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ प्रोसीजर आफ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव एसेम्बली) के नियम १८ के अनुसार फरवरी २४, १९५६, इस महीने का चौथा शुक्रवार तथा मार्च ९ और २३, १९५६ उस महीने के क्रमशः दूसरे तथा चौथे शुक्रवार होने के कारण उक्त दिनों में असरकारी कार्य की अग्रगामिता (प्रिसीडेंस) होगी, किन्तु १९५५-५६ के द्वितीय अनुपूरक अनुदान तथा १९५६-५७ के आय-व्ययक एवं तत्संबन्धी विनियोग विधेयकों को ३१ मार्च, १९५६ ई० के पूर्व, पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह संकल्प किया जाता है कि फरवरी २४ व मार्च ९ और २३, १९५६ ई० को पड़ने वाले शुक्रवार, असरकारी कार्य के स्थान पर सरकारी कार्य के लिये निश्चित किये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि "उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य, जो इस अधिवेशन में एकत्रित हुए हैं, श्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों को दिया है, कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करते हैं ।"

अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को उपस्थित करते हुए मुझे सचमुच ही बहुत खुशी है कि हमारे राज्य की प्रगति और विकास का जो लेखा राज्यपाल महोदय ने दोनों सदनों के समक्ष उपस्थित किया है वह हमारे लिये एक गर्व और गौरव की बात है । जिस प्रकार की सर्वांगीण उन्नति का दिग्दर्शन उस संक्षिप्त भाषण में किया गया है वैसी सर्वांगीण उन्नति कदाचित् उत्तर प्रदेश के अलावा देश के किसी अन्य राज्य को प्राप्त नहीं हुई । वह उन्नति जो हमारी मौजूदा पंचवर्षीय योजना में हुई है, इसके अलावा जो हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में करना चाहते हैं वह उससे भी अधिक संतोषजनक और उत्साहवर्द्धक है । यदि हम केवल कृषि उत्पादन के आंकड़ों को ही लें तो हमको ज्ञात होगा कि लगभग १४ प्रतिशत वृद्धि हमने उत्पादन में की है । जब कि हमारा वार्षिक उत्पादन ९९ लाख, ६० हजार टन था, उसके बजाय १९५४-५५ में १ करोड़ साढ़े १४ लाख टन का लक्ष हम प्राप्त कर चुके हैं । और सन् १९६१ में १ करोड़ ३४ लाख टन वृद्धि की हम आशा करते हैं । जो क्षेत्रफल हमारी कृषि का हमारे प्रदेश में है वह सन् १९४६ में जहां चार करोड़ एकड़ था, १९५४ में ४ करोड़ ५० लाख एकड़ हो गया । इसमें लगभग साढ़े १२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और २५ प्रतिशत की वृद्धि हमारे उस क्षेत्र में हुई है जिसकी आबपाशी नहरों और नलकूपों से हो रही है, यानी खेती के रकबे में साढ़े बारह प्रतिशत और सींचे हुए रकबे में २५ प्रतिशत बढ़ने में लगभग कुल उत्पादन में १४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और हमारे प्रदेश की कुल आय पर भी इसका प्रभाव पड़ा है । और जहां सारे देश की औसत आय प्रति व्यक्ति २४७ रुपया शुरू में थी वह अब

२८४ रुपया हो गई है, और हमारे प्रान्त में प्रति व्यक्ति की आय उससे अधिक है और वह लगभग ३१५ रुपया है, अर्थात् हमारे सूबे में औसत आमदनी सारे देश की तुलना से अधिक है। सारे देश में वह २८४ रुपया प्रति व्यक्ति है और उत्तर प्रदेश में वह करीब ३१५ रुपया है।

खेती की आमदनी में एक विशेषता यह है कि हमारे प्रदेश में उन फसलों की वृद्धि हुई है जिनका अभी तक अभाव था। हमने जूट और पटसन की खेती की वृद्धि इस प्रदेश में की है, हमने कपास की खेती की वृद्धि अपने सूबे में की है, और जहां हमारा लक्ष्य ४०,००० गांठों का था, वहां हम अब ५३ हजार कपास की गांठें उत्पन्न कर रहे हैं और आशा यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वह ४५५ हजार हो जायगी। ये अंक ध्यान देने योग्य हैं। जो ४० हजार गाठें थीं इस योजना के आरम्भ में वे बढ़कर ४५५ हजार गांठें हो जांयगी यानी दस गुने से अधिक कपास की वृद्धि की आशा हम अपने प्रदेश में करते हैं। यह इस बात का सूचक है कि हमारा प्रदेश किसी चीज में भी किसी प्रकार परावलम्बी नहीं रहेगा, न तो जूट में और न कपास में। मैं सिर्फ अपने अनुभव से कह सकता हूं कि केश क्राप्स, तिलहन जूट कपास से, जो नकद रुपया देने वाली खेती की चीजें हैं, उनके अलावा जो हमारे अन्न और खाद्य को पूरा करने वाली फसलें हैं उनमें भी आशातीत उन्नति हुई है। मैं अपने जिले की बात जानता हूं कि गेहूं की खेती में पांच छै मन बीघा एक अच्छी उपज मानी जाती थी। आज आप किसान से पूछिए हर एक किसान आप को बतावेगा कि वह दस बारह मन प्रति बीघा गेहूं की उपज करता है, यानी उपज दूनी हो गई है। किसान इन्कार नहीं करता कि उसको खेती से लाभ हो रहा है, और इसका परिणाम यह है कि आप गांवों में आज समृद्धि के लक्षण देखते हैं। गांवों में जहां जाइये आपको नई इमारत दिखलाई देंगी। या तो आपको गांवों में सौ वर्ष पहले के कुछ अच्छे मन्दिर, घाट या कुयें मिलेंगे और या आप को पांच वर्ष के अन्दर के मिलेंगे। स्कूल मिलेंगे, कुयें मिलेंगे, नये मकान मिलेंगे, हवेलियां तक आप को दिखाई देंगे। यह जो गांव में अभ्युदय और सम्पन्नता हुई है उसको कोई भी देख सकता है। कोई आंकड़ों की आवश्यकता नहीं है, इन आंखों से यदि आप जाकर गांवों में दर्शन करें तो आपको सम्पन्नता के ये दृश्य दिखलाई देंगे। अध्यक्ष महोदय, यदि आज हम उस प्रगति और सम्पन्नता के चित्र के लिये जो राज्यपाल महोदय ने दोनों सदनों के सामने उपस्थित किया है, उनको धन्यवाद दें तो यह उचित है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कुछ और आंकड़े सदन के सामने मैं उपस्थित करूंगा और आंकड़ों से भी अधिक कुछ तथ्य उपस्थित करूंगा जो हमारे लिये विचारणीय हैं। यह जो बड़ा अन्तर हुआ है यह अंग्रेजी राज्य और स्वतंत्रता आने के बाद जो हमारे पांच सात वर्ष स्वतंत्रता के बीते हैं उनमें एक महान् परिवर्तन का सूचक है। अंग्रेजी राज्य में कुछ थोड़े से शहर भले ही बन गये थे, लेकिन गांव हमारे उजाड़ हो गये थे, और उसी प्रकार के उजड़े हुये गांवों के हमें यहां दर्शन होते थे जिनका रोना उस अंग्रेज कवि ने 'डेजर्टेड विलेज' में खुद इंग्लैन्ड के बारे में रोया है। इंग्लैंड में गांवों की अवनति १८वीं शताब्दी में हुई थी और हमारे यहां गांवों की अवनति १९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और २०वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में हुई और जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि इधर सौ वर्षों में कोई चीज गांवों में नहीं बनी थी, गिरी भले ही थीं। शहरों में जहां एक चमक-दमक उद्योग धंधे थे, शिक्षा थी, वहां उनके प्रतिकूल गांवों में अंधकार था, निरक्षरता थी दरिद्रता थी। यह चित्र मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले वर्षों में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उलटने लगा है और गांवों में फिर सम्पन्नता के लक्षण दिखलाई देते हैं। अभी मैं आपको आंकड़े दूंगा कि १९४६ में हमारे गांवों की और शहरों की आमदनी उत्तर प्रदेश में क्या थी। उत्तर प्रदेश में सन् १९४८–४९ में नगरों की आबादी ९९ लाख थी। और आमदनी ६,६९३ करोड़ थी। औसत प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति ७०० रुपये आता था और गांवों में आबादी ५ करोड़ थी। आमदनी ९६२ करोड़ थी। औसत आता था १९२ रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष। गांवों की आमदनी १९२ रु० और शहरों की आमदनी ७०० रु०, यह विषमता थी, जो कि सन् १९४८–४९ में हमारी इस पहली पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ होने से पहले हमारे प्रदेश में

[श्री रामस्वरूप गुप्त]

थी। वह औसत आमदनी आज जो २७६ रु० नगर और गांवों को मिलाकर सन् १९४८-४९ में थी उसमें लगभग १५ प्रतिशत वृद्धि हुई और अब वह ३१५ रु० हो गई है।

अध्यक्ष महोदय, यह तो खेती के सम्बन्ध में मैंने आपके सामने उन्नति और प्रगति के कुछ आंकड़े उपस्थित किये। खेती के बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज जो गांव की उन्नति के लिये हो सकती है वह पशुपालन और ग्राम उद्योगों की है। मैं इस सदन को बधाई देता हूं कि इन दोनों बातों की ओर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्याप्त ध्यान दिया है। पशुपालन के सम्बन्ध में आपका राज्य सबसे पहला राज्य है कि जिस ने दोनों बातों को एक साथ अपने यहां कार्यान्वित किया। एक ओर से गो-बध निषेध किया गया और दूसरी ओर गो संवर्द्धन, गायें और पशुओं की रक्षा के लिये और उन्नति के लिये सारे उपाय किये गये। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में हमें बतलाया है कि गो संवर्द्धन और गायों की रक्षा के लिये तीन गोसदन अभी तक हमारे प्रदेश में थे। वहां द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उनकी संख्या ७० हो जायगी। तो गो संवर्द्धन समिति जो सरकार की ओर से स्थापित हुई उसने बड़ी उपयोगी सिफारिशें इस सम्बन्ध में कीं। इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार प्रयत्नशील है। कुछ सुझाव देना मैं इस सम्बन्ध में आवश्यक समझता हूं और वह सुझाव यह है जैसा पिछले वर्षों में हमने एक आन्दोलन उठाया था "अधिक अन्न उपजाओ" और उसमें हमको सफलता हुई। इसी प्रकार से इस वक्त यदि अपने पशुधन की हमें उन्नति करनी है, और जैसा मैंने कहा खेती के बाद दूसरा सब से बड़ा आर्थिक सम्पन्नता का हमारा साधन पशुधन है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में 'अधिक चारा उपजाओ', इस आन्दोलन की आवश्यकता है, और इस सम्बन्ध में सबक सीखना है, हमें एक उदारहण लेना है, और अपने मिले हुए प्रदेश पंजाब से, जहां पशुओं की नस्ल और उनके दूध का औसत इसलिए अधिक है कि वहां उनको हरा चारा मिलता है जिसका अभी तक हमारे उत्तर प्रदेश में सर्वथा अभाव है। उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने मुझे मालूम है कि ९० प्रकार के नये चारों की, जो पौष्टिक चारे हैं उनकी खोज की है। लेकिन वह अभी किसान के घर नहीं पहुंचे हैं। अभी वह उसके खेत का हिस्सा नहीं बन पाये हैं। इसका परिणाम यह है कि हमारा पशुधन अभी बहुत टूटी और कमजोर हालत में है। मैं आशा करता हूं कि जो सफलता हमको अधिक अन्न उपजाओ में पहली पंचवर्षीय योजना में मिली है उसी प्रकार की सफलता पशुओं के लिये अच्छे हरे और पौष्टिक चारे के उपजाने में अपने प्रदेश में हमको दूसरी पंचवर्षीय योजना में मिलेगी। समय थोड़ा है इसलिये मैं कुछ आवश्यक बातें कहना चाहता हूं ग्रामोद्योगों के बारे में।

अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में, अपने सम्बोधन में हमको यह सूचना दी है कि उत्तर प्रदेश के उद्योग-धंधों को बढ़ाने के लिये हम यहां एक फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी बनाने जा रहे हैं, और उस फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी में हमारे प्रान्त के उद्योगपति, हमारी व्यवस्थापक सभा के सदस्य, और दूसरे वे लोग होंगे जो इस विषय के विशेषज्ञ हों। मुझे मालूम है कि अभी कितना अवकाश और कितना मौका है उद्योग धंधों के विस्तार का, हमारे प्रान्त की अभी कितनी सम्पत्ति अविकसित पड़ी हुई है। हमारे खनिज पदार्थ, जो पृथ्वी के नीचे होते हैं और पृथ्वी के ऊपर होते हैं उन सब में अभी बड़ी गुंजायश है विकास और उन्नति की। उनके द्वारा अनेक प्रकार के उद्योग चलाये जा सकते हैं। इस फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह उन सारी औद्योगिक योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करे जिनकी सम्भावना उत्तर प्रदेश में है। मैं इस बात को मानता हूं कि बुनियादी उद्योग और बड़े उद्योग, जिनके विकास की हमें जरूरत है, जो हमारे प्रदेश में विकसित किये जा सकते हैं। लोहा, सीमेंट, बिजली, यातायात के साधन ये सारे बड़े और बुनियादी उद्योग हैं जिनका विकास किये बिना और किसी प्रकार की औद्योगिक उन्नति नहीं हो सकती। एक ओर जहां हमें इस बात की आवश्यकता है, अध्यक्ष महोदय, वहां मैं यह भी चाहता हूं कि इससे भी अधिक विकास की ओर

विस्तार की गुंजायश है छोटे उद्योगों में। और उन छोटे-छोटे उद्योगों का जब हम एक सामूहिक परिणाम सोचें तो उन बड़े उद्योगों से वे कई गुना अधिक हो जाते हैं। हमारे प्रदेश में गांव-गांव में चमड़े का उद्योग, तेल घानी का उद्योग, गुड़ का उद्योग, ताड़ गुड़ का उद्योग, बर्तनों का उद्योग, इन सारे उद्योगों के विकसित करने का क्षेत्र है। लेकिन इनकी तरफ समुचित ध्यान नहीं है। उदाहरण के लिये हम एक वर्तन का ही उद्योग लें। उत्तर प्रदेश में पौटरी का एक अच्छा उद्योग खुर्जा में है। जहां इसी सरकार के प्रयत्न से उसकी उन्नति हुई है। बहुत अच्छे क़िस्म के बर्तन वहां बनने लगे हैं। लेकिन आज बाजार में आप देखने जायं तो आप को खुर्जा की पौटरी नहीं मिलेगी और दूर-दूर के देशों की पौटरी मिल जायगी। यह बात तब है जब कि अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहता हूं कि इनमें से बहुत से उद्योग विदेशी उद्योगों से और अपने देश के उद्योगों से मुकाबला करते हैं, क़ीमत में भी और किस्म में भी दोनों में मुकाबला करते हैं। लेकिन आज तक हमें न तो यह बात मालूम ही है और न इस बात की तरफ़ हमारी भावनायें ही जाग्रत हुईं। आवश्यकता है अध्यक्ष महोदय, कि हम पुनः इन ग्रामीण उद्योगों के संरक्षण की, इनके पैट्रोनेज की, और स्वदेशी भावना को जाग्रत करें। तभी ये ग्राम उद्योग सफलता-पूर्वक चल सकते हैं। इनके द्वारा हम लाखों आदमियों को, करोड़ों आदमियों को रोजगार देने की आशा करते हैं। लेकिन वह रोजगार तो हम तब दे सकेंगे और बेकारी तो हम तब दूर कर सकेंगे जब उनकी खपत का प्रयत्न करेंगे। इस समय औद्योगिक विकास में हमारा आग्रह ज्यादातर ट्रेनिंग पर है, प्रशिक्षण पर है, लेकिन मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रेनिंग ही किस काम आवेगी अगर ट्रेनिंग पाने के बाद वह शिक्षार्थी माल को न बनावे अथवा बनावे भी तो उसकी खपत न हो सके? अगर माल की खपत हो जाय तो ट्रेनिंग तो हमारे यहां आप जानते हैं जातिगत पेशे हैं उनको स्वभावतः उस बात की शिक्षा है, और अपरेंटिसशिप सिस्टम से ट्रेनिंग पा सकते हैं। सदियों से प्राप्त की हुई कारीगरी उनके पास है, वे अपनी कारीगरी को तो सुधार सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, शीघ्रता में मुझे ये बातें कहनी पड़ रही हैं। मैं बधाई देता हूं कि हमारी उत्तर प्रदेश की उस समस्या का भी हल करने का सरकार ने प्रयत्न किया है जो विशेषकर हमारे ही प्रदेश की भीषण समस्या है, और वह है बाढ़ की समस्या! बाढ़ का सब से अधिक भयानक रूप उत्तर प्रदेश में है और बिहार में धारण करती है। इस बाढ़ नियन्त्रण की योजना के लिये २७ करोड़ रुपये की सिफ़ारिश उत्तर प्रदेश के लिये की गई है। बाढ़ के नियन्त्रण से दुहरा लाभ है। एक तो खेती विनाश होने से बचती है, दूसरे नई खेती की सिंचाई के लिये हमें पानी मिलता है.....

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य का समय अब समाप्त हो गया है।

श्री रामस्वरूप गुप्त—क्या प्रस्तावकर्त्ता को कुछ अधिक समय नहीं दिया जा सकता?

श्री अध्यक्ष—नियम में २५ मिनट ही दिया हुआ है। आप अपना वाक्य समाप्त कर लें।

श्री रामस्वरूप गुप्त—अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत थोड़े में कुछ बातों के बारे में जिक्र कर सका। राज्यपाल महोदय ने हमारे प्रान्त की, हमारे प्रदेश की प्रगति और उन्नति के बारे में जो कहा है उसके लिये मैं पुनः इस सदन की ओर से उनको कृतज्ञता प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसका समर्थन करेगा।

श्री शिवमंगलसिंह कपूर (जिला बस्ती)—श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जो विधान मंडल के दोनों सदनों में दिया गया है, उक्त सम्बोधन पर मैं कृतज्ञता पूर्ण धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं और समर्थन कर रहा हूं। श्रीमन्, परम्परागत प्रथा है कि राज्यपाल महोदय बजट सत्र का समारम्भ करते हैं। यह केवल

[श्री शिवमंगल सिंह कपूर]

बजट सत्र की दृष्टि से ही नहीं है बल्कि इस दृष्टि से भी कि इस अवसर पर गत वर्ष के विविध सरकारी कार्यकलापों का लेखा-जोखा तथा भावी कार्यक्रम और अगले वर्ष की विभिन्न योजना की रूपरेखा भी सामने आती है और उनके अभिभाषण में चालू वर्ष की तुलनात्मक समीक्षा के साथ-साथ भावी नीति और कार्यक्रम पर भी प्रकाश पड़ता है। सदन को तथा जनता को उससे भावी दिशा का संकेत मिलता है। इसी दृष्टि से इस अभिभाषण का विशेष महत्व होता है और अभिभाषण के प्रति जिज्ञासा तथा उत्सुकता रहती है, लेकिन यदि उससे इन आशाओं की पूर्ति न हो तो फिर इस भाषण को केवल परम्परा की लकीर पीटना मात्र ही कहा जायगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप लिखित भाषण न दें।

श्री शिवमंगलसिंह कपूर—लिखित भाषण नहीं है। ये प्वाइन्ट्स हैं महाराज।

परन्तु देखा जाय तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भावी नीति, नवीनता और कार्यक्रम पर विशेष प्रकाश पड़ता है। साथ ही पिछले कार्य का भी सिंहावलोकन किया गया है। अभिभाषण से राज्य के चतुर्मुखी विकास का आभास मिलता है। श्रीमान् जी, आपकी आज्ञा से इस प्रान्त की कांग्रेस सरकार ने सात वर्षों के अन्दर जो चतुर्मुखी विकास किया है उसके कुछ फिगर्स संक्षेप में आपके सामने रखना चाहता हूं। सरकार ने जो प्रयत्न किया है उसकी वजह से आर्थिक प्रगति बढ़ती चली आयी है। कुछ क्षेत्रों में तो यह प्रगति असाधारण रही है। खासकर प्रथम पंचवर्षीय योजना से देहातों की अधिक उन्नति हुयी है। प्रथम योजना के फलस्वरूप सिंचाई किये गये क्षेत्र में २५ प्रतिशत वृद्धि हुयी है। इसका मतलब यह है कि ५ लाख ५७ हजार टन अधिक अन्न पैदा हुआ है। दूसरी योजना से उम्मीद है कि १ करोड़ ३४ हजार टन अन्न पैदा किया जा सकता है। इस प्रकार से राज्य की खाद्य समस्या की पूर्ति ही नहीं होगी वरन् अनाज को बाहर भी भेजा जा सकेगा। श्रीमान् जी, राज्यपाल महोदय ने जिस दिशा की तरफ संकेत किये हैं वास्तव में देखा जाय तो हमारा प्रान्त विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है। यहीं तक नहीं आज जो बेकारी की समस्या इस प्रान्त में देखने में आयी उसको भी दूर करने के लिये छोटे-छोटे ग्रामोद्योग और इंडस्ट्री खोलने की तरफ भी राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में संकेत मिलता है। यहीं तक नहीं, उन्होंने अपने सम्बोधन में इस बात को साबित किया है कि अगले आने वाले वर्ष में जो बिजली और सेल्स टैक्स का बढ़ती टैक्स है, उसको कम करने के लिये प्रयत्न किया गया है। यहीं तक नहीं देश में बिजली के विकास ....

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—इसमें तो सेल्स टैक्स की कमी की चर्चा नहीं है।

श्री शिवमंगलसिंह कपूर—हे जनाब, आप पढ़ लीजियेगा।

प्रथम योजना में हमारी बिजली की पैदावार १ लाख ३१ हजार ४४९ किलोवाट से बढ़कर २ लाख ९७ हजार ९७५ किलोवाट हो गयी है। इससे यह साबित होता है कि इस प्रान्त में दिन दूनी रात चौगुनी इस दिशा में विकास की तरफ हमारी प्रगति हो रही है। यहीं तक नहीं, इस बिजली से नगरों में तथा देहातों में भी रोशनी पहुंच जायगी। यह हमारे आपके लिये सर्वोदय और सफलता का श्रीगणेश है। लोगों की जिज्ञासा इस बात पर होती है कि साधारणतया इस विकास को देखते हुये ७२ नगरों में पानी की सुविधा और २५ नगरों में सफाई रखने और जल की निकासी की व्यवस्था की गयी है। यहीं तक नहीं, सड़कों का विकास जो आज से पहले सौ वर्षों में ब्रिटिश सरकार के अमल में नहीं हुआ था इस सात साल के अन्दर काफी सड़कों का विकास इस प्रान्त में हुआ है। सहकारिता का विकास भी देश में जनता के सहयोग से दूना होता जा रहा है। आज कम आय वालों के रहने की व्यवस्था करने और उनके स्थान के अभाव को दूर करने की तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है। बड़े-बड़े शहरों में मजदूरों के लिये कम आय वालों के लिये खासतौर से मकान की समस्या को देखते हुये करोड़ों रुपये उस तरफ व्यय करने के लिये सरकार ने कदम उठाया है।

राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में यह भी संकेत मिलता है कि इस समय हरिजनों को और पिछड़े वर्गों की शिक्षा के लिये और हर प्रकार के सुधार के लिये सरकार प्रयत्नशील रही है और रहेगी। यहीं तक नहीं, इस सदन ने एक विशेष कानून पास किया है जो गोरक्षा के सम्बन्ध में है, इस पर भी संकेत राज्यपाल के सम्बोधन में है। यहीं तक नहीं, पशुओं की नस्ल सुधारने, उनको रोग से बचाने, अच्छे सुरक्षित स्थान में रखने की बड़ी आवश्यकता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिये यहां पशुओं की रक्षा करना अत्यावश्यक है। शिक्षा में भी हमारा प्रान्त हर प्रान्त से आगे बढ़ा-चढ़ा है। जहां तक शासन व्यवस्था का प्रश्न है, हमारे देश की न्याय व्यवस्था सुचारु रूप से हो रही है। आज हमारे प्रान्त में जिस किस्म से चोरी, डकैती, लूटमार और डाकुओं का आंतक फैला हुआ था, हमारे राज्य के अधिकारियों ने और पुलिस ने जनता के सहयोग से सुचारु रूप से उसका दमन किया। आज देश में और राज्य में शांति और अमन है। हमारे राज्य में भ्रष्टाचार को रोकने के लिये खासतौर से स्पेशल पुलिस का प्रबंध किया गया है, परन्तु जनता के सहयोग के बिना सरकार कोई काम ठीक से नहीं कर सकती। इसलिये इस काम के लिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे सरकार का साथ दें और भ्रष्टाचार दूर करने का प्रयत्न करें। आज जिस प्रकार से हमारा प्रान्त हर प्रकार की योजना में सफलता प्राप्त कर रहा है उसके लिये वास्तव में यहीं की जनता धन्यवाद की पात्र है। मुझे आशा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमारा प्रान्त कहीं से कहीं पहुंच जायगा। जब तक सरकार के काम में जनता का पूर्ण सहयोग न हो तब तक सरकार कुछ कार्य नहीं कर सकती, यह मेरी जाती राय है। आप देखेंगे कि किस प्रकार राज्यपाल महोदय ने गत वर्ष का कार्यक्रम और आगे आने वाली योजनाओं को सदन के सामने उपस्थित किया है। इससे यह साबित होता है, यह झलक मिलती है कि हमारा प्रान्त दिन दूनी और रात चौगुनी गति से उन्नति कर रहा है। इसलिये मुझे पूर्ण आशा है कि यह सदन राज्यपाल महोदय के सम्बोधन का हृदय से स्वागत करेगा और कृतज्ञता प्रकट करेगा। इन शब्दों के साथ मैं पुनः राज्यपाल के सम्बोधन पर कृतज्ञता प्रकट करता हूं और प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"किन्तु सदन को खेद है कि उक्त संबोधन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है :

१—बेकारी को दूर करने के लिये क्या सक्रिय कदम उठाया जायगा,

२—कृषि सम्बन्धी क्या कार्य-क्रम होगा जिसके द्वारा देश के करोड़ों किसान जनता की आर्थिक स्थिति सम्भल सके,

३—भ्रष्टाचार दूर करने का क्या उपाय होगा,

४—प्रदेश की जनता को खासतौर से ग्रामीणों को चोरी, डकैती, बलवे और कत्ल आदि से बचाने का कोई प्रभावकारी उपाय नहीं बतलाया गया है,

५—विषमता को दूर करने के लिये कोई उपाय नहीं बताया गया जब कि आज भी वेतनों में भारी अन्तर है, दूसरी आमदनियों तथा भूमि की कोई सीमा नियत करने का कोई इरादा नहीं बताया गया,

६—अलाभकर जोतों तथा जिला रामपुर आदि की मालगुजारी माफ या कम करने का कोई निश्चय नहीं बतलाया गया, तथा अधिवासियों की मालगुजारी जो बहुत ऊंची है उसे कम करने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया,

७—गांव पंचायतों को पूर्ण स्वतंत्र रह कर काम करने के लिये उसे मालगुजारी का एक चौथाई अंश देने पर कतई विचार नहीं किया गया,

८—प्रदेश में शिक्षा की उन्नति के लिये न तो विश्वविद्यालय की अटोनॉमी को अक्षुण्ण बनाये रखने की बात कही गयी न प्रान्त में अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा पर विचार किया गया है,

[श्री गेंदासिंह]

९—शासन को न्याय के कामों से पूर्णतः पृथक् करने की ओर कोई संकेत नहीं किया है, न न्याय सस्ता तथा सुलभ हो सके उस ओर कोई संकेत है,

१०—उद्योग धंधों में लगे श्रमिकों को व्यवस्था सम्बन्धी अधिकार देने की बात नहीं कही गयी है; गृह उद्योग को प्रोत्साहन देने की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है,

११—बाढ़ नियंत्रण के लिये कोई ऐसी महती योजना का संकेत नहीं है जो देश के दूसरे राज्यों की तरह प्रभावकारी हो,

१२—चीनी उद्योग तथा गन्ना उत्पादकों की कठिनाइयों को दूर करने की ओर कोई संकेत नहीं किया गया,

१३—हरिजन तथा पिछड़ी जाति के उत्थान का कोई प्रभावकारी कार्यक्रम नहीं अपनाया गया,

१४—सरकार की यातायात सम्बन्धी नीति पर स्पष्टरूप से प्रकाश नहीं डाला गया है,

१५—प्रदेश की प्रारंभिक आवश्यकताओं को पूरा करने का कोई चित्र सामने नहीं है, यहां तक कि पीने के पानी की भी व्यवस्था अभी तक प्रदेश भर में नहीं हो सकी है।"

*श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—प्वाइन्ट आफ आर्डर सर। श्रीमन्, गवर्नर साहब के ऐड्रेस के ऊपर जो प्रस्ताव उपस्थित है वह हमारे संविधान के आर्टिकल १७६ के अधीन संबोधन होता है। इसकी शब्दावली यों है :—

"At the commencement of the first session each year, the Governor shall address the Legislative Assembly or, in the case of State having a Legislative Council, both Houses assembled together and inform the Legislature of the causes of its summons."

माननीय राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में यह बात बतलायी है कि इस सैशन में क्या-क्या काम होंगे। इस पर जो रिजोल्यूशन हमारे सदन में आ सकता है वह प्रक्रिया नियमावली के नियम ७९ के अधीन आ सकता है। वह यह है कि—("In order that a resolution may be admissible.") श्रीमन्, आप देखेंगे कि नियम ८२ में संशोधन के लिये वही कंडीशन्स हैं जो प्रस्ताव या रिजोल्यूशन के लिये हैं। ("When a resolution is under discussion any member may, subject to the rules relating to resolutions,") श्रीमन्, इस संशोधन में कितनी ही बातें रखी गयी हैं कि यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। इसलिये इसे एक डेफीनिट इश्यू तो नहीं कहा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि माननीय राज्यपाल ने इस सैशन के बारे में जो बातें बतलायी और कहा कि ये काम होने हैं, उनसे अलग जाकर इतनी सारी बातें की कि यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, यह आर्टिकल १७६ के बाहर जाता है। इसलिये इसे गिर जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—जो वैधानिक प्रश्न उपस्थित किया गया है वह संविधान १७६ के अनुच्छेद के आधार पर है, और उसमें शब्द ये हैं कि:—

"At the commencement of the first session of each year the Governor shall address the Legislative Assembly or, in the case of a State having a Legislative Council, both Houses assembled together and inform the Legislature of the causes of its summons".

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक तो वह 'ऐड्रेस' करेंगे और 'कॉंजेज' बतलायेंगे। खाली कॉंजज बतलाने के लिये समन करते तो मैं या आप ही उन्हें रोक देते कि आप कॉंजेज बतलायें और कुछ न कहें। आप कॉंजेज बताकर चले जाइये, आप संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। यह आक्षेप उनके भाषण पर सदस्य ला सकते थे। लेकिन उन्होंने जो कार्य उनकी सरकार ने किये हैं उसका विस्तार अभिभाषण में दिया है और आगे जो कार्य करने वाले हैं उसका भी जिक्र दिया है। केवल जो काम सदन को करना है उतना ही सूचित नहीं किया है। इसलिये इसका विवाद का दायरा व्यापक है। अब जो चीज इस अवसर पर बहस में आती है वह जो किया हो, जिसका जिक्र किया हो, वह भी बहस तलब होता है और जिसका जिक्र ओमिट किया है, नहीं किया है, वह भी बात बहस तलब हो सकती है, क्योंकि वह भी सुझाव के रूप में आ सकती है। तो वह ओमिशन्स को बता रहे हैं एक संशोधन द्वारा। इसके लिये पहले भी यही प्रथा रही है और इसके लिये विशेष नियम भी आपकी प्रक्रिया नियमावली में १४ नियम में दिया हुआ है। यह इस प्रकार है कि:—

"14 (5) Amendments may be moved to such motion of thanks in such form as may be considered appropriate by the Speaker."

तो अभिभाषण के सम्बन्ध में संशोधन की थोड़ी सी विशेषता है और दूसरे संशोधनों और इसमें अंतर इतना है कि जो संशोधन के सम्बन्ध में साधारण नियम हैं वे तो इस पर भी लागू हैं ही, लेकिन इस अमेंडमेंट में यह और भी निरूपण कर दिया गया है कि संशोधन केवल अंत में प्रस्ताव जोड़ने के रूप में होगा। यह एक प्रथा है। दूसरे इसका जो फार्म होगा वह भी स्पीकर निर्धारित करेगा, क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण है। तो ये नियम बने हुये हैं। उसी हिसाब से हमारी प्रथा भी रही है कि यदि कोई ओमिशन हुआ है या कोई चीज नहीं कही गयी है, तो वह चीज भी जोड़ देने के लिये संशोधन में कहा जाय कि अमुक-अमुक नहीं कहा गया। मैं समझता हूं कि उनका संशोधन बिलकुल वैध है और वह भाषण जारी रखें, और यह समय जो निर्णय देने में खर्च हो गया यह उनके समय में बढ़ा दिया जायगा।

*श्री गेंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, साधारण तौर पर यह आशा करना कि हमारी पिछली पंचवर्षीय योजना की अवधि समाप्त हो रही है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आरम्भ है, इसके ऊपर हमको इससे ज्यादा जानकारी की आवश्यकता थी, और माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में हम यह आशा कर सकते थे कि उनका ध्यान सारे राज्य की प्रारंभिक आवश्यकताओं पर भी जायगा। मुझे अफसोस है कि इस तरफ उनका ध्यान नहीं गया और खास तौर से इस अभिभाषण में ४,५ बातों की ओर तो कतई ध्यान नहीं दिया गया और उनका कहीं जिक्र नहीं है। उस ओर ध्यान दिलाना सदन का मैं आवश्यक समझता हूं, और यह भी आवश्यक समझता हूं कि माननीय राज्यपाल का ध्यान उस ओर जाय। इनमें एक है किसानों की बेदखली। जो कुछ कानून हमने बनाये हैं उनका अर्थ अदालतों ने ऐसा लगाया कि जिसकी वजह से आज हजारों किसान सरकार की मंशा के खिलाफ बेदखल हुए जा रहे हैं। सरकार का भी मंशा नहीं था कि यह किसान बेदखल हों, लेकिन उसके लिये कोई बात नहीं की गयी। आम चुनाव जो अगले वर्ष होने वाले हैं उसका कतई कोई चर्चा अभिभाषण में नहीं है। क्या होगा, हमको किस मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किस प्रकार हम उस आम चुनाव को निर्विघ्न समाप्त करेंगे, यह कोई मामूली बात नहीं थी? ७२५ करोड़ का द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन हमारा बनाया गया, सरकार ने बनाया। उस ७२५ करोड़ के स्थान पर केवल २६५ करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार किया, उस ७२५ करोड़ की योजना की किस तरह से काट-छांट की जायगी और वह धन कहां से आयेगा, आप ७२५ करोड़ की योजना को २६५ करोड़ की योजना में कैसे बदलेंगे, इसका कतई चर्चा नहीं किया गया! और न सदन से यह कहा गया कि उस ७२५ करोड़ के लिये वह प्रयत्न करे ताकि वह रुपया केन्द्र से प्राप्त हो कर सारे देश का कल्याण हो सके। चुर्क सीमेंट फैक्टरी, जो पब्लिक सेक्टर का एक सफल प्रयास हमारे राज्य में है, के भीतरी मामलों पर कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

रोशनी नहीं डाली गयी कि कितना अनर्थ वहां हो रहा है, वहां क्या कमियां हैं, इसका कोई चर्चा नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, यह हो सकता था कि और दूसरी बातों की चर्चा न होना हम बरदाश्त कर सकते थे लेकिन हमारे इस विधान सभा के दो सदस्यों की जो बाराबंकी में हत्या हुई, उसका कतई कोई चर्चा न करना माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में, मैं समझता हूं कि बड़ी भारी भूल है। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ और बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं और वे ये हैं कि कुछ कागजात के आधार पर माननीय राज्यपाल ने हमारे सामने कुछ कहा है। लेकिन अगर आंकड़ों से तथ्य सही नहीं है तो बड़ा ही अनर्थ हो सकता है और हमारी सारी योजनायें व्यर्थ हो सकती हैं। नाज कितना हुआ और कितनी जमीन जोती गयी, केवल इसी की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। अनाज की उपज के बारे में बताया जाता है कि उपज बहुत ज्यादा हुई। समय कम है इसलिये ज्यादा आंकड़ों में तो मैं न जाऊंगा। मैं केवल माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान उन्हीं के उस बयान की ओर दिलाऊंगा जो उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस में दिया था। यह बयान उन्होंने ११ जनवरी, १९५६ को दिया था। उन्होंने अपने बयान में शुरू में अनाज की उपज के बारे में कहा है कि पिछले वर्ष में अनाज की उपज ३६३ मिलियन टन बढ़ी। उन्होंने यह भी कहा कि ४२.६ मिलियन एकड़ में खेती ५५–५६ तक होने लगेगी। लेकिन उसी बयान में जब हम इर्रीगेशन वाले हिस्से को देखते हैं तो उसमें यह कहा गया है—

"Out of a total culturable area of 401 lakh acres, by the end of the plan."

इसमें ४०१ लाख एकड़ बताया गया है। अब ४२६ लाख और ४०१ लाख दोनों में २५ लाख एकड़ का अन्तर है।.....

श्री अध्यक्ष—यह आप अखबार से बयान पढ़ रहे हैं, जिस बयान का आप यहां पर हवाला दें वह स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से छपा हुआ होना चाहिये। नहीं तो बड़ी गड़बड़ी होगी। अखबार के किसी बयान के ऊपर सरकार का क्रिटिसिज्म करना ठीक नहीं है।

श्री गेंदासिंह—यह माननीय मुख्य मंत्री जी का ही बयान है और वे यहां पर मौजूद हैं, उनको उसे स्वीकार करने अथवा इंकार करने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—लेकिन अखबार की खबर को आप किसी बयान का बेसिस नहीं बन सकते।

श्री गेंदासिंह—तो मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रस्तावक महोदय ने यह कहा कि ४५० लाख एकड़ में खेती होने लगी है। अब हमारे सामने यह बड़ी कठिनाई आ जाती है कि किस चीज को माना जाय? हमारी जो मुख्य आवश्यकतायें अनाज, कपड़ा, पानी, मकान और बच्चों की तालीम की हैं, इन चार पांच चीजों से हम छुट्टी पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि यह चीजें हमें मुहैया हो जायं तो बाकी चीजों के लिये बाद को सोचा जा सकता है। लेकिन मैं देखता हूं कि हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त होने वाली है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना आने वाली है, लेकिन इन दोनों के बाद भी हमें डर है कि हम अपनी प्रारंभिक आवश्यकताओं को भी पूरी नहीं कर पायेंगे। यदि हम उनको पूरा न कर पाये और यही कहते रहे कि हम ऑल राउन्ड तरक्की कर रहे हैं तो मैं यह कहूंगा कि यह कहना खतरनाक होगा। एक तरफ तो देश में बेकारी, बेरोजगारी, गरीबी और अशिक्षा बढ़ रही है और दूसरी तरफ जो जनता की कस्टोडियन सरकार है, वह सरकार एक विचार लेकर चल रही है कि वह ऑल राउन्ड प्रोग्रेस कर रही है। तो क्या उस तरक्की में वह सरकार उस वर्ग को भी मानती है या नहीं जो वर्ग कि बिना जीविका के है? अथवा क्या वह उन्हीं लोगों को स्वराज्य के सुख भोगने का अधिकारी समझती है जो शासनसत्ता में मौजूद हैं अथवा पहले ही संपत्तिवान हैं, जिनको बेदखल करने के लिये और समाज के हित में उसका उपयोग करने के लिये उसने आजादी की लड़ाई लड़ी और देश में स्वराज्य का हक हासिल किया। और आजादी की लड़ाई लड़कर सारे देश ने कुरबानी कर

स्वराज्य हासिल किया। तो इस स्वराज्य का सुख भोगने का भी यहां की इस जनता को अधिकार है। अगर हमारे आंकड़े गलत होंगे तो उन गलत आंकड़ों के आधार पर हमारा प्रोग्राम भी गलत हो जायगा और उस बुनियाद पर जो दीवार बनेगी वह दीवार भी मुझे डर है कि वह गिर जायगी और उसमें मजबूती जो आनी चाहिये वह न आ सकेगी। और इस तरह से गलत बुनियाद पर देश का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिये मैं इस खतरे की ओर भी सदन का ध्यान अवश्य दिलाना चाहता हूं।

पूरे अभिभाषण को देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि इस में कहीं पर भी सोशलिस्टिक पेटर्न ऑफ सोसाइटी का जिक्र नहीं है। क्या भूमि की सीमा निर्धारित करना इस सरकार का कर्त्तव्य नहीं है ? क्या आमदनी की सीमा निर्धारित करना इस सरकार का कर्त्तव्य नहीं है ? क्यों इस खास चीज को खामख्वाह छोड़ दिया गया है ? क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य सोशलिस्टिक पेटर्न आफ सोसाइटी कायम करना है या नहीं ? सरकार ने यह मुनासिब नहीं समझा कि वह बताये कि क्या उसका इरादा है, और वह सोशलिस्टिक पेटर्न आफ सोसाइटी कायम करना चाहती है या नहीं ? मैं क्षमा किया जाऊंगा यह कहने के लिये कि जहां पर भूख से मरने वालों की संख्या की जानकारी न हो, मैं अपने क्षेत्र को जानता हूं जहां से मैं चुनकर आया हूं, २ आदमी, राजा गोसाईं और मुनीश्वर तेली भूख से मरे और सरकार इसको कबूल नहीं कर सकती! लेकिन मैं सरकार से कहूंगा कि जब उस के पास आज तक भीख मांगने वालों की संख्या नहीं है तो भूख से मरने वालों की बात से इन्कार करने का भी सरकार को अधिकार नहीं है। सरकार से एक हजार बार कहा जाय कि क्या वह अपने यहां भीख मांगने वालों की संख्या बता सकती है? तो उसके पास आंकड़े नहीं हैं। ऐसी हालत में भूख से मरने वालों की संख्या मालूम करना तो उसके साथ अन्याय ही करना होगा, लेकिन यह बहुत ध्यान देने की बात है।

भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के राक्षस से छुटकारा पाना कठिन है जो हमारे सामने खड़ा है। उसको रोकने के लिये जरूर सरकार ने ऐसा एक कदम उठाया है जिससे कुछ आशा की जा सकती है, लेकिन उसको दूर करने के असली उपाय की ओर अभी सरकार का कतई ध्यान नहीं गया है। जब तक यह विषमता है, यह रुपयों की जगलरी और जादू है वह रहेगा। जब रुपयों का जादू खत्म हो, जनता समझने लगे कि रुपये के पीछे न दौड़कर भी हमारी प्रतिष्ठा सम्भव हो सकती है, तब कुछ आशा की जा सकती है लेकिन यह चीज मिटाने में सरकार समर्थ नहीं हुई और सरकार ने किसी तरह की कोई रिलेटिव प्लान भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये बनाने में कोताही की है। आगे बजट के मौके पर उन सब चीजों का जिक्र मैं करूंगा लेकिन कुछ बातों की ओर खास तौर से इशारा करूंगा।

भाषण में कहा गया है कि सरकार ने प्रदेश में गल्ले की कीमतों को बढ़ने से और गिरने से भी रोका है। लेकिन मैं कहूंगा कि सरकार ने कीमतों को न गिरने से ही रोका और न चढ़ने से ही रोका। कीमतों के गिरते-गिरते किसान की कमर टूट गई और जब गल्ला किसान के घर में से दूसरों के घरों में पहुंच गया तो उस का परिणाम अब यह हुआ कि गेहूं २० रुपया मन और चावल २४ रुपया मन उन लोगों के लिये बिका जो खरीद कर खाने वाले कन्ज्यूमर हैं। कन्ज्यूमर को भी लाभ नहीं पहुंचा, लाभ उन को पहुंचा जो होर्डर्स थे और कमर किसान और कन्ज्यूमर्स दोनों की टूटी, बीच के लोगों ने मौज मारी। अगर सचमुच उस वक्त गेहूं खरीदकर रखा जाता और कीमतों को न गिरने दिया जाता तो क्या आज २० रुपये मन गेहूं और २४ रुपये मन चावल यहां बिकने पाता ? उस वक्त नहीं खरीदा गया और चढ़ते भावों को इस वक्त बाजार में अनाज भेजकर सरकार न गिरा सकी, इस तरह से कन्ज्यूमर भी लुटा। इन बातों की ओर ध्यान दिलाकर मैं कहूंगा कि सरकार वस्तुस्थिति की ओर ध्यान दे।

शिक्षा और सोशल वेलफेयर के कार्य को सरकार ने किया, उसने योजना बनायी, लेकिन हम चाहते थे कि सरकार कम से कम किसान को जो रीढ़ है समाज की, जो ७५ से ८० प्रतिशत लोग खेती पर गुजर करते हैं उन किसानों की आर्थिक स्थिति को सम्हालने के लिये उसको कर के बोझ को कम करने के लिये, और सिंचाई वाला मामला जो इतना जहरीला हो चुका है उससे उसको कुछ राहत देने के लिये कुछ भी नहीं सरकार ने किया।

[श्री गेंदासिंह]

अन्त में मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि पंचायतों के सिलसिले में हम कुछ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायतें सुधरें, ग्राम पंचायतें ताकतवर बनें लेकिन हमें इन ग्राम पंचायतों से कुछ आशा करना तब तक बेकार है जब तक हम उन ग्राम पंचायतों का काम सुचारु रूप से चलाने के लिये मालगुजारी का एक अंश उन्हें नहीं देते। यह बात बहुत दिनों से चल रही है। मैं आपकी सूचना के लिये सौराष्ट्र की एक बात कहना चाहता हूं जहां के हमारे कांग्रेस के सभापति ढेबर साहब हैं। वे जब वहां प्रधान मंत्री थे तो उन्होंने १५ फीसदी मालगुजारी ग्राम पंचायतों का काम चलाने के लिये दे दी थी। क्या आज ढेबर साहब के ऊपर माननीय मुख्य मंत्री जी को अविश्वास है। अगर ढेबर साहब इस काम को सौराष्ट्र में कर सकते हैं तो वे क्यों यहां नहीं कर सकते ? क्यों नहीं राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात का जिक्र कराया गया ? हाल में जो ग्राम पंचायतों के चुनाव हुये हैं या जो न्याय पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं या नामजदगी जो भी होने जा रही है उसमें सरकार को नये कदम उठाने चाहिये जिससे न्याय पंचायतों की प्रतिष्ठा हो सके, न्याय की प्रतिष्ठा हो सके। इससे गांवों में एक बड़ी भारी चीज ऐसी हम देखते हैं जिससे बड़ी बेचैनी और परेशानी है। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार उस ओर ध्यान देकर सुधार करे। इन बातों की ओर हम सरकार का ध्यान दिलाते हैं।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १९ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्न वाक्य बढ़ा दिया जाय :—

"किन्तु अभिभाषण में साम्प्रदायिक कटुता घटाने और सदभावना बढ़ाने पर भी प्रकाश डाला गया होता तो अच्छा होता।" इसमें एक शब्द मैं और जोड़ देना चाहता हूं जो कि रह गया है। "अच्छा होता" के पहले "और" शब्द और बढ़ा दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, अपने इस संशोधन पर बोलने से पहले अपोजीशन के लीडर श्रीमान् गेंदासिंह जी की दो बातों का जवाब देना चाहता हूं। एक तो विषमता दूर करने के लिये कोई फिक्र नहीं की गई, दूसरा यह कि जब तक रुपये का जादू है तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—पहला अमेंडमेन्ट तो पेश करिये।

श्री सीताराम शुक्ल—कर चुका, लेकिन आप देर में आये हैं और अपनी पुरानी आदत के अनुसार टोक ही दिया।

तो मैं अर्ज करता हूं कि विषमता दूर करनी चाहिये, विषमता दूर करनी, चाहिये इसका बड़ा शोर सुनाई देता है इधर भी और उधर भी, लेकिन अगर जरा गौर करते कि विषमता दूर कैसे करना है। सबको गरीब बनाना तो बहुत आसान बात है। बैंकों को गवर्नमेन्ट टेलीफोन कर दे कि दो हजार से अधिक जिसका रुपया बैंक में जमा है वह मत देना। बैंक में रुपया रुक जायगा और एक बिल लाकर पास कर दे तो आसानी से सब को गरीब बनाया जा सकता है मगर कांग्रेस सरकार का उद्देश्य गरीब बनाकर सबको बराबर करने का नहीं है बल्कि गरीबों को धनी बनाकर बराबर करने का है। क्योंकि "नशा पिला कर गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरते को थाम ले साकी"। गरीबों को धनी बनाने की जरूरत है, धनियों को गरीब बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कही गई कि जब तक पैसे का जादू है तब तक भ्रष्टाचार बन्द नहीं होगा। इस चीज को वह आदमी कहे जो जेल न गया हो। तो मैं माने लेता हूं लेकिन जो जेल का तजुर्बा रखता हो अगर वह कहता है तो मुझे ताज्जुब होता है। जेलखाने में सबके सब कैदी होते हैं किसी के पास पैसा नहीं होता,

लेकिन भ्रष्टाचार वहां भी होता है, जुआ होता है, धोखा होता है, पचास बेईमानियां होती हैं। रूस में तो साम्यवाद है परन्तु वहां भी गबन के मुकदमें में चलते हैं। लिहाजा भ्रष्टाचारी होना और सदाचारी होना पैसे पर मुनहसर नहीं। बहुत से धनी हैं मगर ईमानदार हैं। बहुत से गरीब हैं मगर बेईमान हैं। गरीबी पचासों बईमानियां और करवा देती है। "बुभुक्षितः किमंत्र करोति पापम।" लिहाजा जो आपने फरमाया था उनका इन शब्दों के साथ जवाब दिया जा सकता है। अब इस संशोधन के बारे में मुझे यह अर्ज करना है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—आपने पढ़ा नहीं।

श्री सीताराम शुक्ल—पूरा सदन आपको जानता है। आपको और जनवाने से कोई फायदा नहीं होगा।

महामान्य राज्यपाल का भाषण बहुत अच्छा है इसको हर एक मानता है इसमें दो रायें नहीं। क्यों न अच्छा हो? अध्यक्ष महोदय, जो विद्वान होगा, तो बोलेगा भी अच्छा। और जो विद्वान भी हो, सच्चरित्र भी हो, लेखक भी हो, त्यागी भी हो, ये सारी खूबियां जिसमें हों उनके भाषण का क्या कहना। हमारे राज्यपाल उन चन्द आदमियों में से हैं जिनको भगवान ने उत्तम बुद्धि दी, उत्तम चरित्र दिया, उत्तम त्याग दिया, सारी योग्यताएं दी हैं। केवल यही नहीं कि पताका दिखा कर जेल चले गये। त्याग और इज्जत को खतरे में डालकर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नहीं, अखंड भारत बनना चाहिए। सारा जमाना कहता था कि पाकिस्तान मान लिया जाय। मुस्लिम लीग का प्रोपेगेंडा हुआ। इस शख्स ने कहा कि हर्गिज नहीं, अखंड भारत बनना चाहिए। कांग्रेस के फैसले को गलत कहा। इज्जत को खतरे में डालकर उन्होंने अपनी बात कही। जहां कैरेक्टर होता है सारी खूबियां आ ही जाती हैं। इसलिए हर तरह से भाषण अच्छा है। लेकिन मैंने सोचा कि इस साम्प्रदायिकता के मामले पर भी सदन का ध्यान आकर्षित करा दूं।

एक सदस्य—यहां परसनालिटी की क्या जरूरत है?

श्री सीताराम शुक्ल—स्पीच और परसनालिटी मिली रहती है अलग नहीं की जा सकती। अच्छी परसनैलिटी के ही बोलने का ज्यादा असर पड़ता है। हर आदमी अच्छी बात कहता है तो उसका उतना असर नहीं होता। अच्छे कैरेक्टर का आदमी जब बोलता है तो असर ज्यादा पड़ता है।

श्री गेंदासिंह—दूसरे लोग अगर उसको खराब कहने लगें और आपका जवाब देने लगें तो क्या होगा?

श्री सीताराम शुक्ल—इरशाद फरमाइये, जो कुछ मैं जवाब दे सकूंगा, दूंगा किन्तु मेरा समय यदि समाप्त हो जायगा तो जो, और हमारे आनरेबिल मेम्बर बैठे हैं वे आपको जवाब देंगे।

कुछ लोगों का ख्याल है कि साम्प्रदायिकता के गड़े हुए मुर्दे को न उखाड़ो। साम्प्रदायिकता कह कर उसका प्रचार मत करो। बात सही है कुछ हद तक। इसमें वेट है दम है। लेकिन अन्देशा क्या है उपेक्षा करने का नतीजा यह हुआ कि "मर्ज बढता गया ज्यों ज्यों दवा की"। साम्प्रदायिकता बढती गयी और न सिर्फ पाकिस्तान बना और कत्ले आम हुआ बल्कि पाकिस्तान बन जाने के बाद भी साम्प्रदायिकता खत्म नहीं हुई। आपको याद होगा कि दो लफ्ज छप गये थे दो तीन साल पहले अमृत-पत्रिका में, हाय हाय मच गयी। माफी मागने और केस चलाने के बावजूद। इस साल विज्ञापन छप गया कहीं पर। उसके बाद अखबार वाले ने माफी मांगी। जिसने छपाया था वह जेल गया और जमानत हुई। फिर भी सूबे भर में हड़-

[श्री सीताराम शुक्ल]

ताल हुई। खिलाफ नारे लगे और सख्त शिकायतें हुई। इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। आप चुप रहेंगे। उधर प्रोपेगेंडा होता रहेगा। तो खतरनाक साबित हो सकता है। हमें इसको फेस करना चाहिए, गौर करना चाहिए कि उन्हें क्या शिकायत है। सरकार बन जाने के बाद यह काफी नहीं है कि आप खाना, कपड़ा, मकान सब को दे दें, शिक्षा दे दें, दवा दे दें, बल्कि यह भी जरूर है कि लोगों को मानसिक आराम भी दें। लोगों के दिल भी खुश रहें। वह समझे कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। यह प्रचार भी हमारी सरकार के लिए जरूरी है। कुछ लोगों की शिकायत है कि हम पर हिन्दी लादी जा रही है। उर्दू मिटायी जा रही है। हमें सरकारी नौकरियाँ नहीं मिलतीं। हिन्दू अफसर हम को नेगलेक्ट करते हैं। ये तीन शिकायतें संक्षेप में हैं। इस पर गौर करना चाहिये। यहां कहा जा सकता है कि तो क्या सरकार खराब है कर्मचारी खराब हैं? तो मैं कहूंगा कि कुछ न कुछ खराबी तो सब में होती है यदि कुछ खराबी न हो तो आदमी आदमी नहीं बल्कि देवता है। आखिर सरकार भी आदमियों की ही बनी है, कर्मचारी भी आदमी ही हैं। तो आदमी में ही खराबियां हो सकती हैं। लेकिन वर्तमान समय में जैसी सरकार है इससे अच्छी सरकार नहीं बन सकती है। आप इसको हटा दें, सोशलिस्टों को लायें, कम्युनिस्टों को लायें, महासभाइयों को लायें तो मैं उनको जानता हूं कि वर्तमान समय में इस सरकार से अच्छी सरकार होना बहुत नामुमकिन है। कर्मचारियों ने भी बहुत हिम्मत से काम किया है। तो फिर सवाल उठता है कि जब कर्मचारी अच्छे हैं तो खराब कौन है? या तो सरकार खराब हो या शिकायत गलत हो, तो मैं कहता हूं कि कुछ तो शिकायतें गलत हैं, कुछ सही हैं। उनको हमें समझना चाहिये। मगर उनके कहने का वक्त यहां नहीं है।

साम्प्रदायिकता के सिलसिले में हिन्दुओं के दृष्टिकोण से, पाइन्ट आफ व्यू से, हमारा बर्ताव मुसलमानों के साथ उदारता का बर्ताव क्यों होना चाहिये, इसके बारे में मेरे पास एक किताब है जो लेना चाहें ले सकते हैं बिना पैसे के। अगर हम चाहते हैं कि साम्प्रदायिकता की जड़ काटें तो अध्यक्ष महोदय, सिर्फ इतना कहने से नहीं काम चलेगा कि मैं उन्हें कुचल पर धर दूंगा इससे तो जख्म पर और नमक पड़ता है। इससे न वे पाकिस्तान जाते हैं बल्कि होशियार हो जाते हैं। इस तरह किसी की राय नहीं बदलती, राय बदलती है दलील पेश करने से, अच्छे इख्लाक से, इन्साफ से, इस पर हम गम्भीरता के साथ गौर करें और सबसे पहले यह गलतफहमी दूर की जाय कि हम फलां जाति में पैदा हुए लिहाजा ऊंचे हैं यह ठीक नहीं और अगर आप चाहें तो कानून भी बना दीजिये। कानून बना हुआ है कि छूआछूत नहीं होनी चाहिये, मगर वह है। कानून बना हुआ है कि फलां २ काम न हो मगर होता है। तो मेरा कहना है कि सिर्फ कानून से काम नहीं चलेगा। हमको प्रचार से यह गलतफहमी दूर करना चाहिये क्योंकि शिकायतें गलतफहमी पर मबनी हैं। मैं आप से कहूं कि जितने धर्म हैं सब का लक्ष्य एक ही है सिर्फ शब्दों का फर्क है, लिखने का फर्क है। क्या परमात्मा, परमात्मा ही सुनता है या समझता है, अल्लाह नहीं समझता या गाड नहीं समझता। वह उर्दू, हिन्दी, अंग्रेजी यहां तक कि जानवर की जबान को भी जानता है, गूंगे की जबान भी सुनता है। मगर यह सोचना कि अंग्रेजी में ही कहें तो परमात्मा सुने और हिन्दी में नहीं, यह बिल्कुल गलत है। एक बीमार था जिसको बुखार था तो वैद्य जी ने देखा और दवा दी और कहा कि देखो भाई दूध, दही, खटाई, घी मत खाना परहेज करना और जब डाक्टर के यहां गया तो उसने दूध पीना बता दिया। तो इस तरह कौन खराब है, वैद्य, हकीम या डाक्टर। तीनों अच्छे हैं तीनों से फायदा हो सकता है। इसी तरह से यह सोचना कि फलां मजहब में ही रहकर ईश्वर मिल सकता है यह गलतफहमी है। एक जगह तीन मेहमान गये उनमें से एक अंग्रेजी में कहा कि बिंग मी वाटर, दूसरे ने कहा कि जल

चाहिये और तीसरे ने कहा कि आब लाइये। तो एक ने कहा कि हर्गिज नहीं वाटर आयेगा। इसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा। इत्तफाक से एक आदमी वहां था जो तीनों जबान जानता था उसने कहा कि तुम क्या मांग रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैंने वाटर मांगा था, दूसरे ने कहा कि मैंने जल मांगा था और तीसरे ने कहा कि मैंने आब मांगा था। तो उसने कहा कि नालायको, तुम सब एक ही चीज मांग रहे हो। फर्क यह है कि तुम दूसरे की जबान नहीं समझते हो। हुजूरवाला, सब यह जानते हैं और चाहते हैं कि मुल्क की भलाई हो मगर एक दूसरे की बात को नहीं जानते हैं, इसलिये लड़ते झगड़ते हैं। इसको दूर करने के लिये मुझे सुझाव देना होगा। कहा जा सकता है कि क्या तुम्हीं को यह सूझता है, तुम्हीं बड़े होशियार हो, इधर के और उधर के जो लोग बैठे हैं आनरेबुल मिनिस्टर्स बैठे हैं उनका ध्यान क्या इधर नहीं जाता? मैं कहता हूं, जाता है मगर उनके पास काम बहुत है। रोटी, कपड़ा, नमक, तेल, लकड़ी सबका इन्तजाम उनको करना होता है। इसलिये वह अपना वक्त इधर नहीं दे पाते। लेकिन मैं कहता हूं आनरेबुल मिनिस्टर साहब से कि अगर इसको दूर करना है याद रखिए कि अगर यह साम्प्रदायिकता बढ़ी, तो पुलिस से काम नहीं चलेगा, प्रोपेगेंडा का काम डंडे से नहीं चलता। इसलिए जरूरत आज इस बात की है कि आनरेबुल मेम्बर साहबान को साम्प्रदायिकता मिटाने का काम अपने जिम्मे लेना चाहिए और मेरा ख्याल है कि हर मेम्बर इसमें राजी होगा। जरूरत इस बात की है कि सदन के समय के बाद हम सब लोग कहीं जाकर बैठें, चाय पियें, पहली चाय मेरी तरफ से रहेगी। इस प्रकार लोगों के बीच बैठकर उनके साथ चाय पियें और उनकी बातों को सुनें। मैं गवर्नमेन्ट से प्रार्थना और रिक्वेस्ट करता हूं कि उनकी बातों को सुनने का हमको मौका दिया जाय। उनकी शिकायतों को सुना जाय और अगर शिकायतें सही हों, तो उनको दूर करने की कोशिश की जाय क्योंकि हो सकता है कि शिकायतें सही हों और अगर गलत हों तो उनका जवाब दे दिया जाय। इससे उनकी गलतफहमी दूर हो जायगी। अगर इस रास्ते पर हम चलेंगे तो कुरान शरीफ, पाक इंजील और गीता व रामायण इत्यादि में जो उपदेश बताया गया है उसकी पूर्ति हो सकेगी और हिन्दुस्तान सुख शान्ति और आराम से रह सकेगा।

*श्री जयपालसिंह (जिला सहारनपुर)--मैं, यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित रख दिया जाय:

"किन्तु सदन को खेद है कि महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन में समाजवादी समाज की रचना सम्बन्धी राज्य की नीति तथा उपेक्षित एवं अधिकार वंचित वर्गों के सम्बन्ध में कोई भी प्रकाश नहीं डाला गया है और हरिजन व पिछड़ी जातियों के उत्थान के निमित सरकार की किसी भी निश्चित योजना एवं निश्चित समय के अन्दर उनकी शिक्षा, गृह निर्माण व गृह निर्माण के लिए भूमि, भूमिहीनों और खेतिहर मजदूरों के लिए भूमि की व्यवस्था, घरेलू दस्तकारियों का समुचित प्रबन्ध आदि, आर्थिक विकास, पीने के लिए स्वच्छ पानी, दवा-दारू व स्वास्थ्य का उचित प्रबन्ध एवं बेगार प्रथा और छुआछूत को समूल नष्ट करने की किसी भी योजना की चर्चा नहीं की गई है।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन को रखते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां किसी उद्देश्य को हम निर्धारित करते हैं और किसी लक्ष्य को हम निर्धारित कर लेते हैं तभी उसकी पूर्ति हुआ करती है लेकिन हमने यह देखा कि इस भाषण में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, न कोई उद्देश्य मालूम पड़ता है। अभी अभी राष्ट्रपति का जो भाषण हुआ उसमें स्पष्ट तरीके से एक लक्ष्य और उद्देश्य बतला दिया गया है और यह कहा गया है कि हम समाजवादी समाज की रचना चाहते हैं। लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जयपालसिंह]

जब हमने इस बात को देखा कि राज्यपाल महोदय के भाषण में एक संकेत भी नहीं है इस ओर तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां हम समाजवादी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े उद्देश्य निर्धारित कर चुके हैं और फिर भी हम उसकी ओर न बढ़ें और न उसकी तरफ संकेत ही करें तो यह मुनासिब नहीं है। जब हमारा लक्ष्य होगा तभी हम उसको प्राप्त करने के लिए चेष्टा कर सकेंगे और जब लक्ष्य ही नहीं है तो इस तरीके से वैकुअम में घूमते रहें और इधर उधर चेष्टा करते रहें, यह कुछ अच्छा नहीं मालूम होता है। मुनासिब यह होता कि वह लक्ष्य हमको बताया गया होता कि हम अगले साल के बीच में उस लक्ष्य और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह यह कदम उठायेंगे। लेकिन यह कोई लक्ष्य ही नहीं है और लक्ष्यहीन जब हम बढ रहे हैं तो यह दिखाई नहीं पड़ता कि हम कहां जायंगे और किधर जायेंगे। समाजवादी व्यवस्था को लागू करने के लिये हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस महासभा ने एक रिजोल्यूशन भी आर्थिक व्यवस्था के सम्बन्ध में पास किया है और उसमें जहां दूसरे सामाजिक ऐसे तत्व हैं जो पिछड़े हुए हैं, उसके सम्बन्ध में भी उस प्रस्ताव में जिक्र आया है। लेकिन उन्हीं उद्देश्यों को मानने वाली वह संस्था जिसके जिम्मे भारतवर्ष की बागडोर है वह उस चीज को छोड़ दे तो मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। उदाहरणार्थ मैं आपके सामने वह खंड पढ़ देना चाहता हूं जो राष्ट्रीय महासभा ने अपने प्रस्ताव में दिया है, खंड १२, पृष्ठ ३:

"सामाजिक न्याय की मांगों के व्यक्तिगत और प्रादेशिक, दोनों पहलुओं को हमेशा ध्यान में रखना चाहिये और उन्हें आर्थिक संगठन तथा उपयोगी शासन और आर्थिक कार्यक्रमों द्वारा पूरा करना चाहिये। आमदनी और धन की मौजूदा विषमताएं क्रमशः दूर की जानी चाहिये। इसलिये आर्थिक दृष्टि से जनता के पिछड़े हुए भागों की असुविधाओं को दूर करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। समाजवादी ढंग की व्यवस्था में सबके लिए अवसर की समानता और सबकी आय में क्रमशः समानता लाना लाजिमी है। यह ध्येय हमेशा में रहना चाहिये और कोशिश होनी चाहिये कि आर्थिक विकास के फायदे समाज के कम अधिकार प्राप्त वर्गों को प्राप्त हों और उनका रहन-सहन ऊपर उठे।"

इस तरीके से उपाध्यक्ष महोदय, खंड १० में कहा गया है कि "भूमि सुधार के कार्यक्रम को, जिसमें पहले ही बहुत काफी प्रगति हो चुकी है, भूमिहीन श्रमिकों की समस्या का खास ध्यान रखते हुए, जोर के साथ आगे बढाना चाहिये।" उपाध्यक्ष महोदय, जहां हम इस तरह से अपने लक्ष्य को निर्धारित और तय कर लेते हैं, मुझे अफसोस और खेद होता है कि राज्यपाल के भाषण में यह चर्चा नहीं की गयी है कि हम पिछड़े वर्ग के लोगों को इतनी इतनी मात्रा में आगे बढायेंगे और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग में विशेषतः हरिजन समुदाय अधिक है। पिछड़े वर्ग को १० साल इस हाउस में और पार्लियामेन्ट में संरक्षण दिया गया है कि वह १० साल के अन्दर हर प्रकार से तरक्की, याफ्ता तबकों के बराबर सामाजिक, आर्थिक, हर प्रकार से और राजनैतिक दृष्टि से भी आगे बढ जायं और आगे ही नहीं बराबर आ जायं। ऐसी दशा में वह कौन सा क्रियात्मक कदम है कि जिनके मातहत इन बाकी ६ सालों के अन्दर उसको आप पूरा कर सकेंगे। लेकिन मुझे खेद होता है कि सरकार की ओर से इस तरीके का कोई कदम संकेतात्मक भी नहीं रखा गया है और जहां तक भाषण का सम्बन्ध है उसमें तो जिक्र ही नहीं किया गया। लेकिन अगर सरकार अपनी नीति में भी उस तरीके का परिवर्तन कर ले कि हम इन ६ सालों के अन्दर यह कार्य करेंगे जिससे यह समाज हर तरीके से आगे बढ सके तो ज्यादा मुनासिब होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां हम अपने समाज में एक क्रान्ति लाना चाहते हैं, अगर क्रान्ति इसी प्रकार से आती है तो अपनी विचारधारा और कार्य के तरीकों को बदलना होगा। अगर

सोचने में हम परिवर्तन करेंगे तो कार्य में भी तबदीली हो जायगी, इसलिए यह आवश्यक है कि कदम उठाने से पहले सोच लिया जाय कि कैसे कदम उठाया जायगा। इसलिये हमें निश्चित संकेत कार्यक्रम में करना चाहिये जिससे हम आगे बढ़ कर समाज की तरक्की कर सकें।

जहां तक राज्यपाल के भाषण का सम्बन्ध है उसमें यह कहा गया है कि हर तरीके से तरक्की हो रही है, पैदावार बढ रही है और १५ फीसदी हमारे देश की औसत आमदनी बढ गयी है। फी आदमी के हिसाब से और २० फीसदी हमारे यहां की उत्पत्ति बढ़ी है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो छोटे तबके के लोग हैं उनकी कितने प्रतिशत आमदनी बढ़ गयी है? माननीय रामस्वरूप गुप्त ने कहा है कि हर जगह मकान अच्छे बन गये हैं, दवादारू का प्रबन्ध हो चुका है, पंचायतें बन गयी हैं, गोया स्वर्ग बन गया है। लेकिन जो गरीब हजारों सालों से दबे हुए और कुचले हुए थे, समाज द्वारा पीड़ित थे उनके आगे बढ़ने के लिये कोई गुंजायश ही नहीं रह गयी है, जहां तक नौकरियों का सम्बन्ध है वह तरक्कीयाफ्ता तबके के लोगों के हाथ में हैं और वह उन लोगों को जो इस वक्त तक भी उनसे पीछे पड़े हैं उनको वहां नहीं आने देना चाहते हैं।

पिछले दिनों प्लानिंग विभाग में और और विभागों में किस तरह से नियुक्तियां हुईं? ५२ प्लानिंग अफसरों में कितने आदमी ऐसे हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट के हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग उनकी दिक्कतों को समझते हैं असल मानों में वही ठीक तरह से उनकी सेवा कर सकते हैं और जो लोग हमेशा उनको दबाने के लिये तैयार रहे हैं वे उनको दबाने की ही कोशिश करेंगे। अगर सरकार की ओर से कोई अच्छा कदम भी उठाया जाता है तो वे ऐसी कोशिश करते हैं कि वह न होने के बराबर हो जाय। अगर जिलों में नजर दौड़ाई जाय तो मेरे अपने जिले में ऐसे अफसर मौजूद हैं कि जो सरकार की तरफ से हरिजनों को सुविधायें दी गयी हैं उनको न के बराबर करने की कोशिश में रहते हैं। वहां एक व्यक्ति हैं जो चार पांच साल से ही नहीं बल्कि १४-१५ साल से वहां मौजूद हैं और वहां पर जम गये हैं क्योंकि उनके पास विशेष अधिकार हैं। पिछले दिनों वजीफे किस प्रकार दिये गये यह भी देखने की चीज है। बेवाओं के बच्चों को भी वजीफे नहीं दिये गये इसलिये कि वे पढ़े न सकें, योग्य न बन सकें। तो जहां तक जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का सम्बन्ध है वहां भी हमारे साथ न्याय नहीं होता है। राज्यपाल महोदय ने तो यह कहा है कि हम जल्दी ही इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि जहां न्याय, स्वतंत्रता और समानता की प्राप्ति तथा बन्धुता की वृद्धि हो सके। तो जहां यह लक्ष्य हमारे सामने है उस ओर हम कितना कदम बढा रहे हैं यह मेरी समझ में नहीं आ पा रहा है। देहातों में कितनी असमानता है। यहां हजार और बारह सौ से भी अधिक तनख्वाह बढाने की चेष्टा की जा रही है जबकि देहातों में एक मजदूर को दस रुपये माहवार भी प्राप्त नहीं हो पाता है। कुछ लोगों को आधे पेट सोना पड़ता है, कुछ को भूखा रहना पड़ता है, कुछ को २५ और ३० रुपये तक माहवार नहीं मिल पाता है। उनकी आय में हम किस तरह से वृद्धि करें ताकि वे बाकी समाज के बराबर आ सकें, उनको शिक्षा दे सकें, उनको रोजगार दे सकें, जिससे कि वे तरक्की कर सकें, इन सब बातों को हमें सोचना है। इस सम्बन्ध में हमारी कोई योजना नहीं है। सरकार को चाहिये कि इन समस्याओं की ओर ध्यान दे और एक विशेष कार्यक्रम बना कर उनको पूरा करने की कोशिश करे। चन्द कुंये बना देने से या दस बीस मकानों के लिये सहायता दे देने से या थोड़े से वजीफे दे देने से ये हरिजन कहलाने वालों के बच्चे आगे नहीं बढ सकते हैं। उनके पास साधन नहीं है। अगर वे शिक्षा शुरू भी कर देते हैं तो उसे छोड़ कर बैठ जाना पड़ता है। उनकी शिक्षा के लिये पर्याप्त मात्रा में हमें उन्हें धन की सहायता देनी होगी। ढाई सौ करोड़ रुपये की पंचवर्षीय योजना हम रख सकते हैं तो इनके लिये भी एक विशेष योजना की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही में

[श्री जयपालसिंह]

उनके मकानों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि उनके पास इतना भी जगह नहीं है कि वे अपने परिवार के साथ ठीक से रह सकें। इसलिये उनकी मकानों की समस्या को भी हल करना पड़ेगा ।

पिछले दिनों कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग्स का कानून भी आया लेकिन उसमें भी यह नहीं रखा गया है और उनको जमीन आजकल मिल नहीं पाती है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो पिछडा हुआ, दबा हुआ तबका है उसको आगे नहीं बढाया जाता है, जो तबका पिछड़ा हुआ है उसे पिछडा हुआ ही रखा जाता है और जो ऊंचा है वह ऊंचा ही होता जाता है, गोया अमीर अमीर ही बन रहा है और गरीब गरीब ही बन रहा है। इसको हमें बदलना पड़ेगा तभी हम तरक्की कर सकते हैं। अगर हमें तरक्की करना है और सारे समाज को समानता पर लाना है और उन उद्देश्यों की पूर्ति करना है जो कि हमारे संविधान में दिये गये हैं तो उसके लिये हमें एक नक्शा बनाना पड़ेगा और वह नक्शा इस तरह का होना चाहिये जिससे सब लोगों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और वह इंसान बनकर रह सके अन्यथा जितने भी प्लान हैं उन लोगों के लिये बेकार है। उनसे काम लेने के लिये हैं, उनको रास्ता बतलाने के लिये नहीं हैं, तरक्की के जीने पर पहुंचाने के लिये नहीं है बल्कि उनको नीचे ढकेलने के लिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमें अपना कदम इस ओर उठाना चाहिये और अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिये क्रियात्मक रूप देकर बढ़ना चाहिये जिससे उनका रहन-सहन ऊंचा हो सके और वह समाज के बराबर आ सकें। इसलिये मैं ज्यादा न कहते हुये थोड़े से शब्दों में यह कह देना चाहता हूं कि सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। जहां २५० करोड़ रुपये का प्लान बनाते हैं वह कई सौ करोड़ रुपये का प्लान इनके लिये बनाना पड़ेगा। रिफ्यूजीज के लिये आपने करोड़ों रुपये खर्च किये तो यह जो करोड़ों आदमी हैं इनकी जिन्दगी ऊंचा करने के लिये कई सौ करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी। यह कहना ठीक नहीं है कि यह तो आम समस्या है। मैं निवेदन करूंगा कि देहात में जिस तरह से आजकल ऊंच नीच है वह तो स्पष्ट ही है। माननीय शुक्ल जी ने ठीक कहा है कि हमारे यहां समाजवाद या फिरकापरस्ती बहुत बढ गया है। मैं चाहूंगा कि इस ओर जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिये ।

*महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि इस वर्ष जो माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में बहस हो रही है, उसमें प्रणाली बदल दी है। गत चार वर्षों से ऐसी प्रणाली रही है कि जिनके आप नाम लेते थे उसमें जिन्होंने संशोधन पेश किया है वही लोग सीमित नहीं रहते थे यानी जिनका संशोधन नहीं होता था उनका नाम लेते थे। लेकिन इस वर्ष ऐसा मालूम होता है कि इसको बदल रहे हैं। अगर ऐसा मालूम होता तो सब माननीय ४३० सदस्य अमेंडमेंट दे देते। लेकिन इसी प्रणाली के अनुसार लोगों ने संशोधन नहीं दिये क्योंकि वह आशा करते थे कि उनको अवसर प्राप्त होगा। इस सम्बन्ध में जो नई प्रणाली उपस्थित की जा रही है क्या आप प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि समय तो बहुत काफी है और सभी को समय मिलने की आशा करनी चाहिये। इस प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यह तो उचित ही है पहले सब संशोधन पेश हो जायं और संशोधन बहुत अधिक नहीं हैं। इसके बाद सदस्यों को मौका दिया जायगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं दिया :—

१—अलाभकर जोतों की मालगुजारी की छूट,
२—मालगुजारी की असंतुलित दरों में एकरूपता लाना,
३—जोत की भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित करना,
४—शिक्षित बेकारों की बेकारी दूर करने की योजना,
५—मद्य-निषेध को पूर्णरूप से लागू करना, तथा
६—पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को संरक्षण देना।"

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा लक्ष्य समाजवादी पेटर्न है। समाजवादी पैटर्न में और पूंजीवादी व्यवस्था में मुख्य अन्तर यही है कि पूंजीवादी व्यवस्था में मनी को ही प्रधानता दी जाती है लेकिन समाजवादी व्यवस्था में सोशल जस्टिस को प्रधानता दी जाती है और दी जानी चाहिये। अगर इस तुला पर हम तोलें तो हम देखेंगे कि जो किसानों के साथ सोशल जस्टिस होना चाहिये, गरीब किसानों के साथ, वह नहीं हो रहा है और अगर हमें समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करनी है तो उन किसानों के साथ हमको सोशल जस्टिस करनी पड़ेगी। हम देखते हैं कि मनी को, पैसे को ज्यादा तरजीह समाज में, जो आज प्रचलित समाज है उसमें ही नहीं दी जाती बल्कि हमारी सरकार भी उस पैसे के प्रलोभन के कारण जो सोशल जस्टिस होनी चाहिये उसकी तरफ ध्यान कम दे रही है। मैं समझता हूं कि सोशल जस्टिस का स्थान पहले होना चाहिये और पैसे का स्थान उसके बाद में। सोशल जस्टिस के साथ-साथ ही जितना पैसा आये उसी पर सरकार को अपना काम आधारित करना चाहिये।

जहां तक छोटे किसानों की बात है जिनके पास ३ एकड़ से कम भूमि है उनका प्रतिशत कुल कृषकों की पापुलेशन का ६७.४ है। जमीन जो वह काश्त करते हैं वह कुल जमीन का सिर्फ २२.८ रकबा है, यानी कुल जमीन का चौथाई से भी कम रकबा ऐसे गरीब काश्तकारों के कब्जे में है जिनकी पापुलेशन ६७.४ प्रतिशत है। हिसाब लगाने से ४ करोड़ २५ लाख खेतिहरों में से ३ करोड़ ऐसे लोग हैं कि जो ३ एकड़ से कम भूमि पर निर्वाह करते हैं और सूबे की कुल मालगुजारी १९ करोड़ है। अगर इस रकबे की चौथाई मालगुजारी हम माफ समझ लें जो रकबे के हिसाब से है तो सवा चार करोड़ रुपये मालगुजारी की कमी हो जायगी, लेकिन इस सवा चार करोड़ मालगुजारी की कमी से हम ६७.४ प्रतिशत उन छोटे किसानों को राहत देंगे। तीन एकड़ से कम, ५ बीघे से कम की खेती में कोई किसान क्या अपने बच्चों को पढ़ायेगा, क्या शादी विवाह करेगा, क्या खाना कपड़ा उसका होगा और क्या मकान बनायेगा। इतनी छोटी सी आमदनी पर किसी प्रकार यह उचित नहीं है कि हम उससे कोई मालगुजारी लें। मालगुजारी की दरों में अगर सरकार संशोधन कर दे तो शायद यह कमी भी पूरी की जा सकती है क्योंकि बहुत से काश्तकार ऐसे हैं और इनमें ज्यादातर बड़े काश्तकार हैं जो कि रोस्टर रेट से भी कम मालगुजारी देते हैं। यह और शोचनीय अवस्था है हमारे प्रदेश की। जितने छोटे किसान हैं वह उतनी ही ज्यादा मालगुजारी की दर देते हैं। मालगुजारी की बुनियाद के केवल चार आधार हो सकते हैं और वह यह हैं कि जमीन का उपजाऊपन, उत्पादन पर क्या व्यय पड़ता है, उत्पादन के लिये सरकार ने क्या सुविधायें प्रदान की हैं और उत्पादक के देने की शक्ति क्या है, लेकिन यह कोई भी आधार आज मालगुजारी के सम्बन्ध में नहीं रखा गया है। जो हमारे यहां की मालगुजारी का इंसीडेंस है वह परमानेन्ट टेन्योर होल्डर का १.९ फिक्स रेट, फिक्सड रेट टैनेन्ट ३.९७, एक्सप्रोप्राइटरी टैनेन्ट ४.७६, आक्यूपैन्सी टैनेन्ट ४.७८, नान-आक्यूपैन्सी टैनेन्ट ५.८४ और अवध में वह ७.०१ है। तो एक तरफ तो १.९ और दूसरी ओर ७.०१ है। इसमें सीर वालों को नहीं है। उस पर तो १ रुपया फी बीघे का ही है। ऐसी सूरत में अपेक्षतया जिनकी जमीन खराब है उन पर मालगुजारी ज्यादा है। जितना किसानों के खाने पीने से बच जाय और

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

उसकी पैदावार पर जो खर्चा हो, वह सब निकाल कर जो बचे उस पर सरकार को मालगुजारी लेनी चाहिये। लेकिन जिसके पास जितनी जमीन ज्यादा है और ज्यादा बचता है उनसे मालगुजारी कम ली जाती है और जिसके पास खाने का ठिकाना नहीं है उसकी मालगुजारी ७,८ गुनी ज्यादा है। सरकार अपना ५ करोड़ या सवा चार करोड़ रुपया देख रही है। यह नहीं देख रही है कि किसान के साथ सोशल जस्टिस हो रही है या नहीं।

जमीन की उच्चतम यानी सीलिंग निर्धारित करने के बारे में कल ही एक लेख दिवाकर जी का पोलैन्ड के बारे में पढ़ा था कि वहां ५० एकड़ की ऊंची सीमा निर्धारित कर दी गयी है और यह व्यवस्था की गयी है कि जो किसान अपने बालबच्चों को लेकर खेती करे उसे सरकारी सहायता मिलेगी और उसे आय-कर भी नहीं देना होगा। हमारे यहां सुविधा भी वही लेते हैं जो अपने हाथ से काम करने वाले नहीं हैं और मजदूरों से बड़े पैमाने पर खेती कराते हैं। तो समाजवादी पैटर्न के मुताबिक सोशल जस्टिस नहीं हो रही है। बटवारे के बारे में समाजवादी भाइयों की ओर से कहा जाता है कि बिना कुछ लिये ही जमीन का बटवारा होना चाहिये। लेकिन होना यह चाहिये कि एक उच्चतम सीमा निर्धारित करके उसके ऊपर जितनी जमीन हो वह किसी न किसी रूप में छोटे किसानों को पहुंच जाय। उसका सबसे अच्छा तरीका मैंने अपने एक विधेयक में रखा था कि उसकी अनिवार्य बिक्री करा ली जाय। यह और देशों में हुआ है। इस प्रकार से सरकार को मुआविजा भी नहीं देना होगा और न जमीन को ले कर बटवारे की कठिनाई उठानी होगी जैसी कि भूदान के सम्बन्ध में काफी दिक्कतें सुनने में आ ती हैं। अभी हमारे यहां १० हजार एकड़ से भी ऊपर बहुत से लोगों के पास जमीनें हैं और दूसरी तरफ आधे से कम एकड़ वाले किसानों की संख्या ६२.५ लाख है। यह इतना बड़ा अन्तर समाजवादी पैटर्न का नमूना नहीं है। अगर यह कहा जाय कि १० हजार एकड़ से ऊपर वाले बहुत कम हैं तो यह थोड़ा सा कलंक भी हमारे समाजवादी पैटर्न के लिये उचित नहीं है। १२ एकड़ से ऊपर ५ लाख ३८ हजार किसान हैं और उनके पास कुल जमीन १ करोड़ २२ लाख एकड़ है जो कुल जमीन का २९.६ है। २५ एकड़ से ऊपर १ लाख १४ हजार हैं। मेरी यह सब कहने की मंशा यह है कि जमीन की व्यवस्था उच्चतम सीमा निर्धारित करके होनी चाहिये। मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

मद्यनिषेध के बारे में हम लोगों ने धरने दिये और कहा कि शराब पीना समाज के लिये बहुत लज्जाजनक बात है लेकिन आज तक हम पूर्णरूप से शराब का बहिष्कार नहीं कर पाये हैं। मैंने उस पुस्तिका को भी पढ़ा जो कल यहां बांटी गयी थी लेकिन यहां तो यह है कि ५ करोड़ के लगभग जो आमदनी सरकार को इससे होती है उसका प्रलोभन छोड़ने के लिये सरकार तैयार नहीं है। आज सरकार स्वयं इसकी बिक्री कर रही है तो जनता अपने आप कैसे छोड़ेगी? मैं समझता हूं कि हमारे लिये इस प्रकार की सुस्ती करना शोभा नहीं देता।

शिक्षित लोगों के बारे में मौलिक रूप से सरकार को विचार करना चाहिये। अगर सभी शिक्षित लोग नौकरी करेंगे तो भ्रष्टाचार फैलेगा। ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिये कि नौकरी करने वालों के लिये सरकार कोई कोर्स विशेषरूप से तैयार करे जिसको कि नौकरियों में जाने वाले लोग पढ़ाये जावें। अगर कोई ऐसी योजना सरकार नहीं बनाती है तो सभी नौकरी के पीछे दौड़ेंगे और एक भारी मुसीबत का सामना सरकार को करना होगा। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि जल्दी इसकी व्यवस्था करे ताकि लोग अधिक नौकरी की ओर न जावें। ऐसी शिक्षा होनी चाहिये कि लोग नौकरी की ओर न दौड़ कर अपना स्वतंत्र व्यवसाय स्थापित करें, अपना स्वतंत्र उद्योगधंधा चलावें और अपनी जीविका का सामान मुहैया करें। नौकरी सरकार के पास इतनी नहीं हो सकती कि सबको दे सके। देखने में आ रहा है कि आज हमारा शिक्षित समाज नौकरी की ओर ही जाना अधिक पसन्द करता है। सरकार को चाहिये कि इसका कारण मालूम करे और लोगों की रुचि उधर से रोके। यदि ऐसा नहीं करती है तो जैसा मैंने अभी निवेदन किया सरकार के सामने बहुत कठिन समस्या पैदा हो जायगी जिसका सुलझाना सरकार के लिये आसान नहीं होगा।

जहां पिछड़ी जातियों की बात है, मैं निवेदन करूंगा कि जब मैंने इसे पढ़ा तो किसी माननीय सदस्य ने कहा कि असली बात तो यही रही। लेकिन मैं यह कहूंगा कि उनके लिये भी यह अलाभकर सिद्ध होगा कि पिछड़ी जाति वाले यह समझें कि चूंकि ऊंची जातिवाले ही नौकरी देनेवाले हैं इसलिये पिछड़ी जाति वालों को नौकरी नहीं मिलेगी। ऊंची जातिवालों के रिश्तेदार होते हैं और जिनकी उनके पास पहुंच हो उन्हीं को नौकरी मिले, यह भावना दूर करनी चाहिये। अगर इस लांछन से वह बचना चाहते हैं तो संरक्षण देकर उसे ठीक से अमल में लाने की आवश्यकता तो है ही, सरकार को साकार रूप से पिछड़ी जातिवालों की समस्या को हल करना चाहिये।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं—

"किन्तु सदन को खेद है कि:

१—भूतपूर्व मध्यवर्तियों के पुनर्वासन तथा उनके आर्थिक संकट के निवारण,

२—विंध्यप्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के एकीकरण,

३—बेरोजगारी तथा करों में कमी करने तथा

४—बाढ़पीड़ित क्षेत्रों में बरबाद मकानों के बनाने के लिये आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

उपाध्यक्ष महोदय, इस कांग्रेस सरकार ने जमीदारों का विनाश किया और इस कथन के साथ किया कि उन्होंने इसके द्वारा प्रदेश में मूक क्रांति फैला दी है और इस महान् क्रांति का प्रादुर्भाव इन लोगों की कृपा दृष्टि से हुआ। यदि यह स्वीकार भी कर लें तो इसके साथ जो दूसरा प्रश्न उठता है कि इसके द्वारा उन्होंने एक करोड़ जमींदारों को निस्सहाय और आर्थिक संकट में छोड़ दिया है। जब कि पंचवर्षीय योजना पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है उन लोगों को कोई नौकरी नहीं दी जा रही है। उनके लिये भी इस प्रकार की पंचवर्षीय योजना की आवश्यकता है। लेकिन आज उसकी आवश्यकता को महसूस नहीं किया जा रहा है। जब बड़ी आसानी से उनको केवल एक कलम से लापता कर दिया गया। दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि आज हिन्दोस्तान में जो कुछ हुआ वह रूस से अच्छा हुआ, लेकिन उसके साथ ही साथ यह भी कहने की आवश्यकता होगी कि जब कि वहां पर एक ही जगह लोगों को मौत के घाट पर उतार दिया गया, कैम्पों में मार डाला गया, वहां यहां पर जो रास्ता अपनाया गया है वह भी अधिक कल्याणकारक नहीं है। यहां पर लोगों को घुला-घुला कर मारा जा रहा है। आज आपने उनको ऐसी निस्सहाय स्थिति में रख दिया है कि उनके पास कोई जीविकोपार्जन का साधन नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ गरदनों के चलने से यह आभास होता है कि जो कुछ कहा जा रहा है उसमें कुछ तथ्य या सार नहीं है, मैं उनसे यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह विशाल भवन आगे चल कर देखेगा और वस्तुस्थिति का परिज्ञान करेगा। आवाज कसना बहुत सरल है। जो चीज आपको मदांध किये हुये है संभवत उसके कारण बहुत दिनों तक आप न देख पायें लेकिन अन्त में आपको अवश्य मालूम होगा। सन् १९५२ में जमींदारी का अन्त हुआ। अब चौथा साल चल रहा है कि अब सरकार ने रिहैबिलिटेशन आफीसर की नियुक्ति की है। हमारी हजारों कठिनाइयों के बाद आज यह प्रतिक्रिया हुयी है।

आज दिन पर दिन बान्ड्स का भाव कम होता जा रहा है। मैं यह नहीं कहता कि सरकार की इसमें कोई बदनीयती है और आशा करता हूं कि वह अपने वचनों का पालन करेगी परन्तु इसके साथ ही साथ मैं यह कहने के लिये मजबूर हूं कि आज जमींदरों को आधे और तिहाई दामों में अपने बान्ड्स को बेचना पड़ रहा है। दरिद्रता एक ऐसा महान् पाप है कि जिसके सामने योग्यता, बुद्धि और अच्छाई नहीं टिक पाती। श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि कम से कम इस सरकार को चाहिये कि वह रिजर्व बैंक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

से यह तय करा ले कि उसका भाव क्या है। जिससे यह तो मालूम हो सकेगा कि यदि कोई जमींदार बेचता है तो पता तो लग जायगा कि उस कागज के क्या सही दाम हैं और क्या हमारी सरकार आंकती है। आज मैं कहूंगा कि मंत्री चाहें तो देख सकते हैं कि तहसीलों में भी थोड़े से पूंजीपति जिनके पास दस पांच हजार रुपये की थोड़ी सी पूंजी है वह उन की मजबूरियों और विवशता से सर्वथा लाभ उठा रहे हैं। यह गवर्नमेंट सिक्योरिटी है इस का कुछ न कुछ मूल्य होना आवश्यक है। अगर इस सरकार ने यह मुनासिब समझा कि जमींदारों को प्रतिकर के रूप में कुछ न कुछ दिया जाय तो उस के मानी यह हुये कि जिस लक्ष्य से आप ने उन को यह बांड्स दिये हैं वह लक्ष्य पूरा नहीं होता, आप ने सोचा था कि अगर जमींदार उन को ४० साल तक रोकेगा तो उस को लाभ होगा लेकिन आज अपनी मजबूरी और विवशता के कारण उन को छोटे-छोटे पूंजीपतियों और बनियों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है और ४० और ३५ रुपये तक के भाव पर वह बिक रहे हैं। यह नहीं है कि कोई सरकार यह चाहती है कि उस की सिक्योरिटी की यह दुर्दशा हो, कोई सरकार ऐसी हालत में ज्यादा दिनों तक पनप भी नहीं सकती, इसलिये मैं समझता हूं कि यह चीज खुद सरकार के लिये ही कोई अच्छी बात न होगी। यदि आज नहीं तो सरकार को भविष्य में देखना होगा कि जो प्रतिकर बांड्स या पुनर्वासन ग्रान्ट दी जा रही है उसका कुछ तो असर उसके पीछे होगा। उस के पीछे भी आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत गम्भीर प्रश्न है। जहां तक रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट का प्रश्न है आप उस में सूद नहीं देना चाहते हैं, तो इस दशा में मैं समझता हूं कि वह केवल एक रद्दी कागज है और कोई ऐसा मूर्ख न होगा कि जो अपना रुपया ऐसी सिक्योरिटी में लगायेगा जिस पर कोई सूद न मिलता हो। मैं यह आशा करता हूं कि इस सदन में मैं जो कुछ कह रहा हूं वह माननीय माल मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ध्यान देंगे और एक गम्भीर परिस्थिति जो इस प्रदेश में पैदा हुयी है उसके लिये कोई रास्ता निकालना चाहिये इससे सरकार का वह उद्देश्य भी पूरा नहीं होता कि उससे हम कोई सम्पत्ति अर्जित न कर सकें जबकि वह दूसरे लोग समाज में अनुचित लाभ उठायेंगे और वह छोटे पूंजीपति इस तरह से लाभ उठावेंगे जो कि निन्दनीय है। जमींदारों ने भी रुपया काफी देखा है, उनके पास भी वह काफी रह चुका है लेकिन यह समय का काल चक्र है कि वह पूंजीपति आज उन को रुपया दिखाते हैं। समय परिवर्तनशील होता है उसको देखते हुये जो कुछ भी हो, उचित हो या अनुचित हो, उस पर तो समाज ही दृष्टिपात करे।

मैंने यह भी देखा कि आज जब कि भारत में प्रदेशों की सीमा का जिक्र है, जबकि बिहार और बंगाल को मिलाये जाने की चर्चा है तो हमारे लिये भी आवश्यक है कि हमारा प्रदेश भी बड़ा हो। मैं प्रसन्न था कि यू०पी० जिस रूप में था, किसी विधि के कारण यहां आकांक्षा उत्पन्न नहीं हुयी लेकिन अब समय यह चाहता है कि हमारा प्रदेश बड़ा हो और विंध्यप्रदेश जो कि अकेला नहीं रह सकता, मैं समझता हूं उसके लिये अलग रहना असम्भव है। तो ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश तथा विंध्यप्रदेश का एकीकरण दोनों के लिये हितकर तथा कल्याणकारी प्रतीत होंगे। विंध्यप्रदेश के कच्चे माल, खनिज पदार्थ उत्तर प्रदेश के पास जो साधन हैं उनके साथ मिलकर एक विशाल हित का सम्पादन कर सकते हैं और एक विशाल प्रदेश बन सकता है जिससे दोनों ही क्षेत्रों का कल्याण हो सकता है। श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि मैंने किसी लालच के विचार से नहीं, किसी चीज की प्राप्ति के हेतु नहीं, उत्तर प्रदेश जितना बड़ा है मैं उसी से बहुत प्रसन्न हूं किन्तु सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणों से देखा जाय तो यह परमावश्यक ज्ञात होता है कि विंध्यप्रदेश भी उत्तर प्रदेश का एक भाग हो जाय। श्रीमन्, इस बढ़ती हुयी दुनियां में छोटे-छोटे प्रदेशों का रहना कहां तक सम्भव होगा यह तो समय बतावेगा, किन्तु यह सत्य है कि आर्थिक दृष्टि से भी वे अपने को सुदृढ़ नहीं रख सकते। यदि वे अलग रहना चाहते हों तो मैं उनको बाध्य नहीं करना चाहता लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि वे अकेले नहीं रहना चाहते हों तो विंध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री से बात कर लें या जिस रूप में वे उचित समझें करें। मेरा तो यह एक सुझाव मात्र है जिसे सोचा जा सकता है और इसके पीछे कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिये

शंका की जा सके। सद्भावना की दृष्टि से मैंने कहा है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कम्प्लीकेशंस हों या कन्फ्यूजन वर्स कन्फाउन्डेड हों या इस वातावरण में कोई ऐसी बात उत्पन्न हो जिसमें कलह तथा एक दूसरे के प्रति असंतोष उत्पन्न हो। यह केवल मेरा सुझाव है और मैं समझता हूं कि न इससे उत्तर प्रदेश को क्षति पहुंचेगी और न विंध्यप्रदेश को ही।

मान्यवर, आज मैंने यह देखा कि यह सरकार लालायित है, अग्रसर है और कल्याणकारी मार्ग पर पथारूढ़ हो चुकी है और उन्नति के लिये सदैव चिंतित है, परन्तु मैं यह देखता हूं कि करों के बोझ से आज हम पिसे जा रहे हैं। पंचायत टैक्स, ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टैक्स, फिर मालगुजारी और फिर तकावी जो आप देते हैं वह सब कहां तक हम अदा कर सकेंगे, यह गम्भीरता का प्रश्न है। श्रीमन्, उन क्षेत्रों में जहां बाढ़ से काफी क्षति पहुंच चुकी है उस जगह हजारों और लाखों की तादाद में मकान नष्टभ्रष्ट हुये हैं, उनके लिये सरकार यदि तकावी देना भी चाहती है तो सूद लेकर। तो जब आप सूद लेकर तकावी देते हैं तो इस सरकार में और पुरानी सरकार में या बनियों में क्या अन्तर बाकी रहा? मान्यवर, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप लांग टर्म लोन नान बियरिंग इंटेरेस्ट पर दें जिसमें सूद न देना हो और कर्जे की अवधि लम्बी हो जिससे लोग घर बना सकें और अपने को आबाद कर सकें। दैवी प्रकोप के कारण यदि वे विपत्ति में फंस गये हैं तो उसमें उनका क्या दोष? यदि कोई यह समझे कि वे दूसरे साधनों से अच्छे, प्रभावशाली और समृद्धिशाली नागरिक के रूप में दिखाई देंगे तो यह भ्रम है और इस चीज के लिये एकमात्र सरकार ही सहारा है। यह सहारा तो सरकार से ही उनको हो सकता है।

श्रीमन्, जहां तक बेरोजगारी का सम्बन्ध है मैंने यह देखा और सुना भी कि सब इसके लिये बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ता है श्रीमन्, कि आज प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में जो सूरत है वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में भी रहेगी, और यूनिवर्सिटीज, डिग्री कालेजेज और हाई स्कूल से जो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं मैंने यह समझा कि उनका लक्ष्य केवल बाबू ही बनना था। अगर कोई नागरिक बाबू ही बनना चाहे तो इसमें कोई ऐसी निन्दनीय बात नहीं है। अगर ऊंचे की आकांक्षा न कर केवल उसी स्थान पर जाना चाहे तो मैंने यह माना कि हर आदमी बाबू नहीं बन सकता। आज विशेषज्ञों की जरूरत है, टेक्नीशियंस की जरूरत है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला इटावा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, दस्तूर से मैं अपना संशोधन पढ़ना चाहता हूं। प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में उद्योग धंधों की बढ़ोत्तरी के संबंध में जो सुझाव दिये हैं वे पर्याप्त नहीं हैं, तथा बेरोजगारी और विशेषतया शिक्षित जनों की बेरोजगारी के प्रश्न पर संकेत नहीं किया है तथा शिक्षा क्रम को योजनात्मक तथा समन्वित बनाने के प्रश्न पर भी कुछ नहीं कहा।"

अभी कुछ मित्र राज्य लायब्रेरी में, हाउस आफ कामन्स में बादशाह सलामत के भाषण के बाद प्रस्ताव जब आता है तो उसमें क्या कार्यवाही होती है उसको पढ़ रहे थे। वहां का रिवाज यह है कि यह फर्ज मन्सब है वक्ताओं का कि प्रस्तावक और समर्थक जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करते हैं उनको धन्यवाद दें, और वे ये शब्द कहते हैं कि जैसा भाषण उन्होंने दिया वैसा सदन के इतिहास में कभी इतना अच्छा भाषण नहीं हुआ। तो मैं जो प्रजातंत्रात्मक धारा सभा की जननी ब्रिटिश पार्लियामेंट के उस रिवाज के मुताबिक प्रस्तावक माननीय श्री गुप्त जी और समर्थक माननीय शिवमंगल सिंह कपूर को मुबारकबाद देता हूं उनके सारगर्भित और ओजस्वी भाषण के लिये जैसा कि इस सदन में कभी नहीं सुना गया। तो प्रश्न यह है कि जो राज्यपाल के संबोधन की सराहना प्रस्ताव में की गई वह बहुत मुनासिब है। जिन चार वर्षों के कार्य का राज्यपाल ने हवाला अपने भाषण में दिया वे सब तथ्य हैं, सत्य हैं।

[श्री गोपीनाथ दीक्षित]

किसी भी सरकार को उन कामों पर गर्व और गौरव हो सकता था जो राज्य सरकार ने पिछले चार वर्षों में किये। अभी हमारे भाई अवधेशप्रताप सिंह जी ने जमींदारी उन्मूलन का हवाला दिया, उनको उससे कुछ नाखुशी थी। लेकिन जैसे शान्तिपूर्वक कार्य हुआ उस पर कोई भी सरकार गर्व से सीना खींच कर तमाम इतिहास में जिन्दा रह सकती है और जो काम हुए पिछले चार वर्षों में वे सब सराहने के योग्य हैं। प्रश्न यह है कि हम यह समझते हैं कि जो कुछ हुआ वह अच्छा हुआ, लेकिन हम यह महसूस करते हैं कि जैसे मनस्वी और जैसे तपस्वी वहीं हमारे मंत्रीगण थे और जैसी सरकार हमारी अच्छी थी तो हम आशा करते थे और हम खुश होते कि जो बातें नहीं हुईं, वे भी हुई होतीं और जो आज काम हमारे सामने पड़े हुए हैं वे इतने बड़े हैं और जो पिछले जमाने में चार सालों में हुए और जो और हो सकते थे वे इतने बड़े थे कि हमारी इच्छाएं उससे भी आगे हैं। समय कम है इस लिये मैं अपने संशोधन के अन्दर रह कर, एक बात कह कर, अपने संशोधन के संबन्ध में ही कहूंगा। वह यह है कि गेंदा सिंह जी ने देहात के किसानों की हालत बतायी। मैं उनके साथ होने में कठिनाई अनुभव करता हूं। मैं रोज किसानों से पूछता हूं, जिन किसानों के सम्पर्क में मैं आया हूं, कुछ हमारे जिले के हैं या हमारे आस पास के हैं, मैं देखता हूं कि देहात की हालत आज शहर से अच्छी है। हमारी सार्वजनिक याददाश्त कमजोर होती है। लेकिन अगर हम पन्द्रह बीस वर्ष पहले की बात याद करें, तो हम जानते हैं कि हमारे देहात में दो-दो महीने लोग केवल एक बार रोटी खाकर रहते थे और दो-दो महीने आम खा कर और रात को दाल पीकर रहते थे। लेकिन आज आपको ऐसे लोग कठिनाई से मिलेंगे, जिनको अपना पेट बांध कर रहना पड़ता हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आज हमारे सामने है और जो देहात का भी सब से बड़ा सवाल है वह यह है कि जो हमारे लड़के, नवयुवक, पढ़ते हैं उनको नौकरियां नहीं मिलतीं और बेकार होकर उन पर बोझ बनते हैं। उन लोगों के बोझ बढ़ाने से किसानों के ऊपर बड़ा जबरदस्त दबाव पड़ता है और न वह खुद इस बोझ को सम्हाल सकता है न किसान सम्हाल सकता है। नतीजा यह है कि वह लड़के जो आज कालेजों में पढ़ते हैं और जिनको काम नहीं मिलता वह हमारे समाज के लिए एक जबरदस्त समस्या बनते चले जाते हैं और हमारे राज्य का लाखों रुपया तालीम पर खर्च होने के बावजूद बेरोजगारों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती चली जाती है, बेकारों का जखीरा गांवों में इकट्ठा करते चले जाते हैं। राज्य सरकार को इसका जल्द से जल्द मुकाबला करना चाहिये और करना होगा। यह समस्या किसी भी राज्य के लिये जबरदस्त खतरा है और इसलिये मैंने कहा कि सब से बड़ी समस्या बेरोजगारी और बेकारी की है। भूख की इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी बेकारी की समस्या। बेकारी की समस्या भूख की समस्या भी बन जाती है।

आज दो सब से बड़ी समस्याएं हैं। एक तो बेकारी की समस्या है और दूसरी पौरुष-हीनता की समस्या है। यदि हमारे युवक डट कर काम करने वाले नहीं हैं, जो पीढ़ी आपकी थी, अगर वह आगे बढ़ने नहीं जा रही है, अगर इस प्रदेश के लोग मेहनतकश नहीं हैं तो बेरोजगारी भी नहीं जा सकती। यह दोनों चीजें मिली हुई हैं और मैं समझता हूं कि राज्य के सामने आज दो सब से बड़े काम हैं। वे दो काम केवल दो बातों से ही हल हो सकते हैं। इसी लिये मैंने अपने संशोधन में केवल दो बातों की तरफ तवज्जह दिलायी है। पहली बात तो है उद्योग और उद्योग के सम्बन्ध में प्रश्न यह है कि जो अब तक बैकग्राउंड रही है उसको समझना होगा। आज जो आपके सामने राज्यपाल के संबोधन में सुझाव दिया गया है वह एक कदम है। अब तक क्या परिस्थिति थी, जो आपके यहां बड़े-बड़े कल कारखाने थे, तीन प्रकार के थे। तेल के कारखाने, शक्कर के कारखाने और कपड़े के कारखाने। शक्कर बम्बई और मद्रास में पैदा होने लगी और आपके यहां का कारोबार उधर जाने लगा। आपके यहां के तेल के कारखाने, एक वक्त में अगर आपकी याददाश्त काम दे, तो कुछ समय पूर्व बंगाल में यह प्रचार किया गया कि आपके यहां तेल में भटकइया के बीज मिलाये जाते हैं। और आपके

यहां से तेलहन जा कर बंगाल में कारखाने खुल गये। कपड़े के सम्बन्ध में यह स्थिति है कि जो लेबर कान्फ्रेंस हुई उसके अनुसार हमारे यहां सत्तर हजार की जगह चालीस हजार मजदूर कानपुर के टेक्सटाइल मिल्स में रह गये। मदरास, कलकत्ता और बम्बई के साथ उत्तर प्रदेश का एक जबर्दस्त संघर्ष चला और कारोबार उत्तर प्रदेश से हट कर पिछले १०, १२ वर्ष के बीच में यहां से कलकत्ता, बम्बई चला जाने लगा। कानपुर के पूंजीपतियों ने इस बीच में जितनी मिलें लगाईं वे सब कलकत्ता में या बाहर ही लगाईं और इसलिये लगाईं कि कुछ कारण थे। उनको फायदा चाहिये और वे फायदे के हिसाब से समझते थे कि यहां फ़ायदा नहीं हो सकता है। आज यह क़दम उठाया जा रहा है बहुत सही है कि हम इस पर विचार करें और हम जहां प्रदेशी भावना से देखें वहां यह देखें कि यदि हमारे राज्य के जितने अलग-अलग शहर हैं उन सब में अगर कोई कारोबार लगता है तो हमारे शहरों की आवश्यकता हमारे प्रदेश से ही पूरी होती है, तब हम अपने प्रदेश की गरीबी और बेकारी का मुकाबला कर सकेंगे। हम जहां देश का प्रश्न है वहां देश के साथ हैं। लेकिन जब प्रश्न हमारे प्रदेश का है तो हमको चाहिये कि हम केन्द्रीय सरकार पर अपना पूरा जोर इस बात के लिये डालें और सभी दल मिल कर इस बात को कहें कि यह उत्तर प्रदेश खेतिहर देश रहा है। लेकिन आज जब औद्योगीकरण हो रहा है तो लाजिमी तौर पर उत्तर प्रदेश किसी सूबे से पीछे नहीं रह सकता है, और यदि आप औद्योगीकरण करते हैं तो प्रत्येक जिले में जो जिला जिसके योग्य है वहां पर वह कारोबार अगर आप कायम करते हैं तो आप एक दर्वाजा खोलेंगे और उसमें अगर हमारी और आप की सब की मिल कर दिमाग़ी जहनियत लगायी जाय तो एक मौका होगा आपको बेरोजगारी दूर करने का। इस सम्बन्ध में मेरे दो तीन सुझाव हैं। एक तो यह कि यदि आप पब्लिक सेक्टर शुरू करते हैं तो आप अपने सरकारी मुलाजिमों से पब्लिक सेक्टर का काम नहीं करा सकते हैं। जिन लोगों ने ऐडमिनिस्ट्रेशन का काम सीखा है वे पब्लिक सेक्टर में सफल नहीं हो सकते। हमें ऐसे लोगों को लेना होगा जिनको चार-चार, आठ-आठ और दस-दस साल का अनुभव हो। हमको तीन चार साल लोगों को ट्रेन करना होगा कि कारोबार कैसे किया जाता है और इसके लिये मेरा सुझाव है कि इंडस्ट्रियल सर्वे सरकार को शुरू करना चाहिये।

मेरा यह भी सुझाव है कि कोई भी कमेटी, जो हमारे राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में कही है कि फ़ैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना रहे हैं उसमें वैज्ञानिकों को स्थान मिलना चाहिये और हमारे प्रदेश के वैज्ञानिक सूझबूझ में कहीं कम नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपके यहां ऐसे-ऐसे लोग हैं जैसे डा० गोपाल त्रिपाठी, बनारस युनिवर्सिटी के या डा० गिल्ड, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के। हम ऐसे लोगों को इस कमेटी में शामिल कर सकते हैं और उनके तजुर्बे से इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं।

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)—डाक्टर त्रिपाठी कमेटी में हैं।

श्री गोपीनाथ दीक्षित—अच्छा। दूसरी बात जिसकी तरफ मैं तवज्जह दिलाना चाहता हूं वह शिक्षा है। आज जो विशस सर्किल है, जिस तरह से हम रोज बेकार नौजवानों की संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं यह ठीक नहीं है। अगर आप प्लाण्ड एण्ड वोकेशनल एजूकेशन नहीं बनाते हैं और आप निगाह नहीं रखते कि जिन लोगों को आप तालीम दें वह किसी मकसद से नहीं तो वह तालीम बेकार है। आज इस बात की जरूरत है कि आप जो तालीम देने जा रहे हैं वह किस मकसद से है, वह आपके सामने होना चाहिये। और अगर मकसद सामने नहीं है और जिन्दगी भर वह तालीम काम आने वाली नहीं है तो बेकार है। १४ वर्ष तक आपकी फ्री और कम्पलसरी एजूकेशन की कांस्टीट्यूशन में १० साल के अन्दर गारन्टी दी है, दीजिये और उसका इन्तजाम भी कीजिये जल्द से जल्द। लेकिन १४ वर्ष के ऊपर जो शिक्षा है उसके लिये कोई योजना होनी चाहिये कि जिस नवयुवक को जो तालीम हम देंगे वह जिन्दगी के लिये इस बात की गारेन्टी होगी कि उसको पेशा मिलेगा और यदि इस तरह की

[श्री गोपीनाथ दीक्षित]

गारेन्टी नहीं है तो जो फ़ौज की फ़ौज बेकारों की तैयार हो रही है वह हमारे लिये शोभनीय नहीं है। मुनासिब यह है कि हम हर बच्चे पर निगाह रखें और देखें कि वह किस काम के लिये अधिक योग्य है और जिस काम के लिये वह योग्य है उसको उसी तरफ़ लगायें। इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारे नौजवान आगे बढ़ेंगे, बेकारी खत्म होगी, और असंतोष दूर होगा। अब आपसे सिर्फ एक बात निवेदन करके मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। यह जो संशोधन मैंने आपके सामने पेश किया है और जिस पर मैंने आप से इतना कहा, और इन चीजों की तरफ़ आप की तवज्जह दिलायी, वह उस संशोधन को मैं आपकी अनुमति से वापस ले रहा हूं। यह भी हाउस आफ़ कामंस का एक रिवाज है।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में बढ़ती हुई जन संख्या की रोकथाम, खेतों की हदबंदी तथा बेरोजगारी, गरीब गन्ना उत्पादकों के सप्लाई सम्बन्धी असुविधा के सम्बन्ध में कोई संकेत नहीं किया है।"

श्रीमन्, राज्यपाल महोदय का जो सम्बोधन है वह उत्साहवर्द्धक है। पिछले चार वर्षों में हमने देखा कि हमारे राज्य ने चतुर्दिक उन्नति की है। हमें इस अवसर पर एक यूरोपीय विद्वान के यह शब्द याद पड़ते हैं कि "आजाद देश में चिल्ल पुकार ज्यादा होती है लेकिन दुख कम होता है। अत्याचारी राज्य में शिकायत कम होती है लेकिन दुख ज्यादा होता है।" यह भी सत्य है कि किसी भी प्रजातंत्र प्रणाली के लिये, राज्य के लिये समालोचना, रचनात्मक सुझाव, उसके लिये भोजन का काम करता है। श्रीमन्, इसी दृष्टिकोण से मैं अपने कुछ विचार सुझाव के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। आज हमारे प्रान्त की सब से बड़ी समस्या जो मैं देखता हूं, वह है हमारी बढ़ती हुई आबादी। हम देखते हैं कि दस वर्ष में बीस प्रतिशत आबादी हमारी बढ़ रही है। इस प्रकार से पचास साल में हमारी आबादी लगभग दुगुनी हो रही है और इसी तरह से हम देखते हैं, हमने एक आंकड़ा एक पत्र में देखा था कि हमारी भारतीय नारी अपने पूरे जीवन में लगभग सात बच्चों की जननी होती है जब कि जापान में उनकी एक नारी पांच बच्चों की, अमेरिका में ३·३ और इंगलैन्ड में २·३ बच्चों की मां होती है। इस प्रकार से यह औसत है, यह अनुपात पूरे देश का है। हम देखते हैं कि इस सम्बन्ध में हमें कुछ कार्य करना होगा यदि हम इस तरह से इस कार्य को दुर्लक्ष्य करेंगे तो उसका परिणाम हमारे लिये भयंकर होगा। हम समझते हैं कि हमें छोटी आयु की शादियों को अल्पवयस्क विवाह की रोकथाम करनी होगी। उसी तरह से यदि हमारी सरकार कुछ नौकरियों में भी अविवाहितों को प्रोत्साहन दे तो यह भी अच्छा हो सकता है। यदि हम कुछ जड़ी बूटियों का भी इसके सम्बन्ध में शोध करें तो यह भी उचित ही होगा यद्यपि यह तरीका महात्मा गांधी के उद्देश्यों के विपरीत है और यह संयम के विरुद्ध है लेकिन महात्मा गांधी में जो विशेषता थी वह यह थी कि वह एक व्यावहारिक आदर्शवादी थे। हमें स्मरण है कि वह कहते थे कि अगर चोर आये तो हमें उसे चोरी करने देना चाहिये लेकिन मुझे याद है कि साबरमती आश्रम में हम लोग दो दो घंटे पहरा देते थे। इस दृष्टि से, हमें हरदम व्यावहारिक दृष्टि से जहां तक शासन का सम्बन्ध है कार्य करना ही पड़ेगा।

श्रीमन्, हमारे राज्य ने और बड़े-बड़े कार्य किये हैं। गोहत्या निषेध कानून यहां बनाया गया लेकिन उसके साथ-साथ हम देखते हैं कि जो बेकार पशु हैं पिछले चार वर्षों से राज्य ने उनके लिए कोई उपाय नहीं किया है। पिछले चार वर्षों में राज्य ने केवल तीन गोसदन स्थापित किये हैं। अगर इन बेकार पशुओं का कोई इन्तजाम नहीं किया गया तो यह हमारे सारे चारे को खा जायेंगे और फसलों को भी खत्म कर देंगे। इसलिये श्रीमन्, इसको प्राथमिकता मिलनी चाहिये, इधर विशेष ध्यान देना चाहिये जिससे कि हमारे अन्न उत्पादन में

बुद्धि हो। इसी तरह से जो हमारे हानिकर पशु हैं उन्हें भी हमें हटाना पड़ेगा। चाहे वे बन्दर हों या नीलगाय हों या किसी तरह के जानवर हों।

श्रीमन्, हम देखते हैं कि हमारे सामने गन्ना उत्पादकों की समस्या है। यह विभाग सम्भवतः १९३९ में स्थापित हुआ था और प्रति वर्ष लगभग १४ लाख रुपये हमारे राज्य के इस पर व्यय होते हैं। लेकिन जिस समय यह स्थापित हुआ था और जितना उत्पादन होता था उस अनुपात में आज जो उसका उत्पादन है वह बढ़ा नहीं है, वह कम है। यह सही है कि गन्ने का क्षेत्र बढ़ा है, लेकिन क्षेत्रों का उत्पादन नहीं बढ़ा है। आप को यह देख कर आश्चर्य होगा कि एक एक बीघे पीछे किसान को १२ मन सप्लाई की पर्ची मिलती है। होता यह है कि जो चलता पुर्जा किसान है, जो मिलों से या कोआपरेटिव सोसाइयटीज से अपना सम्बन्ध स्थापित कर सकता है वह ज्यादा पुर्जियां ले लेता है और गरीब किसान नहीं ले पाता है। उन्होंने तीन वर्षों के अनुपात निकाला है और उसके हिसाब से सप्लाई होती है। आप जानते हैं कि मार्च के दूसरे सप्ताह में प्रायः मिलों में सप्लाई बन्द हो जाती है लेकिन अभी भी ऐसे किसान हैं जिनको एक भी पुर्जी नहीं मिली है। आज यह स्थिति है। इसलिये इधर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस तरह से श्रीमन्, जब चन्द आदमियों के पास धन एकत्र हो जाय और उसके कारण लाखों आदमी बेकार हों तो यह एक बड़ा भारी सामाजिक पाप है। आज ग्रामोद्योगों को हमें देखना है कि किस तरह से हम उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। भारी उद्योगों की तरफ इस समय ध्यान दिया जा रहा है। उसकी आवश्यकता है। लेकिन जहां हमारी बेकारी का सवाल है वहां हमें छोटे उद्योगों को संगठित करने की आवश्यकता है। उनके सहकारी बिक्री केन्द्र होने की आवश्यकता है। जैसे अनाज के लिये आढ़त में हम मूल्य ऐडवान्स कर देते हैं और वह बिचौलियों के चक्कर में फंसता नहीं है इसी तरह से हमें इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह सही है कि हमारे राज्य में शिक्षित बेकारी है लेकिन उससे हमारी सामाजिक क्रान्ति हो रही है। उससे जाति पांति का ढांचा टूट रहा है। इसका परिणाम यह होगा कि हमारी दृष्टि जो संकुचित थी वह विशाल होगी और हमारे अन्दर राष्ट्रीयता की भावना फैलेगी। अब तो कम से कम हाई स्कूल को एक प्राइमरी एजूकेशन समझा जा रहा है और वे लोग गांवों में जो रोज के कार्य हैं उनमें लग रहे हैं। इसी तरह से राज्य ने छोटे मोटे उद्योगों को संरक्षण दिया है। इस सम्बन्ध में सरकार का यह धर्म है कि वह देखे कि सचमुच जो पैसा मिल रहा है वह उपभोक्ताओं को मिल रहा है या नहीं। यदि एकाधिकार के रूप में वह पैसा चला जा रहा है तब आप उसमें ज्यादा तरक्की नहीं कर पायेंगे। इसलिये इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

सामूहिक विकास योजनाओं के बारे में देश में बड़ी प्रगति हुई है। लेकिन मैं आप से अनुरोध करूंगा कि आप ऐसे असरकारी दल को भी भेजा करें जो देखे कि उसमें कितनी प्रगति हो रही है। यदि ऐसा नहीं होगा तो अन्त में आप को परेशानी पैदा हो जायगी।

इसी दृष्टि से जो हमारी सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं यह सही है कि जब तक हमारा नैतिक धरातल ऊंचा नहीं होता तब तक उनका कार्य आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन सूद की दर जो आप दे रहे हैं उससे बड़ा कल्याण होगा। जमींदारी तो गई लेकिन साहूकारी अभी बाक़ी है। इसलिये जो आप सूद की दर दे रहे हैं उससे हमको बड़ा सन्तोष हुआ है और इस तरह से हमारा किसान वर्ग उन साहूकारों से बच सकेगा। यदि हम इसी प्रकार अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते रहे तो निश्चित है कि एक समय आयेगा कि जब हम देश के और उन्नत प्रान्तों के मुकाबले में आगे प्रगति करते चले जायंगे। और आज इन शब्दों के साथ श्रीमन्, जैसी प्रगति की बात मैंने कही कि विद्युत् के बारे में, सिंचाई के बारे में और सड़कों के बारे में काफी उन्नति हुई है। जैसा कि माननीय राज्यपाल महोदय के सम्बोधन से ज्ञात होता है कि ९८ प्रतिशत सफलता प्राप्त हुई है। चुर्क सीमेंट फैक्ट्री का कार्य क्षमता ७०० टन प्रतिदिन है लेकिन आजकल ४०० टन ही उपलब्ध होती है। जैसा कि सरकार ने कहा है कि अगली योजना में इसका उत्पादन दुगना हो जायगा। म यह कहना चाहता

[श्री रामजी सहाय]

हूं कि राज्य की उद्योगीकरण की परीक्षा का यह समय है। अगर हमारे कार्यकर्ता यानी जो प्रशासक हैं उन्होंने व्यापारिक ढंग को अपनाया और उस प्रकार से कार्य क्षमता बढ़ाने की कोशिश की तो आगे आने वाले उद्योगों में भी हम उन्नति कर सकेंगे।

इसी दृष्टि से पीड़ितों के बारे में जो हमारे राज्य ने सहायता की है मैं उसको भूल नहीं सकता हूं। सरकार ने इतनी उदारता से सहायता की है कि आज हमारे विरोधी भी सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। कई जगह हमारे यहां टेस्ट वर्क्स चल रहे हैं। एक जगह मैंने देखा कि गलत हाजरी भरी जाती है। मैंने इस बात की कोशिश भी की जो ऐसा करते हैं उनको सजा मिले। इस तरह से गलत लोगों को प्रश्रय मिलता है और जो हमारी सरकार का उद्देश्य है कि गरीब जनता को राहत मिले वह नहीं हो पाता है। श्रीमन्, यह तो छोटी मोटी बातें हैं और इन पर मैं सदन का समय लेना नहीं चाहता हूं। मैंने जो उचित समझा है वह सुझाव सदन के समक्ष रखे हैं और आशा है कि सरकार इस पर ध्यान देगी, यही मेरा निवेदन है।

श्री [illegible] (जिला बलिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन पेश करना चाहता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

"किन्तु खेद है कि माननीय राज्यपाल ने अपने सारगर्भित अभिभाषण में शिक्षितों में बढ़ती हुई बेकारी की महत्वपूर्ण समस्या तथा उसके निवारण हेतु उपायों की ओर संकेत नहीं किया है।"

श्रीमन्, जहां तक इस प्रस्ताव का संबंध है मैं इसका पूरा-पूरा समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि सदन माननीय राज्यपाल महोदय का अत्यन्त आभारी है कि उन्होंने अपने अभिभाषण में हमारा ध्यान संविधान की उन व्यवस्थाओं की ओर आकर्षित किया है जिनको पूरा करने का हमारा पुनीत कर्त्तव्य होना चाहिये और उन्होंने पंचवर्षीय योजना और उसके लक्ष्य की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है। हम बहुत सी बातों में अपने निर्धारित लक्ष्य से बहुत आगे बढ़ गये हैं और कई जगहों पर हमने ९८ प्रतिशत तक सफलता प्राप्त की है, यह जानकर हमारे उत्साह में वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही श्री राज्यपाल जी ने हमारा ध्यान अगली पंचवर्षीय योजना की ओर भी आकर्षित किया है और उस ओर संकेत किया है जिनकी तरफ हमें आगे बढ़ना है और कठिन परिश्रम करना है और उन बातों की ओर भी संकेत किया है जिन से हमें आज बढ़ने में असीम प्रेरणा प्राप्त होती है।

उन्होंने यह भी बताया है कि अब तक हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य रहा है और हमें बहुत संतोष और प्रसन्नता होती है जब हमें मालूम होता है कि हमारी सरकार उद्योगों की तरफ कदम बढ़ा रही है। हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि एक ऐसी समिति का संगठन भी हो रहा है जिसकी अध्यक्षता एक प्रसिद्ध उद्योगपति करने जा रहे हैं। हमारे यहां जो नियोजन चल रहा है उसमें हमें जानना होता है। उसमें लक्ष्य क्या है और कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं। इस नियोजन के संबंध में जब विनोबा जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पंचवर्षीय योजना में हमें यह देखना है कि कितने आदमियों को इसमें काम मिलता है। यही नियोजन का माप दंड है। अगर इस चीज को हम लें तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारे राज्य को ऐसे उद्योगों की ही जरूरत नहीं है जिससे हमारा उत्पादन बढ़ जाय, बल्कि हमें तो यह देखना चाहिये कि अधिक से अधिक आदमियों को काम कैसे मिले। मुझे इस बात की तरफ संकेत करना है। हम तो यह समझते थे कि हमको ऐसी समिति का संगठन करना है जिसके रहनुमा ऐसे जननायक हैं जो गांधी विचारधारा के हों, जो जनता के बीच रहते हों, जो जनता के हृदय से आन्दोलित होता हो और जनता की संवेदनाओं को समझता हो, जो हमारी ऐसी व्यवस्था कर सके और ऐसी रहनुमाई दे सकें कि हम अधिक से अधिक आदमियों को काम में लगा सकें। जहां पर करोड़ों आदमी भूखे सो जाते हों, जहां करोड़ों आदमियों के पास पहनने के लिये वस्त्र न हो, रहने के

लिये घर बार न हो, जिनकी चिकित्सा की उचित व्यवस्था न हो, जहां चिकित्सा के अभाव में कीड़े मकोड़ों की तरह आदमी मरते हों वहां बेकारी की समस्या हो, आश्चर्यजनक है। जहां इतना काम करने को पड़े हों वहां बेकारी की समस्या हो, यह वास्तव में आश्चर्यजनक बात है। मैं तो समझता हूं कि यह बेकारी नहीं है, यह अव्यवस्था है। हमें इस अव्यवस्था का अन्त करना है। हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जिसमें हमारे आदमियों को पूरा-पूरा काम मिले, अधिक आदमी काम में लग जायं, कपड़े का उत्पादन करें, अन्न का उत्पादन करें, उनके लिये दवाइयों की व्यवस्था हो, उनके लिये शिक्षा की व्यवस्था हो, अपढ़ों को पढ़ाया जाय। अगर इन कामों को हम अपने हाथ में लें तो मैं समझता हूं कि कोई बेकार नहीं रहेगा।

यह बहुत गलत तरीका है सोचने का, जो कि अंग्रेजों की देन है कि बढ़ती आबादी ही बेकारी का कारण है। अंग्रेजों से कहा गया कि हिन्दुस्तानी कमजोर होते हैं, तो उन्होंने कहा कि अधिक बच्चे पैदा करते हैं। उनसे कहा गया कि उनके पास खाना नहीं है तो उन्होंने बता दिया कि वे अधिक बच्चे पैदा करते हैं खाना कहां से आये। हमारे पास कपड़ा नहीं है क्योंकि हम अधिक बच्चे पैदा करते हैं। तो जितनी हमारी समस्यायें हैं उनका उनके पास एक ही जवाब था कि हमारी जनसंख्या अधिक है और वह बढ़ती जाती है और हम उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते। आज हम उनकी विचार पद्धति से गाइड नहीं होते लेकिन फिर भी इस मसले में हम वैसे ही सोचते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है। हमारे पास इतनी जमीन है कि हम न केवल देश के वरन् बाहर के लोगों को भी खिला सकते हैं, हम वस्त्र भी इतना ही उत्पन्न कर सकते हैं कि जो हमारे देश की आवश्यकता को पूरा करने के बाद भी बच जाय और बाहर भेजें। लेकिन जहां ऐसी व्यवस्था हो सकती है वहां हम देखते हैं कि केवल यही सोचा जा रहा है कि चूंकि जनसंख्या बढ़ी है इसलिये हम बेकार हैं, इसलिये हमारे पास खाना नहीं है, इसलिये हमारे पास कपड़ा नहीं है, इसलिये हमारे पास दवाइयां नहीं हैं। इसलिये हम तो आज यह सोचते हैं कि हमारी मुख्य समस्या बेकारी की है जो जनसंख्या के ज्यादा होने से है नहीं। बल्कि इसलिये है कि हम उचित काम की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं कह रहा हूं, मेरा बिड़ला जी से परिचय नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं, कि चाहे बिड़ला हों या डालमियां हों या सिंहानियां हों, वह तो इस बात में माहिर हैं कि कम से कम खर्च में अधिक से अधिक फायदा कैसे किया जाय, वे तो जनश्रम शोषण के माहिर हैं। लेकिन हम को तो आवश्यकता इस बात की है कि हमको एक ऐसा आदमी मिले कि जो कम खर्च में अधिक से अधिक आदमियों को काम दे सके। कम खर्च में भले ही हम जीवन स्तर ऊंचा न कर सकें लेकिन सब आदमियों को खाना मिल सके, सब आदमियों के रहने की व्यवस्था हो, उन सब को वस्त्र मिले। अगर यह आन्दोलन हम चला सकें तो हमारी आज की समस्या पूरी हो जायगी, आगे की समस्या फिर देखी जायगी। मुझे संतोष इस बात का है कि हमारी सरकार इस ओर कदम उठा रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि साथ ही साथ इस तरफ भी ध्यान दिया जाय और आज जो समस्या बेकारी की है उसका निदान किया जाय। उसको छान बीन कर के यह समझा जाय कि वह बेकारी किस तरह की है और वह किस तरह से दूर हो सकती है। मैं तो समझता हूं कि अगर हम केवल दो चीजें करें तो यह काम पूरा हो सकता है। पहले तो शिक्षा का विस्तार किया जाय तो मैं समझता हूं कि आज का जो शिक्षित युवक है वह सब का सब इसमें काम में आ सकता है।

दूसरे अगर हम साथ में वस्त्र के उद्योग को लें और अम्बर चरखा जो अभी चला है उसमें बड़ी बड़ी स्कीमों पर ज्यादा रुपया न खर्च करके, खर्च करें तो हमारी बेकारी की समस्या हल हो सकती है और ५ वर्ष के बाद यह समस्या बिल्कुल नहीं रह जायगी। मैं समझता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी अच्छे विचारक हैं और मौलिक विचारक हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस समस्या को उन्हें एक क्रांतिकारी ढंग से हल करने का प्रयत्न करना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस एक वर्ष के अन्दर में, जब कि हमारी अगली

[श्री राधामोहनसिंह]

पंचवर्षीय योजना हमारे हाथ में आये उसके पहले ही, हम कोई ऐसी योजना इस समस्या को, इस बेकारी की समस्या को हल करने के लिये अपने हाथ में लें। मुझे विश्वास है कि अगर हमारे मुख्य मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान गया तो यह समस्या हल होकर रहेगी।

कुछ और बातों का संकेत हमारे राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में किया है। चकबन्दी के बारे में, आज चार वर्ष हुये, हमने विधान बनाया था। हमने ऐसा समझा था कि जमींदारी उन्मूलन के बाद बाकी समस्यायें हमारे किसानों की इस चकबन्दी से हल हो सकती हैं। और हमने तो यह ख्याल किया था कि ८ वर्ष में हमारे सारे प्रांत में चकबन्दी हो जायगी लेकिन आज हम देखते हैं कि हम एक-चौथाई भी काम नहीं कर पाये हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि चकबन्दी के कार्य को जल्दी आगे बढ़ायें, इसमें देर नहीं लगावें, ताकि किसानों की समस्या हल हो सके। उनका दुख जल्द समाप्त हो सके।

दूसरी योजना हमारी मद्यनिषेध की है। हमें मालूम हुआ है कि गांजा और अफ़ीम पर मद्यनिषेध लागू हो रहा है। लेकिन यह काफी नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार पूरा मद्यनिषेध करे।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

शराब के बारे में भी हम कांग्रेसवालों की तो निश्चित राय है कि पूर्ण मद्यनिषेध होना चाहिये। इन समस्याओं के बारे में हमें अधिक नहीं सोचना है। हमें संतोष है कि इस बारे में एक कमेटी भी बनी थी और उसने भी ऐसी राय दी है और हमारे प्रांत की सरकार ने कदाचित उसे स्वीकार भी कर लिया है कि हमारे प्रांत में पूर्णरूप से मद्यनिषेध लागू होगा। हमें आशा है कि सरकार की ओर से इसमें देर नहीं होगी।

हमारे प्रांत में चिकित्सा की काफी उन्नति हुई है। लेकिन जब तक हर जिले में एक ऐसा अस्पताल न हो जिसमें तमाम आधुनिक ढंग के सामान हों, और आधुनिक ढंग की चिकित्सा हर मनुष्य को मिल सके, तब तक हम यह नहीं कह सकते कि हमने पूर्णरूप से उन्नति इस दिशा में कर ली है। तभी हम समझेंगे कि चिकित्सा में वृद्धि हुई है। दूर-दूर जिलों के लोग लखनऊ इलाज कराने आते हैं और हर एक व्यक्ति के लिये यह संभव नहीं है कि वह इतनी दूर आ सके और इतना खर्च सहन कर सके। जो यहां आते हैं उनको इतनी दूर आकर भी जल्दी से अस्पताल में जगह नहीं मिल पाती है क्योंकि बैड मिलने में देर होती है जो कम हैं। मैं चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके यह व्यवस्था की जाय कि कम से कम हर जिले में एक अस्पताल ऐसा हो कि जहां पर चिकित्सा की पूर्ण व्यवस्था हो। जितनी व्यवस्था आज लखनऊ में है, बड़े एक्सपर्ट हैं, पूरा-पूरा साज सज्जा देवे, यह सब हो। साथ ही साथ हर गांव में यदि एलोपैथी का अस्पताल खोलना संभव नहीं है तो इतना तो सरकार को अवश्य करना चाहिये कि वहां आयुर्वेदिक के चिकित्सालय खोल दे ताकि गांव के लोग अपने घर रहते हुये इलाज करा सकें।

मैं समझता हूं कि ये ऐसी मांगें हैं जिनको न्यूनतम मांग कहा जा सकता है और जो हर राज्य को जो अपने को कल्याणकारी कहने की इच्छा रखता है, पूरा करना चाहिये। शिक्षा और चिकित्सा गरीब से गरीब आदमी को मिलनी चाहिये। जब हम इन बातों पर ध्यान देंगे तभी हम सच्चे रूप से कल्याणकारी राज्य स्थापित करने में सफल हो सकते हैं।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---माननीय महोदय, हमने प्रस्ताव के अन्त में २५ बातें बढ़ाने के लिये दी थीं लेकिन सिर्फ १० ही बातें इसमें आई हैं।

श्री अध्यक्ष---चूंकि आपने यह प्रश्न उठाया है इसलिये मैं आपकी जानकारी के लिये यह कह रहा हूं। जो प्रस्ताव या संशोधन आते हैं, मुझे अधिकार है कि उनमें जितनी बातें नियम के अनुकूल हों उतनी ही मैं रखूं। यह भी मैं कर सकता था कि पूरे

प्रस्ताव या पूरे संशोधन को कह देता कि अवैध है। लेकिन मैंने यह न करके थोड़ी सी मेहनत की इस विषय में, और शब्दों को देखने के बाद जो मैंने शब्द उचित समझे उन्हें रखा और अवैध को ही हटाया। इसमें नाराजगी नहीं होनी चाहिये। यह करने से उनका बोलने का अधिकार तो कम से कम कायम रहा। जो चीज आप समझते हैं कि छूट गई है वह आप अपने भाषण में कह सकते हैं, लेकिन भाषण की पद्धति के अनुसार ही कह सकते हैं।

श्री टीकाराम—बहुत अच्छा। मेरा यह प्रस्ताव है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:—

"किन्तु सदन को खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का संकेत नहीं किया है—

१—कृषिजन्य वस्तुओं तथा मिलों से पैदा होने वाली वस्तुओं की कीमत में असंतुलन होने से किसानों का अहित होना,

२—उद्योग धंधों के विकास के लिये सरकार की ओर से बननेवाली तथ्य निरूपण समिति में मजदूरों तथा उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों का न होना,

३—टैक्स लगाने की प्रणाली में आमूल परिवर्तन कर गरीबों के बोझ को हल्का करना तथा अलाभकर जोतों पर से सरकारी लगान को पूर्णतः समाप्त करना,

४—सरकारी चुर्क सीमेंट फैक्ट्री में अव्यवस्था का होना,

५—शिक्षा व्यवस्था में किये गये परिवर्तन से छात्रों में असंतोष तथा लगातार प्राइमरी स्कूलों तथा पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी,

६—उद्योगों में बरती जानेवाली अभिनवीकरण योजना के अन्तर्गत मजदूरों की होने वाली छंटनी,

७—पिछले वर्षा काल में बाढ़ों से होने वाली अभूतपूर्व और व्यापक क्षति रोकने के उपाय,

८—शराबबन्दी योजना का पूर्णतः इस वर्ष भी लागू करने की घोषणा का न किया जाना,

९—राज्य के पांच प्रमुख नगरों में अब तक कारपोरेशन की स्थापना न किया जाना,

१०—लगातार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव को स्थगित किया जाना।"

ये १० बातें हैं। इसमें सबसे पहले कृषि के संबंध में है कि हमारी कृषि से पैदा होने वाली वस्तुओं के और मिलों के द्वारा पैदा की गई वस्तुओं के मूल्यों में जो अन्तर है। मैंने देखा है कि किसान के घर की पैदा हुई चीज सस्ती बिकती है और उसके घर से निकल जाने के बाद वही गिरां बिकती है। किसान की उपज पर महसूल लगाया जाता है। मसलन तम्बाकू पर टैक्स लगाया गया और उसकी उपज से हमारा गरीब किसान अपनी उपज को बचा सकता है। लेकिन उस पर ३० रुपया मन टैक्स लगा कर सरकार ने उसे रोक रखा है। इतना टैक्स कहीं किसी पैदावार पर नहीं है। लेकिन सिगरेट और बीड़ी पर कोई ऐसा टैक्स नहीं है जिससे उसमें रुकावट हो बल्कि पीने की तरक्की होती जा रही है। किसान के ऊपर पहले मालगुगारी पड़ती थी अब लगान मालगुजारी हो गया है। अब एक और आफ़त आई कि असली किसान लगान देता है सरकार को और उसकी जमीन अधिवासी के पास है। तो अधिवासी से कच्चा लगान वसूल किया जाता है। इस प्रकार गवर्नमेंट दोनों तरफ से लगान वसूल करती है, किसानों से भी और अधिवासियों से भी। जबकि ३ बीघे के लिये २७ रुपये वसूल करती है, ऐसी मिसाल मेरे गांव में मौजूद है, तो इससे जनता में बड़ा असंतोष बढ़ता जा रहा है और सरकार समझती है कि यह असंतोष बेजा है।

[श्री टीकाराम]

अब आबपाशी को लीजिये। आबपाशी कुओं और नहरों से होती है। उसका हाल यह है कि रकबा घेर रक्खा है १,३०० एकड़ और आबपाशी होती है केवल ४०० एकड़। पहले के मुकाबले में पानी घट रहा है। अगर हम कुयें लगाते हैं तो गवर्नमेंट रोकती है। वह कहती है कि बगैर इजाजत के कमायूं में कुआं क्यों लगाया। ऐंजिन कुयें पर वह लगाने नहीं देती और दूसरी ओर पानी नहीं देती और हमको भी पानी के साधन जुटाने नहीं देती।

बिजली के संबंध में लिखा हुआ है कि उसकी तादाद १ लाख किलोवाट से २ लाख किलोवाट हो गयी है। बिजली बढ़ गयी है शहरों में लेकिन उसकी शरह घटी नहीं है। फिर इस बढ़ी हुई बिजली से क्या लाभ हुआ? इससे अवाम की क्या दिक्कत घटी।

देहात के बारे में कहा गया है कि वहां पर बगिया लग रही है। बड़ी तरक्की हो गयी है, वहां पर स्वर्ग दिखाई पड़ता है। अगर गांवों के लोग इतने मालदार हो गये हैं तो फिर यह इतना रुपया जो छूट और तकावी में दिया जाता है वह क्यों दिया जाता है? और उनके ऊपर यह संकट किस प्रकार से आता है।

शिक्षा के लिये कहा गया कि बड़ी तरक्की हो रही है। फीस बढ़ रही है, किताबों की कीमतें बढ़ रही हैं और तालीम का यह हाल है कि ऐंट्रेंस के लड़के से १९ का पहाड़ा पूछो तो गायब। कहीं एक दो सिफर की बड़ी गिनती बोल दो, लिख नहीं सकते और सरकार भी अरब खरब सब भूल गयी लिखती है २५० करोड़। यह हमारी शिक्षा है।

कोआपरेटिव सिस्टम बहुत अच्छा है। लेकिन वह भी आजकल बहुत गड़बड़ हो रहा है। इस संस्था के मेम्बरों ने हिस्से के रूप में २०-२० रुपये दिये किन्तु आज तक कोआपरेटिव सोसाइटियों के अधिकारियों ने कोई हिसाब नहीं दिया और इसका मैं खुद भुक्तभोगी हूं। उनका हाल यह है जब गेहूं लेते हैं तो छान छान कर लेते हैं लेकिन जब देते हैं तो उसमें जौ मिला हुआ मिलता है। खाद में नमक के बोरे मिलते हैं। इस तरह का कोआपरेटिव में काम होता है। गन्ना सोसाइटी का मैं मेम्बर हूं। १०-१० रुपया मेम्बरी फीस ४९,५३ और ५४ में दिया गया लेकिन अभी तक उसका हिसाब पूरा नहीं हुआ और उनसे दुबारा १०-१० काटा गया रसीद को दिखाने पर भी। १७ रसीदें हैं उनमें से तीन रसीदें कलेक्टर साहब (हाकिम परगना) को भी मैंने दिखाई उनमें हजारों रुपये का गबन हुआ है। ऐसा हिसाब उन सोसाइटीज का है। ऐसी सोसाइटीज से लोगों की रुचि हट रही है, लोग मजबूरन मेंबर बने हुये हैं। गन्ना का आफर हुआ है ६,६२,००० मन और पर्चे बांटे गये हैं ९,६२,००० मन के सट्टे के? एक एक को ८-८ पर्ची सीजन के खात्मे पर दी जायंगी। अब एक एक गाड़ी वाला ८-८ मील से ८ पर्ची किस प्रकार से डालेगा।

राज्यपाल महोदय के बयान में जंगलों के संबंध में भी जिक्र आया। गांवों में जंगल हैं ही कहां? वहां तो बंजर भी नहीं है। हां, गंगा के किनारे कुछ जंगल हैं। जब तक जंगलों को सरकार ने नहीं लिया था लोग उनमें से सेंटे, झाऊ आदि ले आया करते थे लेकिन अब लोगों को वह भी मिलना बन्द हो गया है। यह गांवों के लिये क्या स्वर्ग हुआ? उनके स्वर्ग को और नर्क कर दिया गया है।

इसके बाद नशाबन्दी की बात भी कही गयी है। कुछेएक जिलों में गांजा सरकार ने बन्द कर दिया है। नशाबन्दी का सरकार का यह हाल है कि एक जिले में बन्द किया है तो दूसरे में खोल रक्खा है। घड़ों शराब आप जहां चाहें वहां ले सकते हैं। लोग मनमाने ढंग से उसको बनाते हैं। अंधाधुंध चुआते हैं, कोई रुकावट नहीं है। बदाऊं में हीरालाल की दूकान खुली है। गांजे पर रोक लगायी गयी, तम्बाकू (बीड़ी-सिगरेट) पर कोई रोक नहीं है।

कहा गया कि किसानों का स्तर ऊंचा हो गया है। सुन कर हमारा सीना ऊंचा हो जाता है। ३१५ रुपया सालाना की आमदनी बताई गई। २६ रुपया महीना पड़ता है। जेल में जो लोग गये हैं उनको मालूम है कि वहां पर १२ छटांक आटा मिलता है, २ छटांक दाल मिलती है, १॥ ढाई सेर लकड़ी, १ छटांक तेल या घी और १ पैसा का नमक आदि जेलों में मिलता है। अगर उसका हिसाब लगाया जाय तो वह १३ आने का आता है और जब आप स्वयं जेलखाने का हिसाब समझते हैं तो फिर गरीब की कौन सी परिभाषा होगी जिस को आप समझ सकेंगे।

फिर पशुपालन की बात कही है। यह दुग्धशाला और गोशाला कहां खुल रही हैं, वह अमीरों के लड़कों के लिये खुल रही हैं या देहात में गरीबों के लड़कों के लिये भी कोई शाला खुल रही है। वह तो शहरों में खुल रही हैं देहातों में थोड़े ही खुल रही हैं। उनका नफा पैसे वालों को ही मिलेगा।

अस्पताल की बात लीजिये। अगर बीमार हो जाइये तो कहा जाता है कि इन्जेक्शन दुकान से ले आओ अधिकतर दवा शहर से मोल लाना पड़ती है। आप देख लें मेरा भी हाथ टूट गया, मैं भी भुगत चुका हूं।

इसमें एक और बड़ी अच्छी बात आई है और कहा गया है कि न्याय और बन्धु प्रेम और स्वतंत्रता बढ़ी है और उन इन तीनों की व्यवस्था की गई है। न्याय की जहां तक बात है उस को तो रिश्वत और सिफारिश खा गई। हर जगह सिफारिश से काम होता है, न्याय फिर कैसे रहे? या पैसा दो तब काम बनेगा। स्वतंत्रता का जहांतक ताल्लुक है वह डकैतों को स्वतंत्रता मिल गई है, उन्हें अन्याय और अत्याचार की भी स्वतंत्रता मिली है। डाकू मानसिंह मारा गया तो रूपा पैदा हो गया। इस तरह से गांवों में किसी की इज्जत और आबरू नहीं बच सकती। यह हालत है। बदायूं में देहात में सरेशाम रास्ते डर से बन्द हो जाते हैं, मेरे पड़ोस में गिधौल का रास्ता बन्द हो जाता है। बन्धु प्रेम का जहां तक संबंध है, मैं भी ८ बार जेल जा चुका हूं, हां, कांग्रेस में बन्धु प्रेम था सन् २१ में, ३० में, ४२ में और ४७ तक सब कुछ था लेकिन आज तो बन्धु प्रेम की यह हालत है कि मिनिस्टरों में भी फूट पड़ी है, उनमें और सब जगह दलबन्दियां हैं लेकिन वह बन्धु प्रेम न जाने कहां है। आज जो प्रेम है वह बन्धु प्रेम नहीं है वह तो खुला पैसे का प्रेम मालूम होता है।

इन बातों के अलावा और बहुत सी बातें हैं। मुझे एन० ई० एस० ब्लाक्स की तारीफ भी सुनने को मिली। हमारे यहां भी यह एन० ई० एस० ब्लाक्स हैं। खैरा एक गांव है जिसमें हमारे यहां के लोग भी मौजूद हैं, वहां हमने सड़क पर मिट्टी डलवाई। हमारे यहां एक चरणसिंह आर्गेनाइजर हैं उन्होंने उन लोगों की रिपोर्ट की जिन्होंने काम किया था और उन पर दस-दस रुपया जुर्माना डलवा दिया और वह ठाकुर साहब जो मिट्टी के ढिग (पास) नहीं गये उनको वाहवाही मिली। इस तरह से वहां श्रमदान हो रहा है। जैसे हुमायूं की सल्तनत में हुआ था कि जो लड़ाई के काबिल थे उनको तो लड़ाई में नहीं भेजा गया और जो लड़ाई के काबिल नहीं थे उनको लड़ाई में भेजा गया। मदरसों के लड़कों और सरकारी मुलाजिमों से श्रमदान कराया जाता है और जो मजदूरी करते हैं उनके पेट में लाठियां मारते हैं। यह श्रमदान की हालत है। मैं समझता हूं कि यह धन का अपव्यय है। गांव वाले कहते हैं कि जिस तरह जमींदारों को बेगार पहले होती थी उसी तरह से यह बेगार का दूसरा रूप है। श्रमदान बुरी चीज नहीं है लेकिन हो तो तरीके से।

इसके बाद विभाग तालीम का है। यह बेसिक तालीम है यह बेसिख तालीम है, कुछ सीखना नहीं है। जो किताब पहले ४ पैसे की मिलती थी वह अब २ आने की मिलती है, इससे गरीब पढ़ेंगे? अट्टी बनाओ और सूत बनाओ यह सिखाया जाता है हंडिया बनाओ, मटकियां बनाओ लेकिन किसी किसान के लड़के ने हंडिया और मटकियां बनाकर चार पैसा पैदा किया? कोई रोजगार करे तब तो बात और है सिवाय वक्त बेकार करने के। जूनियर हाई स्कूलों में खेती का काम लिया जाता है, मैंने खुद १० एकड़ जमीन प्रधान की हैसियत से दे रखी है। वहां दो घंटे पढ़ाई १० बजे और ११ बजे। और १२ बजे कहा कि भाई चलो

[श्री टीकाराम]

खेत पर। लड़के ने अब फावड़ा लिया। बाप कहता है कि हम लोग तो लौटते हैं तुम अब जाते हो। यह तो शिक्षा की हालत है। जैसे तैसे समझा बुझा कर उनको राजी किया जाता है लेकिन होता यह है कि पांच हजार की जमीन दे रखी है और पांच सौ रुपये का अनाज नहीं पैदा करते हैं। गांव वाले कहते हैं कि अच्छे प्रधान बने हो, यह हालत हो रही है। यदि मदरसा नहीं होता तो यह सब नहीं होता, उनका यह कहना है। तो यह हालत है उनकी खेती की। गांवों में तो लोग खुद खेती सीख लेते हैं। कहीं शहर में जाकर बेसिक खोलो। देहातों में यह बेसिक कारगर नहीं होगा।

श्री जोर[illegible] [illegible]र्मा (जिला हमीरपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के हेतु जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय---

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में---

१---परिगणित जातियों (Scheduled Castes)) कल्याण, उत्थान एवं नौकरियों (Services) में उनके लिये १८ प्रतिशत संरक्षण को कार्यान्वित करने की चर्चा नहीं की,

२---वनों के सरकारीकरण के कारण किसानों को कृषि सम्बन्धी व जलाऊ लकड़ी न मिलने से उत्पन्न कठिनाइयों और भूमिहीन कृषक-श्रमिकों की दयनीय दशा को सुधारने की कोई चर्चा नहीं की,

३---जनसाधारण की व्यक्तिगत आय और क्रय शक्ति के गिरने और बढ़ती हुई बेकारी की समस्या को सुलझाने का कोई हल नहीं बताया,

४---उद्योगों के अभिनवीकरण (Rationalization) के कारण छटनी, बेकारी तथा मिल-मालिकों और मजदूरों में बढ़ते हुये असन्तोष और संघर्ष को दूर करने के लिये कोई संकेत नहीं किया,

५---ग्राम पंचायतों की चुनाव प्रणाली में परिवर्तन कर गुप्त मतदान की व्यवस्था की कोई चर्चा नहीं की,

६---प्राथमिक शिक्षा-व्यवस्था और प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की आर्थिक दशा सुधारने तथा उनकी वेतन वृद्धि की ओर संकेत नहीं किया,

७---चिकित्सा को जन-साधारण तक पहुंचाने और रोगों की रोकथाम की यथोचित व्यवस्था की ओर कोई विशेष कदम उठाने की चर्चा नहीं की,

८---उत्तर प्रदेश और विन्ध्यप्रदेश के एकीकरण के लिए कोई संकेत नहीं किया।"

अध्यक्ष महोदय, मैंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ा जिसे पढ़ कर मुझे बहुत दु:ख हुआ। जब हम अपने संविधान को देखते हैं और पूज्य बापू जी के जीवन को देखते हैं तो उससे हमें मालूम होता है कि गांधी जी के जीवन में जहां तमाम और कार्य थे उनमें एक हरिजन चर्चा भी थी। शायद उनके जीवन का यह भी एक मुख्य काम था और उन्होंने इसीलिये शायद कहा भी था कि "अगर मैं मरूं तो हरिजन के परिवार में जाऊं और जन्म लूं।" महामहिम राज्यपाल ने पता नहीं लिखने से छूट गया या उन्होंने जानबूझ कर अपने अभिभाषण में हरिजनों की चर्चा नहीं की। हरिजन ऐसा वर्ग है जिसके कारण ही हमारा समाज और हमारा देश पिछड़ा हुआ है। वैसे हम सब जानते हैं कि महामान्य राज्यपाल हरिजनों को भूले नहीं हैं। हरिजनों की इस समय जो परिस्थिति है उसको प्रत्येक माननीय सदस्य जानते हैं। वैसे कहने सुनने के लिये तो यह है कि हरिजनों को सब प्रकार की सुविधायें हैं, १८ प्रतिशत सर्विसेज में संरक्षण भी उनको दिया

गया है लेकिन अगर वास्तव में देखा जाय तो दशा इसके विपरीत है। आज उनकी जो सामाजिक अवस्था है वह अत्यन्त शोचनीय है। वैसे कहा जाता है कि छुआछूत दूर हो गया लेकिन यह सब शहरों तक ही सीमित है देहातों में अब भी वही परिस्थिति है और हरिजनों के साथ वहां भी अब भी बुरा व्यवहार किया जाता है। काशी का विश्वनाथ मन्दिर और बद्रीनाथ मन्दिर ऐसे उदाहरण हैं जिनसे सर्वसाधारण यह बात समझ सकती है कि हरिजनों की सामाजिक और धार्मिक अवस्था क्या है। उनको अब भी उसी प्रकार पूजा के लिए मन्दिर में ईश्वर के दर्शन तक जाने के योग्य नहीं समझा जाता है।

आर्थिक परिस्थिति की बात तो यह है कि सरकार ने जमींदारी विनाश कानून बना दिया और यह आशा की थी कि जो जमींदार वर्ग है उसकी बहुत सी जमीनें मिल जायंगी और भूमिहीन हरिजनों को जमीन का वितरण होगा, लेकिन पिछले कई बार इस प्रकार का हिसाब बतलाया गया है कि लगभग ९३ लाख एकड़ जमीन गांव समाजों को दी गई और उनको आदेश दिया गया कि १० परसेंट से जहां अधिक जमीन पर्ती हो वह भूमिहीनों में वितरण कर दी जाय। अध्यक्ष महोदय, मुझे भी अपने जिले में सैकड़ों गांव देखने का अवसर मिला है लेकिन किसी भी गांव में या देहात में वहां जो पर्ती जमीन है वह गांव समाज के अधिकार में नहीं है। जितनी भी पर्ती जमीन है वह पहले के ही जमींदारों के अधिकार में है या जो जमीन बची खुची है, जो लट्ठबाज हैं, जो संगठित लोग हैं वे उस पर कब्जा किये हुए हैं। न तो उस पर गांव समाज का अधिकार है और न वह जमीन भूमिहीनों को ही मिली हुई है। यद्यपि लेखपालों के लिये यह आदेश है कि अगर कोई पर्ती जमीन पर अनधिकृत अधिकार जमाने की चेष्टा करता है तो ११५ के मुताबिक रिपोर्ट तहसील में करे लेकिन इस प्रकार की रिपोर्टें होती नहीं हैं और जो होती हैं उन पर कार्यवाही नहीं होती बल्कि लेखपाल लोगों का काबिज करते जाते हैं और शायद माल विभाग का ऐसा कानून है कि तीन साल तक कोई काबिज बना रहे तो सरकार भी उन लोगों से जमीन छुड़ा नहीं सकती है। मेरा तो एक प्रकार से यह दावा है कि मेरे जिले में कोई भी ऐसा गांव दिखला दिया जाय जिस पर गांव समाज का अधिकार हो। जो लट्ठबाज लोग हैं वही अधिकार किए हुए हैं। वहां पशुओं का चरना भी मुश्किल है।

राजनीतिक परिस्थितियों की हालत तो और भी खराब है। वैसे कहने को तो यह भी कहा जाता है कि जहां तक प्रतिनिधित्व की बात है असेम्बली, पार्लियामेंट, गांव सभा में जितनी उनकी सीटें निश्चित हैं उनके लिये चुनाव करना तो आवश्यक है लेकिन वास्तव में देखा जाय तो होता क्या है, जो सब लोगों के हृदय की बात है वह उससे चरितार्थ हो जायगी। प्रान्त की कांग्रेस कमेटी, डिस्ट्रिक्ट की कांग्रेस कमेटीज हैं। मैं इनको लेता हूं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में कोई हरिजन चेयरमैन या सेक्रेटरी नहीं होगा और इसी प्रकार से सारे प्रान्त की व्यवस्था है। प्रान्त में आज तक कोई भी हरिजन न तो प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी, या सेक्रेटरी हुआ है न अध्यक्ष ही हुआ है। यह चूंकि राजनीति से सम्बन्ध नहीं रखता है फिर भी इसका अपना एक महत्व है। इसलिए मैं कहता हूं कि इससे सर्वसाधारण की भावनाओं का पता चलता है कि जहां संरक्षण नहीं है वहां किंचित मात्र भी लोग अधिकार देने को तैयार नहीं हैं। इसी प्रकार से दूसरी पार्टियों के लिये भी कह सकता हूं।

जहां तक शिक्षा की बात है कहने सुनने को तो उनकी फीस माफ कर दी गई है। लेकिन हमारी सरकार ने कुछ दिनों से यह व्यवस्था कर दी है कि इंटर के ऊपर की कक्षाओं में हरिजनों की फीस माफ कर दी है और उनके लिये कुछ छात्रवृत्तियां कम्पलसरी कर दी हैं लेकिन जो छोटे-छोटे क्लासेज हैं, दर्जा एक से लेकर इंटर तक वहां १५, २० या २५ वजीफे जिले भर में रख दिये हैं। इसका नतीजा अध्यक्ष महोदय, यह हुआ है कि जो लोग पढ़ रहे थे उन्होंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, क्योंकि

[श्री जोरावर वर्मा]

उनकी हालत इतनी खराब है कि लोग प्रारम्भ से ही पढ़ नहीं सकते। उनकी आर्थिक स्थिति जो है सभी माननीय सदस्य जानते हैं। जहां तक पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है तो कहने को यह कहा जा सकता है कि इससे जनसाधारण का हित होता है लेकिन जहां तक मेरा अध्ययन है इससे हरिजनों का कोई हित नहीं होता है। उदाहरण के लिये कुछ एक करोड़ रुपये इरीगेशन में खर्च किये गये हैं। लेकिन प्रश्न होता है कि कितने प्रतिशत जमींन हरिजनों के अधिकार में है और जमींन की सिंचाई किस प्रकार होती है और इसी प्रकार जो दूसरी स्कीम्स हैं उन्हें ले लिया जाय। तमाम उत्पादन हो रहा है, तमाम रुपया बांटा जा रहा है लेकिन चूंकि हरिजन उन तमाम चीजों से वंचित हैं इसलिए पंचवर्षीय योजना के जो लाभ हैं वह उनको नहीं मिल पाते हैं। वैसे जो अभी अमृतसर में कांग्रेस हुई है उसमें श्री गुलजारीलाल नन्दा, केन्द्रीय नियोजन मंत्री ने जिस समय कांग्रेस की नियोजन नीति का प्रस्ताव विषय निर्धारिणी समिति में पेश किया तो उन्होंने स्वयं इस बात को कहा कि "अभी तक पिछड़े भागों, वर्गों और हरिजनों के लिए बहुत कम कार्य किया गया है।" इसी का समर्थन करते हुए संचार मंत्री माननीय जगजीवन राम जी ने यह कहा कि "अभी तक इन क्षेत्रों में कुछ भी काम नहीं हुआ है।" यह हमारे उन महान् व्यक्तियों की धारणाएं हैं जो कि उनके संसर्ग में हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन बातों पर परदा डाल कर वास्तव में अपने देश की उन्नति नहीं देखना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से सर्विसों का प्रश्न है। सर्विसों में यह कहा जाता है कि बड़ी-बड़ी नौकरियों के योग्य नहीं हैं। कई माननीय सदस्य इस बात को कह चुके हैं। क्या हरिजन चपरासी और छोटी मोटी नौकरियों के योग्य भी नहीं हैं। १८ या २० फीसदी उनको जो होना चाहिए क्या उनके लिए भी वह उपयुक्त नहीं हैं? जो लोग ऐसा कहते हैं मैं समझता हूं कि उनमें वही अंग्रेजी भावना है, जैसा अंग्रेज कहा करते थे कि भारतवासी शासकीय ऐडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स और बड़ी-बड़ी जगहों के योग्य नहीं हैं। अगर आज यह भाव है, तो जिस स्थान पर दूसरे लोग कार्य करते हैं उन्हीं स्थानों पर हरिजनों को भी सुविधा दी जाय तो यह अत्युक्ति नहीं है कि वह भी अपने कार्य को अच्छी तरह से चला सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक बुरी बात इसमें यह हुई है कि इस प्रकार के संरक्षण से जो लोग पहले हरिजनों में दिलचस्पी या सहानुभूति रखते थे उनको भी अब उदासीनता हो गयी है। जहां भी लीजिये, रेल में लोग इस प्रकार की चर्चा करते हैं कि यह सरकार हरिजनों के लिए सब बातें करती है। इसलिए मेरी सरकार से निवेदन है कि वास्तव में जो संरक्षण रखा गया इसके अनुसार नियुक्तियां करनी चाहिए। अन्यथा इसको वापस लेना चाहिए क्योंकि हम जनसाधारण की जिन भावनाओं से पलते थे और हमारा हित होता था उनसे भी हम अब वंचित हो रहे हैं।

जहां तक जमींदारी विनाश के बाद वनों की समस्या है, अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे साथी टीकाराम जी ने बताया है कि वनों के संरक्षण की बात तो दूर है जहां वन नहीं हैं वहां संरक्षण का प्रश्न अवश्य हो सकता है। इसमें माननीय राज्यपाल महोदय ने जिक्र किया कि ग्यारह प्रतिशत जमींन पर केवल वन हैं और गंगातट पर केवल दो प्रतिशत वन हैं। लेकिन बुन्देलखंड की समस्या पूरे प्रान्त से अलग है। वह पहाड़ी क्षेत्रों के समान ही है। वहां की व्यवस्था यह है कि वहां जंगलों को काट करके ही खेत निकालते हैं और खेती करते हैं। लेकिन जो यह कानून जंगलों का लग गया है इसके कारण वहां के लोगों को अपना जीवननिर्वाह करना दूभर हो रहा है। क्योंकि वहां की जमींन बहुत ही कम कीमत की है। इसलिए वह लोग मौरूसी जमींन को भी १–२ वर्ष को छोड़ देते हैं जिसमें कुछ न कुछ जंगल हो जाता है। अब जो नया कानून पास हुआ है इसके अनुसार सैकड़ों आदमियों को नोटिस दे दिये गये हैं कि तुम्हारे खेत में जंगल बढ़ गया है इसलिए तुम काट नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, आप भी उस प्रदेश के रहने वाले हैं। कृपा कर आप भी मालूम करेंगे कि

कितने लोगों को इससे परेशानी हो गयी है। दूसरी बात यह है कि वहां जंगली पशु बहुत रहते हैं और खेती का नुकसान करते हैं। अगर उनको मारने की आज्ञा मांगी जाय तो जंगल का कानून ऐसा है कि जानवरों को मत मारो---मारो तो सरकार के हुक्म से मारो। इस प्रकार की जो बातें हैं उससे किसानों और जनता का अहित हो रहा है। जो प्रदेश जैसे हैं उनकी अवस्थाओं के अनुसार वैसा ही कानून होना चाहिए। गंगा की तलहटी में हो सकता है कि जंगलों के विशेष संरक्षण की आवश्यकता हो लेकिन बुंदेलखंड में लोगों का आधा जीवन वनों पर निर्भर करता है। वहां पर जलाने की लकड़ी भी नहीं मिलती। खेतीबारी की लकड़ी तो बहुत मुश्किल से मिल पाती है। उन्हें अधिकारी वर्ग खुले रूप से नहीं देता है। उसका नतीजा यह होता है कि लोग चोरी से ले देकर काटते हैं और एक के बजाय चार चार पेड़ काटते हैं। इसलिए वन विभाग की नीति का नतीजा उल्टा निकल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायतों की बड़ी सराहना की है महामहिम राज्यपाल ने, लेकिन अभी हाथ उठा कर वोट देने के कारण वोटरों की जो दुर्दशा हुई है उससे शायद सम्भवतः सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य परिचित होगा। मेरे यहां तो अध्यक्ष महोदय, कई गांवों में गोलियां चलीं और एक गांव तो ऐसा है कि जहां एक आदमी को तो वहीं मार डाला गया जिसने कि उसको वोट नहीं दिया था और अभी तक चार आदमी वहां मार डाले जा चुके हैं। वह आदमी फरार है और यह कहता है कि "जिस जिस ने मुझे वोट नहीं दिया है, एक एक को मारूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा।" इसी प्रकार से सुमेरपुर के पास एक गांव हमारे यहां है वहां प्रधान पद के लिये एक हरिजन खड़ा हुआ था एक सवर्ण के खिलाफ। उसे वहीं गोली से मार डाला गया है। तो ऐसी समस्यायें आज गांव पंचायतों से पैदा हो गई हैं। आज गांव गांव में पार्टियां हो गई हैं। राजनैतिक पार्टियों को तो वह लोग समझते ही नहीं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, वहां आपस में ही पार्टियां पैदा हो गई हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले के एक एम० एल० ए० साहब हैं। उनके ही गांव में एक हरिजन गांव सभा का प्रेसीडेन्ट हो गया तो गांव के सवर्ण लोगों ने उसका और हरिजनों का बायकाट कर दिया है। जब यह समस्या गम्भीर हो गई तो किसी तरह से मैं उनसे मिला और मैंने कहा कि आप किसी तरह से इस समस्या को सुलझा लीजिए नहीं तो मुझे वहां आना पड़ेगा। अन्त में बड़ी मुश्किल से यह समस्या हल हुई। अध्यक्ष महोदय, जिस समय यह गांव पंचायत कानून पास हो रहा था उसी समय मैंने कहा था कि अगर वास्तव में गांव पंचायतों को सफल बनाना है तो पंचायतों के चुनाव की उसी प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए जैसा कि एम० एल० एज० और एम० पोज० के चुनाव के लिए है, क्योंकि ऐसा न होने पर आपस में मनमुटाव बहुत बढ़ जाता है।

शिक्षा की दशा तो यह है कि सन् ४५-४६ में २२ हजार स्कूल खोलने की व्यवस्था की गई लेकिन वह आज तक पूरी नहीं हुई। तेरह, चौदह हजार स्कूल खुले हैं और उनमें से आधे की बिल्डिंग नहीं बनी है। गवर्नमेंट ने वादा किया था कि श्रमदान से जो लोग बिल्डिंग बनायेंगे उसमें वह एक हजार रुपया देगी। लेकिन अभी तक तीन चार हजार स्कूल ऐसे हैं जहां गवर्नमेंट ने रुपया नहीं दिया है। शहरों में डिग्री कालेज खुलते जा रहे हैं लेकिन गांवों में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये कम से कम हर गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोलने की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।

श्री शिवनाथ कटजू (जिला इलाहाबाद)---मैं श्रीमन्, एक प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। आपके सामने की घड़ी में और आपके पीछे की घड़ी में एक मिनट का फर्क है।

श्री अध्यक्ष---मैं अपने सामने की घड़ी देख रहा हूं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गुप्त जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इस सदन के सम्मानित सदस्य ही नहीं वरन् इस प्रदेश की ६ करोड़ ३२ लाख जनता श्रीमान् राज्यपाल के सम्बोधन के लिए आभारी है। श्रीमन्, आभारी इसलिए हैं कि इन चन्द सालों में उन्होंने और उनकी सरकार ने जो इस प्रदेश में कार्य किये हैं वह किसी भी प्रजातन्त्रीय देश में नहीं मिल सकते। श्रीमन्, किसी राष्ट्र के जीवन में आठ और नौ साल न के बराबर होते हैं लेकिन इतने समय में प्रदेश और देश युद्ध और बटवारे के आघातों से कराह रहा था, उस समय हमारे नेताओं ने, हमारी सरकार ने देश के शासन की बागडोर अपने हाथ में ली और उन चन्द सालों में जिन कमियों से जिन आवश्यकताओं से हम परेशान थे उनको धीरे धीरे वीरता तथा धीरतापूर्वक सुलझाया। माननीय सदस्य गेंदासिंह जी ने कहा कि हमारी जो रोजमर्रा की आवश्यकताय हैं उन्हें हमारी सरकार पूरा नहीं कर पाया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि सन् ४७ में जो हालत थी नमक, कपड़े, अन्न आदि की समस्यायें थीं उनको क्या हमने हल नहीं किया। यदि किया है तो मानना चाहिए। आज आप तुलना करते हैं उन देशों से जो देश हमारे देश से १०० साल आगे हैं। तो हमें यह देखना चाहिए कि इन चन्द सालों में आठ और नौ साल में जो कुछ हमने किया है वह कम नहीं है। यह शिकायत हो सकती है कि जिस तेजी से करना चाहिए था उस तेजी से नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, जो कुछ हमने अब तक किया है और जो कुछ हमें अभी करना है उसके मुकाबिले में वह जो हमने किया है वाकई न के बराबर है। हमको अभी बहुत कुछ करना है। एक बहुत बड़ी मंजिल है उसको हमें तय करना है और उसी मंजिल को तय करने के लिये हमने अपने समाज की व्यवस्था में एक परिवर्तन किया है। अभी हमारे माननीय सदस्य जयपाल सिंह जी ने कहा कि हमारे सामने कोई लक्ष्य नहीं है। हमें अफसोस है कि उनकी ऐसी धारणा है। यदि उन्होंने हमारे आबादी के प्रस्ताव को, हमारे नेताओं के भाषणों को सुना होगा तो उनको मालूम होगा कि हम जिस समाज की रचना करना चाहते हैं उसका उद्देश्य हमने स्थापित कर लिया है। वह न समाजवादी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था हमारी कांग्रेस ने, संसद ने और विधान सभाओं ने, सभी ने इस उद्देश्य को अपना लिया है उसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि माननीय जवाहरलाल जी रूस से जब लौटे तो उनके दिमाग में यह बात आयी और समाजवाद की बात उन्होंने सोची। लेकिन आज से २० वर्ष पहले सन् १९३६ में लखनऊ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें उन्होंने जो शब्द कहे थे अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं दो तीन लाइनें पढ़ दूं। उन्होंने कहा था :—

"Much as I wish for the advancement of socialism in this country I have no desire to force the issue in the Congress and thereby create difficulties in the way of out struggle for Independence. I shall co-operate gladly and with all the strength in me with all those who wish to work for independence even though they do not agree with the socialistic solution. But I shall do so stating my position frankly and hoping in the course of time to convert the Congress and the country to it."

उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त कोई ज्यादा कम्प्लीकेशन पैदा नहीं करना चाहता लेकिन यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब मौका आयेगा तो उस वक्त मैं कांग्रेस और देश को समाजवादी व्यवस्था में कन्वर्ट करने के लिये कदम उठाऊंगा। तो सोवियट रूस की यात्रा के बाद उन्होंने यह ऐतिहासिक परिवर्तन किया। अभी माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि हमने इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कुछ भी नहीं किया है। जमींदारी उन्मूलन, स्टेट ड्यूटी, छोटे छोटे कर्मचारियों की तनख्वाहों को बढ़ाना, इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण, बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण, स्पेशल हिन्दू मेरेज ऐक्ट, क्या ये सब

कदम समाजवाद की ओर नहीं है। जहां तक असमानता का सवाल है, आप इंगलैण्ड को ही ले लीजिये जो समृद्धि में हमसे १०० साल आगे है। वहां के एक डैमोक्रेटिक सोशलिज्म के बड़े लेखक मौरिस डाबिन ने अपनी किताब 'problems of planning' में बताया है कि इंगलैण्ड में १० लाख से लेकर ५० पौंड तक की हैसियत के लोग हैं। सम्पत्ति के बटवारे के बारे में उन्होंने लिखा है कि १० फीसदी जनता के पास ९० फीसदी सम्पत्ति है। दूसरी तरफ करीब करीब १० फी सदी जनता ऐसी है जो राष्ट्रीय इन्कम का ४५ फी सदी से भी ज्यादा का अपहरण कर लेती है, बाकी ९० फी सदी जनता में करीब करीब ५५ फी सदी बटवारा होता है। रूस की मिसाल ले लीजिए। वहां का जो युवक कल्चरल डेलीगेशन हिन्दुस्तान में आया और उत्तर प्रदेश में भी आया उसके साथ में सात दिन तक रहा। उनसे मैंने पूछा, उन्होंने यह स्पष्ट बताया कि उनके यहां भी आर्थिक असमानता है। उन्होंने कहा कि अगर वहां के मजदूर को ८०० रुबल मिलते हैं तो वहां के प्रोफेसर को, इंजीनियर को, बुद्धिजीवी को कम से कम २ हजार या ३ हजार रुबल मिलते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वहां महंगाई की हालत यह है कि एक जूते का पेयर १५० रुबल में मिलता है। वहां किसी को तनख्वाह मिलती है, उतनी ही वहां महंगाई भी है। हमने पूछा कि इस असमानता को महसूस नहीं करते हैं यही असमानता द्वेष की भावनायें पैदा कर देती है तो इसके जवाब में उनकी मुस्कराहट थी। उन्होंने कहा कि हमारे नेता जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। हमारे यहां बीसों डैम बने, लाखों किलोवाट बिजली बनी, खाद्य समस्या हल हुई, जो सन् ४७ में कमियां थीं उनको दूर किया गया, पहली पंचवर्षीय योजना बनी, दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी। तो यह कहना कि कुछ भी नहीं हो रहा है यह कहां तक ठीक है। यदि हमने कुछ नहीं किया है तो आप ठोस सुझाव दीजिये, हमें बताइये कि ये ये गलतियां हैं। इस रास्ते से चलिये जिससे प्रदेश का कल्याण होगा। लेकिन एकदम यह कह देना कि कुछ भी नहीं हुआ यह बात मेरी समझ में नहीं आती। अभी माननीय वर्मा जी और कुछ दूसरे सदस्यों ने हरिजनों के बारे में कहा और हरिजन कल्याण के बारे में भी कहा कि अभी तक हरिजनों के लिए कुछ नहीं किया गया है बड़े दुःख की बात है। आजादी मिलने से पहले तथा कांग्रेस आन्दोलनों से पूर्व हरिजनों की क्या अवस्था थी और आज हरिजन कहां हैं। शिकायत तो दरअसल में हमें होनी चाहिये। आज ब्राह्मणों का कोई मान नहीं रह गया है और उनका स्थान हरिजनों ने ले लिया है, उनकी पूजा होती है और वह उद्घाटन कार्य करते हैं। आज हर व्यक्ति हरिजन बनने को उत्सुक है क्योंकि आसानी से नौकरी तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं और इसके अलावा हमारे बजट का एक करोड़ रुपया उनको दिया जाता है। सरकार के दिल में है, अगर कागज में होता तभी आप मानते। आप समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी जी चाहते थे कि मैं तो उस दिन को देखूंगा कि जब हरिजन हमारे यहां का राष्ट्रपति होगा। हमारे नेता हरिजनों का कल्याण दिल से चाहते हैं। इसीलिये कानून बना दिये गये हैं कि समाज में हरिजनों को कोई हीन दृष्टि से नहीं देखे। मुस्लिम्स को वेटेज था उसको बन्द किया गया लेकिन हरिजनों को संविधान में १८ प्रतिशत और नौकरियों में वेटेज दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा आम हरिजन विद्यार्थियों की फीस माफ है और हरिजनों को वजीफा वगैरा भी मिलता है। जो इंटरमीडियेट वगैरा में पढ़ते हैं उनको भी वजीफा मिलता है और हर तरह की इम्दाद उनको दी जाती है। ऐसी हालत में उनको तो किसी भी तरह की कोई शिकायत होनी ही नहीं चाहिये। वह आजकल बराबर बैठते हैं और हम लोगों के साथ खाना खाते हैं फिर भी कहते हैं कि हरिजनों के लिये कुछ नहीं होता है। हम तो जातिपांत को ही नहीं मिटाना चाहते हैं बल्कि यह चाहते हैं कि न कोई हिन्दू है, न कोई मुसलमान है और न कोई ब्राह्मण है और न कोई हरिजन है। हम सब भारतीय हैं। यह शूद्र है, यह क्षत्रिय है, यह वैश्य है यह सब गलत है। इसीलिये हमारी कांग्रेस सरकार ने जो वोटर लिस्ट बनाई है उसमें कोई जाति पांति का सवाल नहीं रहा है और सबका उसमें एक ही नाम है।

[श्री नेकराम शर्मा]

मान्यवर, हम एक ऐसे राज्य को बनाना चाहते हैं जो गरीबों का राज्य हो जिसमें गरीब अमीर सब एक होकर रह सकें। गांधी जी ने भी लिखा है कि समानता के माने यह नहीं है कि एक हाथी को जितना खाना चाहिये उतना ही एक चीटी को भी दिया जाय यानी दोनों को बराबर कर दिया जाय, बल्कि जीवन से सम्बन्ध रखने वाली जो आवश्यक वस्तुएं हैं वह सबको उपलब्ध होनी चाहिये। अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार आवश्यक वस्तुएं हैं खाना, कपड़ा, मकान और शिक्षा। क्या आज किसी को कपड़ा नहीं मिल रहा है, क्या किसी के खाने का व्यवस्था ठीक नहीं है ? यह हो सकता है कि जितनी आप आशा करते हैं उतना हमने प्राप्त न किया हो। इसके लिये आप बेस सुझाव दे सकते हैं, राय दे सकते हैं। श्रीमन्, हम अपने देश की एक मनमोहन और सुन्दर तस्वीर बनाना चाहते हैं। चित्रकार जब तस्वीर बनाने की सोचता है तो उसके सामने एक इमेज आ जाती है और फिर उसको साकार देने के लिए साधन जुटाने की सोचता है हम अपने देश की तस्वीर बना रहे हैं। हम समाजवाद की व्यवस्था करना चाहते हैं जिसमें कोई भूखा नंगा न रहे। यह धन पैदा करने से ही हो सकता है। धन परिश्रम से पैदा होता है। खेती और इन्डस्ट्रीज से पैदा होता है। हमारी पहली पंचवर्षीय योजना खेती के सम्बन्ध में थी और यह दूसरी अगली पंचवर्षीय योजना उद्योगों के सम्बन्ध में है। इन दो चीजों से ही धन पैदा हो सकता है और धन पैदा करने के लिये आपका सहयोग चाहिये, आपके ठोस सुझाव चाहिये। मैं इस बात को मानता हूं और स्पष्ट कहता हूं कि जितना देश प्रेम हमको है उतना ही हमारे गेंदा सिंह जी और उपाध्याय जी को भी है और जितनी देशभक्ति हममें है उतना ही उनमें भी है और उनकी भी यह इच्छा है कि हमारा देश धन धान्य और फल फूलों से परिपूर्ण हो। हमने अपने यहां प्रजातन्त्र को अपनाया है। अगर कल डिक्टेटरशिप को अपनाते तो जल्दी तरक्की कर सकते थे। हमने प्रजातन्त्र को अपनाया है अतः अपने लक्ष्य की सफलता के लिये हमें धीरे चलना पड़ता है। अपने साधनों को देखते हुए हमारे मित्र मौर्य जी ने कहा कि किसानों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। एक इन्टर नेशनल जर्नलिस्ट है उसने बड़े सुन्दर शब्दों में लिखा है कि :—

"Indian land is going to the man who tills it on a scale the world have never before seen and by peaceful means."

इतना ही नहीं भूदान का एक इतना जबर्दस्त आन्दोलन, एक मूक क्रान्ति हुई जिसमें ३८ लाख एकड़ जमीन दूसरे लोगों ने भूमिहीनों के लिये दे दी दान में और उत्तर प्रदेश में भी करीब करीब ५४ हजार एकड़ जमीन दी गई है। तो क्या क्रान्ति उसी को मानते हैं कि जो हम खून, हिंसा करके, शोर मचा कर करें। क्या क्रान्ति ऐसा करने के बाद ही हो सकती है ? हमारे यहां इसके विपरीत क्रान्ति हुई शान्त और मूक, जिसने बड़े बड़े राजाओं और जमींदारों को खत्म किया, बाद के बीच के जमींदारवर्ग को खत्म किया। जहां तक सीलिंग का सवाल है, हमारी आल इंडिया कांग्रेस कमेटी का प्रस्ताव है और हम सीलिंग करना चाहते हैं। वेतन की भी सीमा ऊंची से ऊंची फिक्स कर देना चाहते हैं और अवश्य करेंगे। हमारा मकसद यह है कि हम नीचे के लोगों को पहिले ऊंचा उठावें। तो जितने भी कानून बन रहे हैं वह सब उसी दिशा की ओर हैं। यह कहना कि हम समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं और उसके लिये कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक नहीं है। यह जो डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं यह किसके लिये हो रहे हैं। उसी किसान और मजदूर के लिये यह कहना कि बड़े, बड़े हो रहे हैं और छोटे, छोटे हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि केवल जयपाल सिंह जी ही कह सकते हैं। लेकिन वास्तव में आप देखें, जैसा कि दीक्षित जी ने कहा कि क्या हमारी जो दशा १९४७ में थी, क्या वही आज भी है ? मैं अभी मिर्जापुर गया, बनारस गया, रिहन्द डैम देखा, वहां पर चुर्क

सीमेंट फैक्ट्री देखी, वहां सब जगह जंगल में मंगल हो रहा है। बिजली जल रही है और हजारों मजदूर काम में लगे हुए हैं। मीलों लम्बी सड़कें बन रही हैं। श्रमदान में देखा कि लोगों ने अपने श्रम से मीलों लम्बी सड़कें बनाई हैं। तो इतनी जबरदस्त श्रमदान की भावना पैदा हुई और इतना कार्य हो रहा है और उसके बाद यह कहना कि कुछ नहीं हुआ और सरकार निकम्मी है, मुझे ठीक नहीं प्रतीत होता।

मैं आप से अर्ज करता हूं कि हमने तस्वीर बनाई है और उसके लिये हम सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे पास काटेज और दूसरी इंडस्ट्री के लिये रिपोर्ट्स आयी हैं। सरकार का निश्चय है कि अगर हमको तरक्की करनी है तो हमको उद्योगीकरण करना होगा। इसके लिये सब से ज्यादा जरूरी है कि हम धन पैदा करें और धन पैदा करके हम अपने समाज और प्रदेश को ऊंचा करें। आज जो बाहर के देशों के नेता यहां आते हैं वह हमारी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि वास्तव में हमने बहुत तरक्की की है, लेकिन हम उल्टी बातें करते हैं। मैं समझता हूं कि यह ठीक दृष्टिकोण नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कंस्ट्रक्टिव सजेशन्स दें केवल यही न कहें कि सरकार ने यह नहीं किया, वह नहीं किया। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—जनाब स्पीकर महोदय, जो रेज्योल्यूशन हिज एक्सीलेन्सी गवर्नर की तकरीर पर, उनके ऐड्रेस के शुक्रिया के लिये पेश हुआ है, उसकी ताईद करता हूं। जहां तक उस मुजामीन का ताल्लुक है जो उन्होंने अपनी तकरीर इरशाद फरमायें, उनमें मुख्तलिफ रोशनियें मुख्तलिफ प्वाइन्टों पर उन्होंने डाला। उन्होंने जो फरमाया है वह बहुत ठीक फरमाया है। आज वाक्यात की रोशनी में अगर उसको देखा जाय, मुखालिफत, एख्तलाफ तो होते ही रहते हैं, लेकिन बतौर वाक्ये के यह गलत है कि इस सूबे के गवर्नर ने इस सूबे के अन्दर गैरमामूली तरक्की नहीं दिखाई है। इससे इन्कार करना मेरे ख्याल में ताज्जुब की बात होगी। यह सूबा खुसूसियत के साथ अपने मुल्क से काश्तकारी का, गल्ले उगाने का सूबा है। इस सिलसिले में आप देखें, जो गवर्नर साहब ने लिखा है, वह मैं समझता हूं बतौर वाक्ये के सही है और मैं चैलेन्ज करता हूं अगर हमारे कोई भाई उसे गलत साबित कर दें। नहरों का जाल पूरे सूबे में बिछ रहा है और हम यह उम्मीद करते हैं कि यकीनन इतने बड़े सूबे के अन्दर इतनी रकम लगा कर, इतने दिनों के अन्दर, हम इतने ज्यादा गल्ले की मुहिम सर नहीं कर सकते थे जितनी कि हमने सर की है। इसमें कोई शक नहीं है। आप इसके अलावा और कोई बात कहें वह हमारे लिये काबिले कुबूल होगी लेकिन जब किसी वक्त अपने दुख की, तकलीफ की शिकायत करते हों तो यह दयानत के खिलाफ होगा कि जो अच्छी चीज हो उसको हम मजाक में उड़ा दें, उसको हम टाल दें और उसकी तरफ से आंखें बंद कर लें।

जहां तक हमारे हरिजन भाइयों का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस की पूरी तारीख, जो वर्षों की है उसमें एक लमहा भी मैं आपको दयानतदारी से कहता हूं बिला किसी हिचक के कि आप एक लमहा भी नहीं बता सकते हैं कि जब कांग्रेस में तहरीकी जान न रही हो, अछूतों और नीचे गिरे हुए लोगों को न उठाया हो। कांग्रेस हमेशा से उनमें जान डालती रही है। इस तरफ उसने काम किया है और आगे और भी ज्यादा करेगी। जिस रिजर्वेशन की अछूतों और हरिजनों को जरूरत थी, वह रिजर्वेशन भी उनको दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी तजकिरा करना चाहता हूं कि यह बदकिस्मती एक तबके की रही है और मुसलमानों को वह रिजर्वेशन नहीं मिला है गोकि उनकी एक कसीर तादाद इस सूबे में है और कभी उनके लिये भी ऐसा रिजर्वेशन था। उसको खत्म कर दिया गया। तो जो गवर्नमेंट ने उनके साथ किया है उसके लिये वह मुबारिकबाद की मुस्तहक है कि उसने इस थोड़े से वक्त में यह सलाहियत उनमें पैदा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी]

कर दी कि वह कैबीनेट में रह सकें, मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर रह सकें और जिन्दगी के हर शोबे में तरक्की कर सकें। जो कदम इस तरफ गवर्नमेंट ने उठाया है वह काबिल तारीफ है और उससे इंकार नहीं किया जा सकता। उससे इंकार करना अपने वजूद से ही इंकार करने के बराबर है।

जहां तक खेती बारी का ताल्लुक है उसके लिये भी आनरेबिल मिनिस्टर साहब मुबारिकबाद के मुस्तहक हैं कि उन्होंने थोड़े से वक्त में ही काफी कामयाबी हासिल की है। मंत्री जी इस वक्त यहां नहीं है इसलिये मैं आनरेबिल गवर्नर को मुबारिकबाद दूंगा जिनकी रियासत के अन्दर ज्यादा से ज्यादा जमीन खेती के लिये मुहैया की गयी।

जहां तक सड़कों का ताल्लुक है देहात में अब भी उनकी बहुत कमी है और उसकी वजह से सख्त तकलीफ है। लेकिन इसके मुताल्लिक भी कुछ काम हुआ है और आगे होने की उम्मीद की जाती है। इसी तरह से बिजली के मुताल्लिक भी आसानी हो गई है।

एक चीज और है। उसमें एक तरफ तो आसानी हुई है और एक तरफ शिकायत है। तालीम के बारे में गवर्नर साहब की मैं तारीफ करूंगा कि उनकी गवर्नमेंट ने चंद सालों के अन्दर ही, आजादी के पहले और आजादी के बाद भी इस तरफ बड़ी तेजी के साथ कदम बढ़ाया है बहुत से ऐसे उलूम थे जो कि जमीन में गड़ चुके थे, उन्होंने उनको ऊपर उभारा और आज उनको भी स्कूलों और कालेजों के अन्दर पढ़ाया जाता है और वे फैल रहे हैं। अन्दाजा यह है कि अगर यह बेतास्सुबी जारी रही तो हर फन हर जगह जल्दी ही फैल जायगा।

जहां तक उर्दू का ताल्लुक है उसके बारे में मुझे शिकायत है। बहुत से साहबान घबरा जायेंगे कि इसने फिर वही उर्दू का तजकिरा किया। लेकिन यकीनन उर्दू के बारे में बेतवज्जही बरती गयी है। लेकिन आज मुल्क के अन्दर जो फिजा पैदा कर दी गयी है बाहर के लोगों को बुला कर उसके अन्दर यह मुमकिन नहीं है कि आप किसी चीज को इगनोर कर सकें। अगर आपने ऐसा किया तो वह चीज बाहर जायगी, अगर आपने इंसाफ बरता तो वह भी बाहर जायगा। हमने अपने मुल्क को इतना ऊंचा उठाया है तो आज यहां की जितनी जबानें हैं वह सब फले फूलेगी और उनकी तरक्की को चाहे थोड़े दिन को रोक लिया जाय लेकिन उसको कोई दुनियाँ की ताकत रोक नहीं सकती और वह ज्यादा दिन तक नहीं रोकी जा सकती। आप लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं और यकीनन इल्म और जबान के मामले में आप आगे बढ़ेगें। यह ठीक है कि हजारों की तादाद में स्कूल खुले और यूनिवर्सिटी की तालीम जारी है लेकिन मुझे अभी शिकायत है कि स्कूल खुले लेकिन हमें तालीम के मयार को जितना ऊंचा उठाना चाहिए था उतना ऊंचा उसको हम नहीं उठा सके। हम देखते हैं कि रोजाना तालीम में पस्ती होती जाती है। हमारे लड़के स्कूल कालेज से निकलते हैं आज वह अंग्रेजी, अरबी, फारसी नहीं बोल सकते अगर हिन्दी पढ़ कर निकलते हैं तो वे हिन्दी शुद्ध नहीं बोल सकते। उनका मयार अभी ऊंचा होने के बजाय पस्त है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि तालीम के महकमे को किसी बड़े एजूकेशनिस्ट और बड़े आदमी के हाथ में दें जो समझदार और पढ़ा लिखा हो तो ज्यादा अच्छा होगा, आप खुद इस बात को महसूस करते होंगे, मैं यह नहीं कहता कि हमारे मौजूदा वजीरे तालीम काबिल नहीं हैं वह भी काबिल आदमी हैं। मेरा मतलब यह है कि जो तालीम का माहिर हो उस के हाथ में सूबे की तालीम दी जाय। पहले हमारे मुख्य मंत्री वजीरे तालीम थे उन्होंने निहायत काबलियत से उसको चलाया उसके बाद वह होम मिनिस्टर हो गए और अब वह चीफ मिनिस्टर हो गए और जो इल्म और तालीम की तरक्की हुई है वह काबिले तारीफ है। अगर तालीम का महकमा उनके हाथ में होता तो यकीन है कि उसका मयार ऊंचा होता ....

श्री अध्यक्ष—अब आप भाषण कल जारी रखें। अब हम उठते हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजे, अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
२१ फरवरी, १९५६।

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७९ पर)

अनुसूचियां

अनुसूची संख्या १—अपर और लोअर गंगा नहरें, पूर्वी यमुना और आगरा नहरें, शारदा नहर, दून नहरें, रामगंगा, घाघरा, रोहिन, डांडा और रामगढ़ नहरें, बाम गंगा नहर (जिसका निर्माण हो रहा है)।

फसल	दरें रुपयों में प्रति एकड़			
	डाल		तोड़	
	रु०	आ०	रु०	आ०
गन्ना	३२	०	१६	०
चावल, तरकारियां, बाग, हर फसल, सिंघाड़ा, पोस्ता	१४	०	७	०
तम्बाकू	१६	०	८	०
चाय, बगीचे और बाग दून नहर के ..	१५	०	७	८
गेहूं, जौ और वे फसलें जो गेहूं और जौ के साथ हों	१२	०	६	०
कपास	४	८	२	८
चारे की फसलें	३	०	१	८
हरी खाद	२	०	१	०
अन्य रबी की फसलें	९	०	४	८
अन्य खरीफ की फसलें	७	०	३	८

अनुसूची संख्या २—बेतवा, घासन, केन, बहुज, गढ़मऊ, घोसी बेलन और सुरारा नहरें, घाघरा नहरें, जिसमें गराई नहर भी सम्मिलित है, बरबार नहर, मंझगवां, आझार, रायपुर, बेलासागर, कमालपुर, जवन्ती, कुलपहाड़ और जगनेर तालाब। बांदा जिले के तालाब, सिआ ओरी और बरवार झीलें दूधी क्षेत्र में बेदार दमूहां और राज और बांध झांसी और हमीरपुर जिलों की झीलें और तालाब। बांदा और इलाहाबाद जिलों की केन नहर तालाब जालौन जिले की बेतवा नहर की बंधियां। कोसी, बुहाला घूगा और गान नहरें रामपुर:—

फसल	दरें रुपयों में प्रति एकड़			
	डाल		तोड़	
	रु०	आ०	रु०	आ०
गन्ना	१६	०	८	०
चावल, तरकारियां, बाग, हर फसल, सिंघाड़ा, पोस्ता	१०	०	५	०
कपास	३	०	१	८
तम्बाकू	१२	०	६	०

फसल	दरें रुपयों में प्रति एकड़			
	डाल		तोड़	
	रु०	आ०	रु०	आ०
गेहूं, जौ, वे फसलें जो गेहूं या जौ के साथ हों ..	१०	०	५	०
चारा	२	०	१	०
हरी खाद	२	०	१	०
अन्य रबी की फसलें	५	०	२	८
अन्य खरीफ की फसलें	५	०	२	८

अनुसूची संख्या ३—रुहेलखंड नहरें जिन्हें शारदा नहर से पानी नहीं मिलता, कोसी, बहाला, धूगा और गंगन नहरों के अतिरिक्त अन्य रामपुर नहरें, जिनका उल्लेख अनुसूची संख्या २ में किया गया है।

फसल	दरें रुपयों में प्रति एकड़			
	डाल		तोड़	
	रु०	आ०	रु०	आ०
गन्ना	८	०	४	०
चावल, तरकारियां, बाग, हर फसल, सिंघाड़ा पोस्ता	४	०	२	०
अन्य खरीफ की फसलें और रबी की फसलें ..	४	०	२	०
कपास	२	०	१	०
चारे की फसलें	२	०	१	०
हरी खाद	२	०	१	०

अनुसूची सं० ४—सरकारी नलकूप पानी की मात्रा निम्नलिखित दरों के अनुसार दी जायगी, जो सभी फसलों के लिये एक ही होगी:

ब्योरे	दर
(क) स्टीम या जल विद्युत शक्ति गृहों की बिजली से चलाये जाने वाले नलकूप ..	१६,००० गैलन प्रति रुपया

विधान सभा उत्तर प्रदेश

ब्योरे

(ख) डीजिल इंजिनों या डीजिल शक्ति गृहों से चलाये जाने वाले नलकूप .. .. ११,००० गैलन प्रति रुपया

	दरें रुपयों में प्रति एकड़			
	डाल		तोड़	
	रु०	आ०	रु०	आ०
१—बिजनौर				
धान जोकि मानसून के पहले सींचा गया ..	५	१०	३	२
धान जो कि मानसून के बाद सींचा गया ..	२	३	१	४
फूलों के बाग, पौधे, तरकारियां, सिंघाड़ा नील और आजवायन	६	१२	३	१२
तम्बाकू	६	१२	३	१२
रुई	३	१२	२	४
गेहूं और जौ	३	१२	२	४
गन्ना	६	१२	३	१२
ओट तथा बालें	३	१२	२	४
लसानी बसीम तथा अन्य चारे की फसलें ..	३	०	१	८
अनुसूची संख्या ५— (मिर्जापुर में कर्मनासा नहर)				
समस्त रबी तथा खरीफ की फसलें ..	३	६	१	११
अनुसूची संख्या ६— (बनारस राज की नहरें)				
चावल (पौध)	५	४	२	१०
चावल (छितराया हुआ)	२	१०	१	५
गन्ना	७	८	३	१२
रबी	४	८	२	४
२—कौरल क्षेत्र की कर्मनासा नहर—				
चावल (पौध)	३	०	१	८
चावल (छितराया हुआ)	२	४	१	२
गन्ना	७	८	३	१२
रबी	४	८	२	४
३—पथरवा नदी—				
चावल (पौध)	४	८	२	४
चावल (छितराया हुआ)	२	४	१	२
गन्ना	७	८	३	१२
रबी	४	८	२	४

जगनेर बंधिया—

Submerged area ..	३ रु०	प्रति एकड़
Fringe area ..	१ रु०	,, ,,
Outside irrigation ..	३ रु०	,, ,,

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २३९ एल० ए०—१९५६—७९६ ।